

To be published in Part-I Section I of the Gazette of India Extraordinary

**F. No. 6/06/2024-DGTR
Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Directorate General of Trade Remedies
4th Floor, Jeevan Tara Building,
5, Parliament Street, New Delhi -110001**

Date: 12th March 2025

**FINAL FINDINGS
Case No. ADD (O.I.) 06/2024**

To
The Manager
Govt. of India Press Mayapuri
New Delhi-110064

Subject: - Final Finding of Anti-dumping investigation concerning imports of ‘Azo Pigment’ originating in or exported from China PR.

1. Please find attached herewith final finding notification no. 6/06/2024-DGTR dated 12th March, 2025 in the matter “Anti-dumping investigation concerning imports of ‘Azo Pigment’ originating in or exported from China PR”, issued by the Designated Authority in English and Hindi Versions for publication in Part -I Section- I of the Gazette of India, Extraordinary. The signed and scanned copies of the notifications (both Hindi and English) are also enclosed.
2. The final finding notification is required to be published for the information of all the interested parties. It is desirable that the copies of the final finding notification are made available to the general public without any delay.

Thanking you,

Yours faithfully,

(Devender Singh)
Joint Director General
Tel: 011-23408713
Email: dd15-dgtr@gov.in

**F. No. 6/06/2024-DGTR
Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Directorate General of Trade Remedies
4th Floor, Jeevan Tara Building,
5, Parliament Street, New Delhi -110001**

Date: 12th March 2025

FINAL FINDINGS

Case No. ADD (O.I.) 06/2024

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of 'Azo Pigment' originating in or exported from China PR.

Having regard to the Custom Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as "the Act") and the Custom Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as "the Rules") thereof.

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Sudarshan Chemical Industries Limited (hereinafter referred to as the "applicant" or "domestic industry") has filed a duly substantiated application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Azo Pigment (hereinafter referred to as "product under consideration" or "PUC" or "subject goods"), from China PR (hereinafter referred to as the "subject country"). The present application has been supported by Pigments Manufacturers Association of India. The application has also been supported by Anupam Colours Private Limited, Hercules Pigments Private Limited, Kwalichem Private Limited, Micas Organic Limited, Unity Dye Chem Private Limited, Vijay Chemical Industries, Voxco Pigments and Chemicals Private Limited, Kroma Industries and Asahi Tennants.
2. The Authority, on the basis of sufficient prima facie evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide Notification No. 6/06/2024-DGTR dated 29th March 2024, published in the Gazette of India – Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with the Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or

exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the applicant.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
- a. The Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Anti-Dumping Rules.
 - b. The Authority issued a public notice dated 29th March 2024, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification to the embassy of the subject country in India, the other known domestic producers, the known producers and exporters from the subject country, the known importers/users in India, and the other interested parties, as per the addresses made available by the applicant. The interested parties were asked to provide relevant information in the form and manner prescribed in the initiation notification and make their submissions known in writing within the time limits prescribed in the initiation notification.
 - d. The Authority also provided a copy of the initiation notification to the known importers/users in India who are known to be associated with the subject goods and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
 - e. The Authority also provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassy of the subject country in India, in accordance with Rule 6(3) of the Rules. A copy of the non-confidential version of the application was circulated to the other interested parties.
 - f. The embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers to submit their responses to the questionnaire within the prescribed time limit.
 - g. The Authority sent exporter's questionnaire to the following known producers/exporters in China PR in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

SN	Name of producers/exporters in the subject country
1	Colors & Effect Shanghai Ltd
2	Dongguan Ganfengxing Plastic Co., Ltd.
3	Firstruth Colorants China Co. Ltd
4	Hangzhou Brilliant Chem Technology
5	Hangzhou Brilliant Prosperous Impex Co
6	Hangzhou Color Source Industry Co Ltd
7	Hangzhou Color Source Industry Co Ltd

8	Hangzhou Hongyan Pigment Chemical Co Ltd
9	Hangzhou Paramount Product Corporation
10	Heubach Colorants Singapore Pte. Ltd
11	Jiangxi Longyuan Chemical Co. Ltd
12	Lily Group Co. Ltd.
13	Longkou Union Chemical Co Ltd
14	Nantong Dic Color Co Ltd
15	Ningbo Kemi Chemicals Co Ltd
16	Sanhu Color Company Ltd
17	Shanghai Ggink Pigments & Chemicals
18	Sincol Corporation Limited
19	Stl Ecoplastics Co., Limited
20	Trust Chem Co. Ltd
21	Tshang Chemical Co. Limited
22	Union Colours BV
23	Unique Chemical Ltd
24	Verdcol Ltd
25	Zhejiang Shengda Charter Win

- h. In response to the above, the following producers/exporters from China PR have responded and filed exporter's questionnaire response:

SN	Producers/exporters in the subject country
1	Colors & Effects Shanghai Limited
2	Longkou Union Chemical Co., Ltd.
3	Lily Group Co. Ltd.
4	Ruian Baoyuan Chemical Industry Co, Ltd.
5	Trust Chem Co., Ltd.
6	Worldwide Colorants & Chemical Company Limited
7	Zhejiang Shengda Charter Win Chemical Co., Ltd

- i. The Authority also sent questionnaire to the following known importers/users of the product under consideration in India calling necessary information in accordance with the Rule 6(4) of the Rules: -

SN	Users/importers
1	Alok Master Batches Private Limited
2	Amar Trading Corporation
3	Asha Penn Color Private Limited

4	Berger Paints India Limited
5	Cytech Coatings Private Limited
6	DIC India Ltd.
7	Hi-Tech Inks Private Limited
8	Hubergroup India Private Limited
9	IDCC Global Chem Private Limited
10	Jupiter Laminators Private Limited
11	Kandui Industries Private Limited
12	Konkan Speciality Polyproducts Private Limited
13	Maharashtra Impex Limited
14	Nenava Metal Corporation
15	Plastiblends India Limited
16	Rainbow Colours
17	Sakata Inx (India) Pvt Ltd
18	Sanjay Enterprises
19	Setco Chemicals (India) Private Limited
20	Seven - 11 Industries Private Limited
21	Siegwerk India Private Limited
22	Toyo Ink India Private Limited
23	Uflex Limited
24	VIP Chem LLP
25	Wellspring Industries Private Limited

- j. In response to the above notification, the following importers and users have submitted questionnaire responses to the Authority.

SN	Users/importers
1	Colors & Effects India Private Limited

- k. Submission have also been made by the Asha Penn Color Private Limited and China Dyestuff Industry Association (CDIA) and the same have been duly considered in the present final findings.
- l. Exporters, foreign producers and other interested parties who have not responded to or not supplied relevant information to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties.
- m. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire to all the known producers and exporters, importers, and the applicant. The economic interest questionnaire was also shared with the administrative line ministry. An economic interest questionnaire was filed only by the applicant. None of the other interested parties have filed an economic interest questionnaire.

- n. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st October 2022 to 30th September 2023 (12 months). The injury analysis period covers 2020-21, 2021-22, 2022-23 and the period of investigation.
- o. The interested parties were granted an opportunity to present their comments on the scope of the product under consideration and propose PCNs, if required, within a period of 30 days from the date of the initiation notification. Based on submissions, the Authority clarified and notified the PCN on 18th June 2024.
- p. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.
- q. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity for the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 28th November 2024 in hybrid mode. The parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any.
- r. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential versions of the information filed on a confidential basis.
- s. A request was made to the Directorate General of Systems and Data Management (DG System) to provide data of the imports of the subject goods for the injury investigation period and the period of investigation. DG System data has been received by the Authority and has been considered in these final findings.
- t. Verification of the information provided by the domestic industry and other interested parties was carried out by the Authority, to the extent necessary. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of this final finding.
- u. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government to all interested parties on 17 February 2025. The Authority has examined all the post-disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.
- v. The non-injurious price (hereinafter referred to as the 'NIP') has been determined based on the cost of production and reasonable profits of the subject goods in India, based on the information furnished by the applicant on the basis of Generally Accepted

Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules, 1995 so as to ascertain whether anti-dumping duties lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the applicant.

- w. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties to the extent the same is supported with evidence and considered relevant to the present investigation.
- x. “***” in these final findings represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- y. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$= Rs. 83.21.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as under:

“The product under consideration in the present investigation is ‘Azo Pigment’. The product under consideration belongs to a class of synthetic organic pigments, which is widely used in various industries, including paints, inks, plastics, textiles, and cosmetics.

The product under consideration is traded in three different colors such as Yellow Pigment, Red Pigment and Orange Pigment. Every colour has different grades, and each grade has different chemical concentrations and properties and therefore, has different end use application. The product under consideration is used for providing colour effects to various applications and is widely used in various industries.

The product under consideration has a dedicated customs classification under Chapter 32 under HS code 32041711, 32041720 & 32041731. However, the product under consideration is also being imported under other sub-heading 32041719, 32041739, 32041740, 32041759, 32041769 and 32041790. The customs classification is only indicative and in no way binding on the scope of the subject investigation”

C.1 Submission of the other interested parties

5. The other interested parties have submitted as follows with regards to the scope of the product under consideration and like article.
- a. PCN methodology proposed by the applicant in the application and notified by the Authority is different. The applicant has not shared the revised data as per methodology.

- b. Reference is placed on *Ajanta Pvt. Ltd. Vs. UOI*. The duties are collected on the basis of the product scope and description and not on the basis of HS code. Recommending duty at 4-digit level will lead to collection of duty on non-product under consideration as well.
- c. There are special grades where Indian producers do not meet the quality standards. They cannot be sourced locally or have alternatives for Indian manufactures and are required to be imported.
- d. Pigment Yellow 13, Pigment Yellow 14, Pigment Red 48.2, Pigment Red 53.1, Pigment Red 57.1, Pigment Red 166 and Pigment Red 266 are some of the grades which the Indian industry has not been able to produce.
- e. Indian ink manufacturers rely on Chinese pigments for high-quality products.

C.2 Submission of the applicant

6. The applicant has submitted as follows with regards to the scope of the product under consideration and like article:
 - a. The product under consideration is Azo Pigment. The product is traded in different colors such as red, orange and yellow pigment.
 - b. The goods produced by the applicant is like article to the product imported from the China PR.
 - c. Pigments are powders used to add color or change visual appearance of product. The primary purpose is to provide color to material.
 - d. Pigments are categorized into two types, Organic and Inorganic chemical. Organic pigments are commonly used in inks, dyes, etc. Common types of organic pigments are Azo Pigments, Phthalocyanine pigments etc. Inorganic pigments include pigments such as effect pigment.
 - e. The product is imported under various HS code. Since the product under consideration is being imported under various codes, the Authority may kindly specify these codes as well in the duty table.
 - f. Reliance placed on *Ajanta Pvt. Ltd. Vs. UOI*, wherein it was held that duties are imposed only on those HSN codes which are specified in the duty table.
 - g. As regards the reason for imports is high quality product supplied by the Chinese producers, the applicant is regularly exporting the product to various countries which clearly demonstrates that the applicant is capable of meeting the global standards, quality and technical requirements.
 - h. All the grades for which exclusion has been sought has been produced and sold by the Indian industry. There are more than 200 different types of AZO pigment. Out of these 100 different types, demand for around 50 types of effect pigment is 100-200 KGs only.
 - i. Asha Penn Color Pvt. Ltd. has demanded exclusion of two particular grades – Red 166 and Red 266, the demand for the two grades is miniscule. These are made to order items

and can be produced by the applicant if there is a commercially viable demand at adequate prices.

- j. The domestic industry has supplied comparable grades to PY 13, PY 14, PR 48.2, PR 53:1, PR 57:1 for which exclusion has been demanded.
- k. It is not possible that each and every type of AZO pigment is produced and sold by each producer unless it is commercially and efficiently viable.
- l. The interested parties have not provided a single instance where the Indian industry has failed to supply a replacement. The domestic industry has undergone all necessary approvals to ensure that quality materials are being produced and supplied from their facilities.

C.3 Examination by the Authority

7. The submissions made by the other interested parties and the applicant regarding the product under consideration and the like article have been examined and addressed hereunder.
8. The product under consideration in the present investigation is "Azo Pigment". Azo Pigment belongs to a class of synthetic organic pigment which is widely used in various industries, including paints, inks, plastics, textiles, and cosmetics.
9. Pigments are powders used to add or modify color in products. They are typically insoluble and chemically stable in water, used primarily in textiles and paints industry. Based on their method of formulation, pigments are categorized into organic and inorganic types. Organic pigments are widely used in inks, dyes, cosmetics, and artist paints, with common examples including azo pigment and phthalocyanine pigments. Whereas, inorganic pigments are preferred for applications requiring durable, weather-resistant colors, such as effect pigments.
10. Azo pigment is traded in three different colors such as Yellow Pigment, Red Pigment and Orange Pigment. Every colour has different grades, and each grade has different chemical concentrations and properties and therefore has different end use application. The product under consideration is used for providing colour effects to various applications and is widely used in various industries. As per information provided by the applicant, there are more than 200 different types of AZO pigment.
11. On the exclusion sought by the other interested parties, the applicant has submitted that Red 166 and Red 266 have very low demand and therefore are made to order items. The applicant has submitted that it can produce those items if there is a commercially viable demand at adequate prices. The applicant has provided invoices of its supplies made for product with

similar color index to Pigment Yellow (PY) 13, PY 14, Pigment Red (PR) 48.2, PR 53:1 and PR 57:1. Therefore, the Authority is unable to accept the submission on exclusion.

12. The Authority invited comments from the interested parties on the proposed PCN methodology and scope of the product under consideration within a period of 30 days from the date of initiation. Apart from the applicant, none of the interested parties have provided comments on the scope of the product under consideration or the PCN methodology.
13. In view of differential properties, end use and the cost of colors, the following PCN methodology has been considered for the present investigation which was notified vide notification dated 18th June 2024.

SN	PCN parameter	Value	PCN Code
1	COLOR	a. Orange b. Red c. Yellow	a. O b. R c. Y

14. The Authority has examined the DG system transaction wise data and found that the product under consideration is classified under Chapter 32 of the Custom Tariff Act, 1975 under sub-headings 32041711, 32041720 and 32041731 of the Tariff classification. The product has also been imported under 32041719, 32041739, 32041740, 32041759, 32041769 and 32041790. It is also noted that the customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.
15. There is no known difference between the subject goods exported from the subject country and supplied by the applicant. The product under consideration produced by the Indian industry and imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and consumers can use them interchangeably.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Submission made by the other interested parties

16. The other interested parties have submitted as follows with regards to the scope of the domestic industry and standing:
 - a. The applicant has imported 21 MT of the product under consideration in the period of investigation.

- b. The applicant has withheld the information of self-imports at the time of initiation. The applicant has disclosed this information after 8 months of initiation of this investigation.
- c. The Authority cannot allow the applicant to rectify the false declaration at a belated stage. The threshold of evidence must be applied uniformly to domestic producers and opposing interested parties.
- d. Out of 7 supporters, 4 producers have imported the product under consideration.
- e. The supporters have not filed complete response as per Trade Notice 13/2018 and Trade Notice 14/2018.
- f. Applicant does not qualify as “domestic country” under Rule 2(b) as it is “importer of the alleged dumped article”.
- g. Huber Group is the largest producer in India with respect to production. Heubach Colorants has production levels that are comparable to Sudharshan. Neither of these producers have participated.
- h. Kroma Industries, Voxco Pigments and Asahi Tennants have submitted the support letter at very belated stage.

D.2 Submission made by the applicant

- 17. The applicant has submitted as follows with regards to the scope of the domestic industry and standing:
 - a. There are around 15 producers in India. Out of these, 10-12 producers are from MSME segment with some producing less than 200-250 MT on annual basis.
 - b. Production of Sudarshan Chemical Industries Limited accounts for more than 25% share in total Indian production. When production of supporters is included, the applicant along with supporter accounts for more than 50%.
 - c. The present application has been supported by the Pigments Manufacturers Association of India.
 - d. Anupam Colours Private Limited, Hercules Pigments Private Limited, Kwalichem Private Limited, Micas Organic Limited, Unity Dye Chem Private Limited, Vijay Chemical Industries, Voxco Pigments and Chemicals Private Limited have supported the application.
 - e. Kroma industries, Voxco Pigments and Asahi Tennants have subsequently supported the application.
 - f. The applicant is not regularly importing the product under consideration. While filing the application, the applicant had inadvertently identified these imports as domestic purchases. However, when preparing the financial statements 2023-24 and the verification documents, the applicant found the error.
 - g. The applicant has imported small quantity of Azo Pigment from China PR during the period of investigation. The imports made by the applicant are negligible in relation to

- own production. The applicant has imported only one type of product, whereas it typically sells over 50 different variants.
- h. The imports were only made to assess the import price offered by the Chinese producers and to evaluate the product. Moreover, the product is not domestically consumed.
 - i. The volume of imports made by applicant is only ***. The imports made by applicant is only *** in relation to applicant production.
 - j. On the submission of the interested party that there are other producers of the product and only Sudarshan and a few supporters have provided information, standing is based on production volume not the number of producers.
 - k. The applicant is unaware of any imports by supporters. Even in absence of supporter, the applicant constitutes major proportion of the total Indian production.
 - l. Huber group produces azo pigment for captive consumption and does not sell the product domestically and therefore, have not supported. Heubach has been purchased by the applicant in 2024.

D.3 Examination by the Authority

- 18. The submissions made by the interested parties and domestic industry concerning standing and scope of the domestic industry have been examined and addressed hereunder.
- 19. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

“(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry ' may be constructed as referring to the rest of the producers.”
- 20. The present application has been filed by Sudarshan Chemical Industries Limited. Apart from the applicant there are 15 producers of the like article in India.
- 21. The applicant has imported *** MT of product under consideration from China PR during the period of investigation. The applicant has claimed that the imports were made solely to assess the import price offered by Chinese producers and to evaluate the product supplied by the Chinese producers/exporters. The other interested parties have claimed that since the applicant gave a misdeclaration on imports by them, the investigation should be terminated.

22. The Authority notes that the applicant had vide email dated 21st May 2024 admitted self-imports. Thereafter, vide email dated 13th June 2024, the applicant had provided detailed information on its imports. Subsequently and prior to the oral hearing, the information was circulated to the interested parties as well. The Authority therefore notes that even though the applicant was required to provide the information prior to the initiation, non-disclosure of the fact has not caused any undue benefit to the applicant or prejudice to the other interested parties. The Authority finds that no adverse implications should flow from such non-disclosure.
23. The Authority notes that Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules provides discretion to the Authority to determine inclusion or exclusion of a producer, which has imported the product under consideration, within the scope of the domestic industry. In particular, the Authority is required to examine if the applicant has imported the product in such substantial volumes and under such conditions which would disentitle them as eligible domestic industry. The table below shows the volume of imports made by the applicant in its operations and a comparison of imports has been made with applicant's production and domestic sales. Further, the imports have also been compared with the imports in relation to total imports from China PR and total demand in India. The volume of imports has been verified from the DG system data.

SN	Particulars	UOM	POI
1	Self-import volume	MT	***
2	Own production	MT	***
3	Self-imports in relation to own production	%	***
4	Domestic sales	MT	***
5	Self-imports in relation to domestic sales	%	***
6	Imports from China PR	MT	2,137
7	Self-imports in relation to imports from China PR	%	***
8	Demand in India	MT	***
9	Self-imports in relation to demand	%	***

24. The Authority notes that the volume of imports made by the applicant during the period of investigation are insignificant compared to the total volume, total domestic production and total demand of the country. The volume of imports made by the applicant in relation to applicant production and domestic sales is less than 0.005% and 0.005% respectively. The imports made by the applicant are not in such volume as to disentitle it from being treated as eligible domestic industry.

25. The application has been supported by Pigments Manufacturers Association of India. Prior to initiation, the Authority received support letters from following producers - Anupam Colours Private Limited, Hercules Pigments Private Limited, Kwalichem Private Limited, Micas Organic Limited, Unity Dye Chem Private Limited, Vijay Chemical Industries, Voxco Pigments and Chemicals Private Limited. Subsequent to oral hearing, the Authority has received support letters from Kroma Industries and Asahi Tennants as well.
26. As regards the submission that the supporters have also imported the product, the Authority has examined the DG Systems data and it is seen that out of 9 supporters, only 2 supporters, namely *** (***) and *** (***) have imported the product during the period of investigation. The volume of imports made by the supporters is less than 1% in relation to their production.
27. The other interested parties have contended that support letters should be disregarded, as these domestic producers have not complied with the requirements laid down vide Trade Notices 13/2018 and Trade Notices 14/2018. The Authority considers that Trade Notices 13/2018 has been replaced by Trade Notice 4/2021 dated 16th June 2021 which allows the supporters to express support with limited information concerning capacity, production, and sales. The Authority has considered the support expressed by other producers in the present investigation only for the purpose of examining the standing of the domestic industry. Since detailed data has not been provided by the supporters, the same is not a part of injury analysis.
28. Based on the information on record, the Authority notes that the production of the applicant constitutes *** of the total Indian production of the like article in India. Together with the supporters, the applicant accounts for *** of the total domestic production.

Particular	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Production of Applicant	MT	100	94	86	104
Sudharshan	MT	***	***	***	***
MSME Companies - Supporter	MT	100	124	109	114
Unity Dye Chem Pvt. Ltd.	MT	***	***	***	***
Kwalichem Pvt. Ltd.	MT	***	***	***	***
MICAS Organics Ltd.	MT	***	***	***	***
Hercules Pigments Pvt.Ltd.	MT	***	***	***	***
Voxco Pigments & Chemicals Pvt. Ltd.	MT	***	***	***	***
Vijay Chemical Industries (VCI)	MT	***	***	***	***
Anupam Colors Pvt. Ltd.	MT	***	***	***	***
Other Indian production	MT	100	93	85	103
Total Production	MT	43,046	42,658	38,808	45,342

Share in total production					
Share of Applicant	%	25-35%	25-35%	25-35%	25-35%
Share of Supporters	%	15-25%	20-30%	20-30%	15-25%
Total Applicant + Supporter	%	45-55%	50-60%	50-60%	45-55%
Other Indian production	%	45-55%	45-55%	45-55%	45-55%

29. In view of the above, considering the provisions of Rule 2(b) and the facts of the case, the Authority holds that the applicant accounts for a major proportion of the total domestic production of the like product in India. The Authority holds that the applicant constitutes as domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) and satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY AND MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

E. 1 Submission made by the other interested parties.

30. The other interested parties have submitted as follows with regards to confidentiality and miscellaneous:
- a. The applicant has indexed data for support letters.
 - b. The non-confidential version of the application violates the requirements of Rule-7 and Trade Notice 1/2013. Response to Section VI- (Costing information) has been claimed confidential.
 - c. The applicant has not brought any substantive evidence to establish the conditions for initiation of anti-dumping investigation and the Authority has not carried out appropriate scrutiny on the same.
 - d. Since the applicant has imported the product, they shall be considered as importer and required to file importer questionnaire response. However, they failed to file importers' questionnaire response as per Trade Notice 06/2018.
 - e. The applicant failed to address crucial issues on Russia Ukraine War, depressed market conditions globally, unprecedented increase in the prices of raw materials and indirect material etc.
 - f. None of the MSME producers have provided full data including their financial performance with respect to the product under consideration.
 - g. The applicant has claimed PCN data confidential without providing any meaningful summary of the same.

E. 2 Submission made by the applicant.

31. The applicant has submitted as follows with regards to confidentiality and miscellaneous:

- a. The other interested parties failed to provide comments on the confidentiality claims within the prescribed time-limit.
- b. Trade notices do not require each individual support letters to be in indexed format. The aggregated data of the trade notice has been provided in trend.
- c. Costing information is a business sensitive information of the company. Reference placed on *Anwar Jute Spinning Mills Ltd, Nitro Chemicals Industries Vs. DA*. Which allows considering costing formation as confidential.
- d. Contrary to the claims that the applicant has not provided sufficient evidence, the other interested parties have not provided single area where the applicant has failed to provide evidence.
- e. Requirement to file importer questionnaire response under trade notice 06/2018 is applicable to the importers of the subject goods and not to the producers of the product. The applicant has already provided all the required information regarding the imports made by them.

E. 3 Examination by the Authority

32. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by the various parties to all the other interested parties as per Rule 6(7).
33. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:

"Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7)) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sab-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."

34. The submissions made by the applicant and the other interested parties concerning confidentiality, to the extent considered relevant, have been examined. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential versions of the information filed on a confidential basis. The Authority also notes that all the interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.
35. With regards to the submissions made by the other interested parties that the applicant has not brought any substantive evidence to provide the condition for initiation of anti-dumping investigation and the investigating Authority has not carried out appropriate scrutiny of facts, the Authority notes that the applicant had provided sufficient information that meets the required conditions for initiation of the present investigation. The investigation was initiated after satisfying that sufficient prima-facie evidence, as required under Rules.
36. With reference to the contention raised by other interested parties that the applicant has not filed importer questionnaire as per Trade Notice 06/2018, the Authority notes that the requirement to file the questionnaire applies to importers or users of the product, not to producers. The applicant has provided information on the imports made by it and it is seen that the imports are negligible. The primary focus of the applicant remains on producing the product rather than importing the product. Therefore, the contention raised by the other interested parties cannot be accepted.

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

F.1 Submissions made by other interested parties.

37. The other interested parties have made the following submissions with regard to normal value, export price and dumping margin:
- a. Dumping margin claimed by the applicant is inflated. Subject goods cover various subtypes which have significant difference in the cost and price.
 - b. Export prices of other countries are much higher compared to Chinese export price because of difference in grades and quality. These prices should not be compared with China's export price for dumping margin determination.
 - c. Cost of production should be considered as basis for determination of normal value.
 - d. Relevant provisions of protocol on China's accession to the WTO expired in 2016 and China can no longer be treated as non-market economy.

- e. Lily group has exported significant commercial volumes. No volume threshold has been prescribed under rules for granting individual margin. The applicant cannot prescribe barrier to this determination in terms of volume of export being 10 MT.
- f. The applicant has not provided any evidence or law to justify that the calculation of dumping margin and injury margin based on low volume of exports will not be appropriate.
- g. The exports made by Longkou Union Chemical Co. Ltd. are *** MT, which is *** % of total imports from the subject country and *** % of the total imports. *** % is more than de-minimis. If ***% volume is considered enough to consider a country for anti-dumping investigation, then *** % of the total imports cannot be considered as insignificant volume.
- h. The export price of Color Shanghai cannot be rejected solely on the ground that the volume is very low. The Authority is free to construct the export price if the export price is unreliable. However, in the present investigation, no such situation exists.
- i. The applicant has relied on anti-dumping investigation concerning imports of welded stainless-steel pipes and tubes from Thailand and Vietnam. In that investigation, the Authority may have been concerned that the exporter/producer were aware of the landed price and manipulated export volumes to align prices accordingly. Consequently, the low export volumes might have been deemed an unreliable reflection of actual prices. However, this is not the case in the present investigation.
- j. If the applicant has a fear of being injured in future because of imports, the same can be always remedied through the means of review investigations.

F.2 Submission made by the applicant

38. The applicant has made the following submissions with regard to normal value, export price and dumping margin:
- a. None of the responding producers from subject country have filed MET questionnaire. Hence, the normal value should be determined as per para 7 of Annexure I of rules.
 - b. Para 7 lays down hierarchy for determination of normal value. Normal value has to be determined in a sequential manner and the same was confirmed in the case of *Shenyang Matsushita S. Battery Co. Ltd. vs Exide Industries Ltd.*
 - c. The applicant had exercised the options available under Para 7 of Annexures I to the Rules in the chronological order. The volume of imports from Korea RP is more than *de-minimis* and therefore these imports can be considered as a basis for normal value.
 - d. Level of development is not relevant when export price is considered from market economy country. Reference drawn from *Kuitun Jinjiang Chemical Industry CO. Ltd. Vs Designated Authority.*
 - e. Exporters have not provided evidence for their claims that the dumping margin is inflated. The import prices from Korea represent global market prices of the product.

The applicant has exported the product at similar prices to other countries. This is the price at which the product is sold in the other markets.

- f. In the initiation notification, the Authority had sought comments on the normal value methodology claimed by the applicant, but till the date of oral hearing, no comments have been made.
- g. Interested parties have argued that imports from China PR and Korea RP differ in grades. However, no evidence has been provided in support of the claim.
- h. Lily Group, Jiangxi Longyuan Chemical Co., Ltd. and Colors & Effects Shanghai Ltd have exported insignificant volume during period of investigation. With insignificant volume of imports, analysis of dumping margin and injury margin will not be appropriate.
- i. The dumping margin based on exports of low volume will distort the determination. There is no commercial volume exported by Lily group. The volume of exports made by Lily group is *** % of total Indian demand and *** % of the total exports from China PR. Further these exports have not taken place consistently over the period of investigation. Lily has only exported red pigment in *** months and yellow pigment in *** months.
- j. In anti-dumping duty investigation concerning imports of Welded Stainless-Steel Pipes and Tubes originating in or exported from Thailand and Vietnam, the Authority had found it to be inappropriate to determine dumping margin for the producer and exporter with low volume of trade.
- k. If dumping margin is determined based on such insignificant export volumes, it will be negative, and the producers will attract no measures and get complete market access to the Indian market.

F.3 Examination by the Authority

39. The response to exporters questionnaire has been filed by the following producers/exporters from China PR:
 - i. Colors & Effects Shanghai Limited
 - ii. Longkou Union Chemical Co., Ltd.
 - iii. Lily Group Co. Ltd.
 - iv. Ruian Baoyuan Chemical Industry Co, Ltd.
 - v. Trust Chem Co., Ltd.
 - vi. Worldwide Colorants & Chemical Company Limited
 - vii. Zhejiang Shengda Charter Win Chemical Co., Ltd

Determination of Normal value and Export Price

F.3.1 Normal value for China PR

40. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated

provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provision of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

41. The applicant has relied upon Article 15(a)(i) of China's the Accession Protocol as well as para 7 of the Annexure I. The applicant had claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the applicant that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure- I to the Rules.
42. It is noted that while the provision contained in Section 15 (a)(ii) has expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO Anti-dumping Agreement read with the obligation under Section 15(a)(i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in paragraph 8 of Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming market economy treatment. It is noted that since the responding producers/exporters from China PR have not submitted response to the supplementary questionnaire the normal value computation is required to be done as per the provisions of paragraph 7 of Annexure I of the Rules.
43. As none of the producers from China PR have claimed determination of normal value on the basis of their own data/information, the normal value has been determined in accordance with paragraph 7 of Annexure I of the Rules, which reads as under:

"7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner [keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country.

The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”

44. Para 7 lays down a hierarchy for the determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to any other country, including India, or where it is not possible, on any reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like article, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. Thus, the Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under Para 7.
45. The Authority also notes the existing jurisprudence on constructing the normal value in the case of a non-market economy contained in various judgements. These judgements provide directions regarding the implementation of Para 7 of Annexure I of the Rules concerning the choice of an appropriate option, and associated obligations thereof.
46. At the stage of application, the applicant has claimed normal value on the basis of price from such third country to other countries including India. For this purpose, the applicant had considered the export price from Korea RP into India. It is noted that as per the hierarchy given in the law, the normal value should first be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, and in the absence of price or constructed value in a market economy third country, the normal value shall be based on the price of exports from such country to other countries, including India. In this regard, the Authority notes the findings of the Hon'ble CESTAT in the case of *Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd. vs. Union of India*, wherein it was held that when normal value is determined based on exports from a market economy third country to India, the relevant criteria for determining appropriate market economy third country is the volume of exports from such country and that the country should not be dumping during the period of investigation. The Authority notes that the volume of imports from Korea is low. Further, the interested parties have also contended that there is a difference in the product profile exported from China PR and Korea RP. The Authority has therefore not considered exports from Korea to India for the purposes of computation of Normal Value.
47. In the absence of sufficient information on record regarding the other methods as provided in Para 7 of Annexure I of the AD Rules, the Authority has determined the normal value by considering the method on “any other reasonable basis”. The Authority has constructed the normal value for China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and reasonable profits. The

constructed normal value so determined for Chinese producers/exporters is mentioned in the dumping margin table below.

48. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.3.2 Export price for China PR

a. Ruian Baoyuan Chemical Industry Co. Ltd.

49. During the POI, Ruian Baoyuan Chemical Industry Co, Ltd., China PR has reported the sale of *** MT of invoice value *** RMB of subject goods to India indirectly through an unrelated exporter/trader namely, Trust Chem Co., Ltd., China PR. Out of which Trust Chem Co., Ltd., China PR has sold *** MT of subject goods directly to India to unrelated buyers in India and the rest *** MT has been sold to India indirectly through two related exporters/traders namely, Trust Chem Hong Kong Limited, Hong Kong and Worldwide Colorants & Chemical Company Limited, Hong Kong.
50. Analysis of questionnaire responses filed by Trust Chem Co. Ltd., Trust Chem Hon Kong Limited and Worldwide Colorants & Chemicals Company Limited shows these companies have incurred expenses for exporting the goods to India. Sales made by these companies were examined and it was seen that these companies have exported to India at a profit after accounting for all direct expenses and SGA expenses. Since these companies have sold the product at a profit and are unrelated companies, the Authority has accepted their questionnaire responses and has concluded that it would be appropriate to determine the export price on the basis of the price at which Ruian Baoyuan Chemical Industry Co. Ltd. has sold the material to Trust Chem Co. Ltd.
51. The producer has reported price adjustments on account of inland transportation and credit cost, and the same has been allowed by the Authority. Accordingly, the export price at the ex-factory level for Ruian Baoyuan Chemical has been determined and the same is shown in the Dumping Margin table.

b. Zhejiang Shengda Charter Win Chemical Co. Ltd

52. Zhejiang Shengda Charter Win Chemical Co. Ltd, a producer of the subject goods in China PR has participated and filed a questionnaire response. Zhejiang Shengda Charter has exported the subject goods directly to unrelated customers in India.
53. During the period of investigation, Zhejiang Shengda Charter has exported *** MT of the subject goods to India at the invoice value *** US\$. The producer and exporter have claimed

price adjustments on account of ocean freight, insurance, inland transportation and port and related expenses, credit cost, bank charges, and the same has been allowed by the Authority. Accordingly, export price at ex-factory level for Zhejiang Shengda Charter has been determined and the same is shown in the Dumping Margin table.

c. **Longkou Union Chemical Co., Ltd.**

54. Longkou Union Chemical Co., Ltd., a producer of the subject goods in China PR has participated and filed a questionnaire response. Longkou Union Chemical has reported the subject goods directly as well as through Colors & Effects Shanghai Limited.
55. During the period of investigation, it has reported direct exports of *** MT of the subject goods of invoice value *** US\$ to India. The producer has reported *** MT of goods having invoice value of *** USD\$ exported to India through Colors & Effects Shanghai Limited.
56. From the response filed by ***, it was seen that *** has reported purchases from Longkou Union Chemical which have then been exported to India. However, the producer has not provided information in respect of the above sales. Further, a perusal of DG System Transaction Wise data also showed that *** invoices appearing in the DG system import data were not reported in the response.
57. A communication was sent to the producer seeking clarification. The producer has reported that it did not report exports to ***, believing the sales did not fall under the product under consideration.
58. The Authority observes that a producer cannot unilaterally assume a particular grade is outside the scope of the product under consideration and withhold relevant information, particularly when it indeed falls within the scope of the product under consideration. It is further noted that another participating producer, *** and the major exporter *** have correctly reported the above transaction as part of the product under consideration. Clarification was also sought from the applicant, who confirmed that the grade in question is indeed part of the product under consideration. It is also seen that this particular grade was specifically mentioned as part of the product under consideration in the application filed by the applicant. The applicant in para 14 of the application provided the table below : -

<i>SN</i>	<i>Types</i>	<i>Grade</i>
<i>1</i>	<i>Orange</i>	<i>PO 13, PO 34, PO 5, PO 36 etc.</i>

2	Red	PR 57:1, PR 53:1, PR 48:1, PR 48:2, PR 48:3, PR 48:4, PR 49:1, PR 52:1, PR 63:1, PR 146 , PR 170, PR 210, PR 184, PR 188, PR 112, PR 2, PR 3, PR 4, PR 5, PR 8, PR 22, PR 38, PR 81:1, PR 81:2, PR 81:3, PR 81:4, PR 12 etc.
3	Yellow	PY 13, PY 174, PY 191, PY 74, PY 12, PY 14, PY 17, PY 1, PY 3, PY 62, PY 63, PY 73, PY 65, PY 83, PY 168, PY 183

59. Further, the Authority notes that a simple examination reveals that the specific grade is indeed an AZO Pigment and forms part of the product under consideration. Even during the verification process, the producer did not highlight that this particular specialized grade had been excluded in the data reported.
60. The producer has also claimed that the two transactions were missed because of the “system error”. The producer never highlighted the issue during any stage of the investigation or verification and this issue came to light only when the Authority identified the unreported transaction.
61. Longkou Union failed to provide complete and accurate details of its exports to India. The explanation given casts serious doubts over the completeness and accuracy of the questionnaire response and the reliability of the information provided by the producer. The Authority is also not in a position to determine whether the complete volume of exports of the product under consideration has been reported by Longkou Union. As a result, the Authority is unable to determine the export price for the producer. The Authority is, therefore, constrained to rely on the facts available.

d. **Lily Group Co. Ltd.**

62. Lily Group Co. Ltd., a producer of the subject goods in China PR has participated and filed a questionnaire response. Lily Group Co. Ltd. has reported direct export of the subject goods.
63. During the period of investigation, Lily Group Co. Ltd. has reported export of *** MT of the subject goods of FOB invoice value *** US\$ to India.
64. During desk verification of the data submitted by the participating producers, the Authority found that Trust Chem Co. Ltd. has reported exports to India of product purchased from Lily Group Co. Ltd. A clarification was sought from Lily Group Co. Ltd. on its transaction-wise details indirect exports to India and sales to Trust Chem Co. Ltd. Lily Group Co. Ltd. has stated the following in its response: -

It is further submitted in this regard that Lily Group has sold the subject goods in the domestic market to an unaffiliated trader namely Zhejiang Xinkai Technology Group Co, Ltd and Lily Group is not aware whether any part of such material has been exported to India eventually by the said trader. Lily Group issues VAT invoice to Zhejiang Xinkai and the transactions are accorded as domestic sales in the records of Lily Group. Facts in this regard can be crosschecked from the response of Zhejiang Xinkai Technology Group Co, Ltd in case they file any response

65. The producer has further claimed as follows “..In case Trust Chem Co. Ltd. had purchased the material from any of the of the Traders from China we are not aware of such transactions.”
 66. Lily Group Co. Ltd. was asked to provide information on transaction-wise sales to Trust Chem Co. Ltd. Trust Chem Co. Ltd. has reported the purchase and export of *** MT of the product under consideration from Lily Group Co. Ltd. Lily Group Co. Ltd. has not provided the above information.
 67. Lily Group Co. Ltd. has reported domestic sales of *** MT to ***. The Authority notes that when Lily Group Co. Ltd. has direct exports of only *** MT to India, the information on account of *** is missing and has not been provided by the producer.
 68. Lily Group Co. Ltd. failed to provide complete and accurate details of its exports to India. The Authority notes that in a situation where full information concerning exports to India is not on record and when the exporter concerned has admitted that the information is not available, the Authority is not in a position to determine the export price for the producer concerned. The authority is thus constrained to rely on the facts available.
- e. **Jiangxi Longyuan Chemical Co. Ltd.**
69. Jiangxi Longyuan Chemical Co. Ltd., a producer of the subject goods in China PR has participated and filed a questionnaire response. Jiangxi Longyuan Chemical Co. Ltd. has reported the export of the subject goods directly.
 70. During the period of investigation, Jiangxi Longyuan Chemical Co. Ltd. has reported export of *** MT of the subject goods of FOB invoice value *** US\$ to India. Jiangxi Longyuan Chemical Co. Ltd. in its questionnaire response has stated that it has only made direct exports to India.

71. However, *** has reported purchase of *** MT from Jiangxi Longyuan Chemical Co. Ltd. which has been exported to India. Clarification concerning the above information was sought from the producer. Jiangxi Longyuan Chemical Co. Ltd. has stated that ‘*The reason why Color & Effect Shanghai Limited was not reported as our indirect exporter relates to lack of knowledge regarding its re-export to India*’.
72. Jiangxi Longyuan failed to provide complete and accurate details of its exports to India. The Authority notes that in a situation where full information concerning exports to India is not on record and when the exporter concerned has admitted that the information is not available, the Authority is not in a position to precisely determine the export price for the producer concerned. The authority is thus constrained to rely on the facts available.
- f. Any other exporter.
73. The net export price for the other producers has been determined based on the facts available in terms of Rule 6(8) and is shown in the dumping margin table.

F.3.3 Dumping margin

74. The dumping margin determined for each co-operating producer/exporter based on a PCN-wise constructed normal value and net export price, is given below. It is seen that the dumping margin is positive.

SN	Particulars	Normal value	Net export price	Dumping Margin	Dumping Margin	Range
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	%
1	Ruian Baoyuan Chemical Industry Co. Ltd.	***	***	***	***	40-50
2	Zhejiang Shengda Charter Win Chemical Co. Ltd	***	***	***	***	10-20
3	Any other	***	***	***	***	55-65

G. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

G.1 Submissions made by other interested parties.

75. The other interested parties have made the following submissions with regard to injury and causal link:

- a. The imports from subject country increased with the increase in demand. This increase in imports is aligned with market growth. The imports from subject country hardly account for 5% share in demand.
- b. Imports increased to fulfil demand and supply gap due to increase in demand.
- c. The import price of the product has increased in the period of investigation by 9% compared to base year. Therefore, the submission of the applicant that import price has caused a decline in PBT by 68% is irrational and is not explained.
- d. The sales of the applicant and supporters have increased in the period of investigation. This shows that the Indian industry's sales increased with increase in demand and is not affected by imports.
- e. The applicant's profits declined while other producers' profit have increased. If supporters performed well despite imports, the applicant could have also similarly enhanced their performance.
- f. There has been increase in interest and depreciation cost during the period of investigation.
- g. Base year was impacted due to Covid 19 conditions and the raw material prices in that period were high which resulted in price increase and supply chain disruption. Any comparison of injury with base year cannot give accurate picture.
- h. The inventory with the applicant has declined in the period of investigation.
- i. Despite having surplus capacities in the market, the applicant has increased in capacities for the product.
- j. The profit, PBIT and cash profit increased in the period of investigation compared to previous year. Had the applicant been adversely affected, the performance parameters would have further deteriorated.
- k. The increase in the cost of sales by 14% in the period of investigation as compared to base year is due to increase in the interest cost.
- l. The profitability of the applicant was impacted by other factors and not by the import price and it is evidence that the fall in profits could be on account of substantial increase in depreciation and interest cost.
- m. Return on capital employed for the purpose of non-injurious price should not be allowed at 22%
- n. There is an overlap of 6 months between the period of investigation and previous year, but the performance has not deteriorated between period of investigation as compared to previous years.
- o. The submission of the applicant that comparison between performance in domestic and export market shows injury in the domestic market has no legal basis. The alleged injury is on the domestic operation only and as a matter of practice, export performance is not taken into cognizance.
- p. The applicant has claimed segment wise analysis of injury. The injury is required to be determined for domestic operations as a whole.

- q. In the annual report of the applicant, several other factors have been highlighted as factors affecting injury.
- r. The applicant has failed to address crucial issues on Russia Ukraine War, depressed market conditions globally, unprecedented increase in the prices of raw materials and indirect material etc
- s. The applicant produces different type of pigments, and it is a possibility that it utilizes the same plant for producing other pigments as well. The applicant has not provided production data for NPUC.
- t. The profitability was impacted due to other factors such as shutdown and on account of increase in depreciation and interest cost.

G.2 Submissions made by the applicant.

76. The applicant has made the following submissions with regard to injury and causal link:
- a. Performance of the period of investigation should be compared with year 2020-2021 or 2021-2022 and not 2022-2023. Period of investigation overlaps with preceding year and the applicant has already filed an application claiming injury in 2022-2023.
 - b. Despite there being no demand supply gap, the imports from the subject country have increased in the period of investigation. As a result, applicant profitability sharply declined in the period of investigation.
 - c. The landed price of imports is below the cost of sales of the applicant. If the situation of dumping continues and the applicant is forced to match the import prices, it will suffer from financial losses, cash flow issue and negative ROI.
 - d. The dumping margin is exceptionally high, showing that the Chinese producers are willing to ship at whatever price offered.
 - e. Demand for the product declined in 2021-22, increased in 2022-23 and further increased in the period of investigation. Overall, the demand for the product has increased in the investigation period.
 - f. While the imports from China have increased in 2022-23 and in period of investigation, the imports from other countries have declined. Imports from China PR constitute more than 80% of total imports.
 - g. The applicant has sacrificed significantly on the profitability to hold its market. The low-priced imports have impacted the applicant profitability.
 - h. The low-priced imports from China PR are undercutting the prices and cost of the applicant on PCN wise basis as well as on weighted average basis.
 - i. When the cost of sales declined in period of investigation, the selling price of the applicant has declined by higher rate. The applicant's prices are depressed.
 - j. The applicant has expanded its capacity in 2021-2022 and in 2022-23. The Indian industry has the sufficient capacity to cater the entire demand in India.
 - k. The production, capacity utilization and domestic sales declined in 2022-23 and marginally increased in the period of investigation.

- l. Despite increase in the demand, the applicant has accumulated inventories throughout investigating period.
- m. The profits of the applicant declined by 68% as compared to base year and 74% as compared to 2021-22 in the period of investigation.
- n. The profits of the applicant steeply declined in 2022-23 and then increased marginally in the period of investigation.
- o. Cash profit and PBIT have also declined almost by 42% in period of investigation compared to 2021-22.
- p. As the low-priced imports from China PR increased, the applicant's return on investment declined. In the period of investigation, the ROI of the applicant declined by 70% compared to base year.
- q. The low-priced imports severely impacted on the prices of the applicant and resulted in decline in profitability. The landed price of subject imports is approx. Rs *** MT lower than the fair value.
- r. Applicant has experienced negative growth in price parameters.
- s. Decline in profitability has impaired applicant's ability to raise further capital. Since the Indian industry is MSME industry, they cannot continue to inject fund into their business if the same is not reasonably profitable.
- t. The applicant has exported the product to various countries. The profits of the applicant are higher in export market compared to domestic market. The profit in the export market shows that the applicant suffered injury in domestic market due to dumped imports.
- u. The market for the product can be divided into three categories – inks, coatings and plastics. The imports are taking place in inks and coating segment. Applicant is suffering from real wrath of injury in the Inks and Coatings market segment.
- v. Report of the Appellate Body in case of Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel Products from Japan allows Authority to undertake segment wise analysis.
- w. The domestic sales of the applicant in inks and coatings have not increased in relation to increase in demand. The profitability of the sales meant for Coatings Division has declined by more than 80% over the injury period and more than 70% in case of Inks segment.
- x. As regards the submission that the depreciation and interest cost have increased, it is due to increase in the capacity of the applicant.
- y. On the submission of the interested parties that import price has increased, there are more than 200 color mix sold by the applicant and imported from China PR. Considering such huge product mix, an average comparison of one year with another year cannot be made.
- z. As the low-priced imports increased in 2022-23 and in the period of investigation, the profits of the applicant declined in 2022-2023 with marginal increase in the period of investigation.

- aa. It is the consistent practice of the Designated Authority and the view taken by the Hon'ble Tribunal, at least a return of 22% has to be allowed to the applicant.
- bb. The other interested parties have not provided any evidence while alleging number of factors causing injury to the applicant. Further, the applicant is exporting the product globally at very high prices.
- cc. The rules require Authority to segregate the impact, and other interested parties were required to identify the factor. Reference is placed on the WTO Panel Report – X-ray equipment.
- dd. The inter-se competition existed in the years 2020-21 and 2021-22. If it were the cause of injury, the applicant would have experienced harm in those years as well.
- ee. The low-priced imports from China PR have impacted the operations of other producers as well. While larger producers may be able to endure the injury for a short period, survival becomes increasingly difficult for the MSME producers.

G.3. Examination by the Authority

- 77. Rule 11 of the Anti-Dumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles..*”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.
- 78. The Authority has taken note of various submissions made by the domestic industry and other interested parties on injury and causal link and has analyzed the same considering the facts available on record in light of applicable laws. The injury analysis made by the Authority addresses various submissions made by the domestic industry and other interested parties.
- 79. With regard to the contention by other interested parties that the injury to the domestic industry is due to the internal problems, depressed market conditions globally, fluctuations in the prices of raw materials, Russia Ukraine War etc., Authority notes that the interested

parties have advanced mere statements and have not produced any verifiable documentary evidence to substantiate their claims. The demand in the domestic market shows an increase in the period of investigation; and, therefore, the contention that the injury is due to “depressed market conditions globally” cannot be considered. As regards injury due to Russia Ukraine conflict and depressed market conditions globally, the Authority has considered the data of the applicant for domestic operations only. The Authority also draws reference to the WTO Panel Report in China – X-Ray Equipment, wherein the Panel held that where an interested party identifies a factor other than dumped imports causing injury but does not provide evidence showing how this factor is causing injury to the domestic industry, the investigating authority is not required to make a determination with regard to that factor.

80. The other interested parties have contended that the profitability of the other producers has increased. The applicant on the other hand has stated that the profitability of the other producers is also adversely affected. Further, the Authority notes that reliance cannot be placed only on the annual reports as the investigation pertains to the product under consideration and not the entire scope of operations of the domestic industry.
81. With regard to the submission made by other interested parties for consideration of return of 22% for determination of non-injurious price is not appropriate, the Authority notes that it has consistently allowed 22% return on capital employed. There is no justification to deviate from this practice and thus the same has been adopted in the present investigation as well.
82. As regards the submission that capacity of the applicant is being utilized for other products as well, the Authority notes that the capacity for the production of PUC only has been considered. The non-product under consideration is produced at separate plants at the same location and their operations have no bearing on the operations of the product under consideration.
83. With regards to the contention raised by other interested parties that the decline in profitability is because of the substantial increase in interest and depreciation cost, the table below shows the relevant information on depreciation and interest cost and cash profits and PBIT.

SN	Particular	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Depreciation cost	Rs/MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	106	131	120
2	Interest cost	Rs/MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	119	223	193
3	Cash profits	Rs/MT	***	***	***	***

	Trend	Indexed	100	126	47	47
4	PBIT	Rs/MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	119	64	62

84. It is seen that the depreciation cost and interest cost increased till 2022-23 on account of capacity expansion, but has declined in the period of investigation. The cash profits and PBIT have also declined in the period of investigation. It is also seen that even when the depreciation cost has increased by Rs *** per MT and the interest cost has increased by Rs *** per MT, the cash profit has declined by Rs *** per MT. The profit before interest and tax has also declined by Rs *** per MT. As the decline in the cash profit and profit before interest and tax is much higher than the increase in the cost on account of depreciation and interest costs, the Authority is unable to appreciate the arguments attributing depreciation and interest costs as primary reasons for injury to the domestic industry.
85. The Authority notes that the applicant had earlier filed the application proposing 2022-23 as the period of investigation. The applicant had claimed that the imports from the subject country were entering the domestic market at dumped and claimed to have suffered from material injury. Therefore, the applicant has requested to not compare performance in the period of investigation with 2022-23. The other interested parties have claimed that the base year was impacted by Covid-19 and therefore, comparison should not be made with base year. The Authority examined the data for the entire injury period including the period of investigation to see if the producer has suffered material injury. The purpose of determination of a period of investigation and the complete injury period for injury assessment is to consider the performance of the domestic industry for the entire period of four years. Therefore, the Authority has compared the performance of the domestic industry from the base year and the performance in the intervening period has been given due weightage.
86. It has been claimed that the injury suffered is due to inter-se competition between domestic producers. The Authority notes the decision of the *Appellate Body in European Union – Biodiesel (Argentina)*, wherein it was held that an Authority is not required to conduct a non-attribution analysis with respect to features that are inherent to an industry and have remained unchanged over the injury period.
87. The Authority notes that the inter-se competition existed even during the year 2020-21 and 2021-22 and if that was the cause of the injury, the applicant would have suffered in those years as well. However, the domestic industry has not suffered injury during these years.

G.3.1 Assessment of demand/apparent consumption

88. For determination of demand/apparent consumption of the product in India, the Authority has considered the domestic sales of the applicant, domestic sales of the supporters (as per support letter of producers who supported at the stage of initiation), domestic sales of other Indian producers (as per estimate provided by the applicant) and imports from all sources.

SN	Demand/Consumption	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Sales by applicant	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	91	91	102
2	Sales of supporters	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	124	129	124
3	Sales of other Indian producers	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	93	92	111
4	Imports from subject country	MT	1,809	1,645	1,863	2,137
5	Imports from other countries	MT	480	514	412	405
6	Total Demand in India	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	97	99	111

89. It is seen that demand for the product under consideration declined in 2021-22 marginally, increased in 2022-23 marginally, and further increased in the period of investigation. The demand has increased over the injury period.

G.3.2 Volume effect of dumped imports on the domestic industry

90. With regards to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied on the DG system import data. The information is as below:

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
A	Imports volume					
1	Imports from subject country	MT	1,809	1,645	1,863	2,137
2	Imports from other countries	MT	480	514	412	405
B	Subject Imports in relation to					
1	India consumption	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	93	105	107
2	India production	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	92	114	112
3	Total imports	%	79%	76%	82%	84%

91. It is seen that: -

- a. The volume of imports from China PR declined in 2021-22, increased in 2022-23 and further increased in the period of investigation.
- b. The imports have increased over the injury period. The imports have increased in comparison to the base year as well as immediately preceding year.
- c. While the imports from subject country have increased, the imports from other countries have declined over the injury period.
- d. The imports in relation to production and consumption have remained constant over the injury period.
- e. The imports from the subject country hold more than 80% share in the total imports to India throughout the investigation period.

G.3.3 Price effect of the dumped imports

92. With regard to the effect of the dumped imports on the prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices or prevent the price increase, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject country with reference to the price undercutting and price suppression/ depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production and the selling price of the domestic industry have been compared with the landed price of the imports of the subject goods from the subject country.

a. Price undercutting

93. For the purpose of price undercutting analysis, the net sales realization of the domestic industry has been compared with the landed value of imports from the subject country. Weighted average price undercutting has been determined considering price undercutting for the Azo Pigment color-wise and their associated import volumes and import value.

94. The table below shows PCN wise price undercutting: -

SN	Particulars	Unit	Red	Yellow	Orange	Weighted Average
1	Import volumes	MT	1,032	1,056	49	2,137
2	Landed price of imports	Rs./MT	***	***	***	
3	Net Selling realization	Rs./MT	***	***	***	
4	Price Undercutting	Rs./MT	***	***	***	
5	Price Undercutting	%	***	***	***	5%
6	Price Undercutting	Range	Negative	10-20	0-10	0-10

95. It is seen that landed price of subject imports in the period of investigation is significantly below the selling price of applicant resulting in positive price undercutting.

b. Price suppression/depression

96. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to depress such prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period are examined as below:

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	114	131	114
2	Net Selling realization	Rs./MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	116	121	105
3	Landed price	Rs./MT	500,545	608,295	603,528	538,439
	Trend	Index	100	122	121	108

97. It is seen that the cost of sales and selling price of the applicant increased in 2021-22. The increase in selling price was higher than the cost of sales. The cost of sales and selling price further increased in 2022-23. However, the selling price did not increase in proportion to the increase in the cost. In the period of investigation, while the cost of sales has declined, the selling price has declined at a rate more than the decline in cost. It is therefore seen that the prices of the applicant are suppressed.

G.3.4 Economic parameters of the domestic industry

98. Annexure II to the Anti-Dumping Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all the relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in the sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of the dumping; actual and potential negative effects on the cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise the capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions:

a. Capacity, production, capacity utilization and domestic sale

99. The Authority has considered capacity, production, capacity utilization and domestic sales of the applicant over the injury period.

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Capacity	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	101	111	111
2	Production	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	94	86	104
3	Capacity utilization	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	93	77	93
4	Domestic sales	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	91	91	102

100. It is seen that:

- a. The applicant has increased its capacity over the injury period.
- b. The production and capacity utilization of the applicant declined in 2021-22, further declined in 2022-23 and then increased in the period of investigation. Whereas the production in the POI was higher than the production in base year, the capacity utilization in the POI was lower than the capacity utilization in the base year.
- c. The domestic sales of the applicant have also shown a similar trend.
- d. It has been submitted by the applicant that to hold its domestic sales and market share in the domestic market, it compromised on its profitability.

b. Market share

101. The Authority has examined the effect of the dumped imports on the market share of the domestic industry and other Indian producers as under.

SN	Market share of	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Applicant	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	94	92	92
2	Supporters	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	127	131	112
3	Other Indian producers	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	95	94	100
4	Imports from China PR	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	93	105	107
5	Imports from Other countries	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	110	87	76

102. It is seen that the market share of applicant declined in 2021-22 and has remained at same level till the POI. The market share of the supporters increased in 2021-22 and then remained at similar level in 2022-23 and then declined in the period of investigation. The market share

of dumped imports has remained at similar levels over the investigation period. It has been submitted by the applicant that to hold its domestic sales and market share in the domestic market, it compromised on its profitability.

c. Inventories

103. The inventory position with the applicant over the injury period is given in the table below:

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Opening stock	MT	***	***	***	***
2	Closing stock	MT	***	***	***	***
3	Average stock	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	92	93	81

104. It is seen that the average inventory with the domestic industry declined in 2021-22. This was the period when the volume of imports had also declined. However, the average inventory increased marginally in 2022-23 but declined in the period of investigation.

d. Profitability, cash profits and return on capital employed.

105. The performance of the applicant has been examined in respect of profitability, profits, cash profits, PBIT, and return on investment.

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Profit/ (Loss) per unit	Rs./MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	127	29	32
2	Profit/ (Loss) as % of cost	Rs./MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	111	22	28
3	Total Profit/Loss before tax	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	115	26	33
4	Cash Profit per unit	Rs./MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	119	64	62
5	Total Cash Profit	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	109	58	63
6	PBIT per unit	Rs./MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	126	47	47
7	Total PBIT	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	115	42	48
8	ROCE	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	87	32	36

106. It is seen that:

- a. As compared to the base year, the profits of the applicant improved in 2021-22. However, as the low-priced imports increased, the profits of the applicant declined significantly in 2022-23. Even though, profits of the domestic industry marginally increased in the period of investigation, the same were still materially below the earlier period.
- b. The profits of the applicant have declined by 68% over the injury period. When compared with the year 2021-22, the profit of the applicant in the period of investigation declined by 75%.
- c. The profit as % of cost declined from ***% in the base year to ***% in the period of investigation.
- d. The cash profit per unit and PBIT per unit increased in 2021-22, declined in 2022-23 and further declined in the period of investigation. The cash profit and PBIT are lowest in the period of investigation.
- e. Total cash profit and PBIT increased in 2021-22, declined in 2022-23 and then witnessed a marginal increase in the period of investigation.
- f. The return on capital investment declined sharply in the period of investigation as compared to base year as well as 2021-22. The return on investment declined to almost 1/3rd in the POI as compared to base year.

e. **Employment, wages and productivity**

107. Employment, wages and productivity of the applicant over the injury period are given in the table below:

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	No of Employees	Nos	***	***	***	***
	Trend	Index	100	115	108	103
2	Productivity per day	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	94	86	104
3	Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	111	104	110

108. It is seen that:

- a. The number of employees with the applicant increased in 2021-22 but has declined in 2022-23 and further declined in the period of investigation.
- b. The productivity per day and wages paid by the domestic industry have improved in the period of investigation.
- c. The applicant has submitted that these parameters are dependent on several other parameters and therefore do not reflect the injury suffered by the industry.

f. **Growth**

109. The growth of the applicant in terms of capacity, production, domestic sales volume, PBT, PBIT, cash profits and the return on capital employed is as per given table below:

SN	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	POI
1	Capacity	Y/Y	1%	9%	0%
2	Production	Y/Y	-7%	-9%	17%
3	Domestic Sales Volume	Y/Y	-10%	0%	11%
4	Inventory	Y/Y	-9%	2%	-15%
5	PBT per unit	Y/Y	27%	-98%	3%
6	PBIT per unit	Y/Y	26%	-79%	0%
7	Cash Profit per unit	Y/Y	19%	-56%	-2%
8	Return on Capital Employed	Y/Y	-13%	-55%	4%

110. It is seen the volume parameters of the applicant showed negative growth in 2021-22. In the same period, the price parameters, barring ROCE showed positive growth. In the year 2022-23, the applicant experienced significant negative growth in price parameters and no or negative growth in volume parameters. In the period of investigation, the applicant has seen negative growth in some of the price parameters, and positive growth in the volume parameters. However, the growth in all the parameters was much lower as compared to deterioration in the preceding year. Overall growth of the domestic industry was mildly positive in volume parameters and significantly negative in all price parameters.

g. Magnitude of dumping margin.

111. The magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped into India. The investigation has shown that the dumping margin is positive and significant during the period of investigation.

h. Ability to raise capital investment.

112. The Authority notes that as the import price declined, the profitability and return on capital employed by the applicant declined significantly over the injury period. Resultantly, the ability of the applicant to raise capital investment has been significantly impacted.

i. Factors affecting the prices.

113. Examination of the import data shows that the import price from China PR is materially below the cost of sales and selling price of the applicant. Due to lower price of imports, the applicant was unable to align its selling price in proportion to the changes in the cost. As a result, the profitability of the applicant declined sharply over the injury period. The imports from China PR have affected the prices of the applicant.

Conclusion on Injury

114. On the basis of the factors as examined above the following has been concluded:
- a. The subject imports have increased in absolute term over the injury period. The subject imports in relation to production and consumption have remained at similar levels over the injury period.
 - b. The imports are below the selling price of the domestic industry resulting in positive price undercutting.
 - c. The domestic industry has been unable to increase its prices in line with the increase in the cost. Dumped imports were suppressing the prices of the domestic industry in the market.
 - d. The domestic industry has increased its capacity over the injury period. The domestic industry is operating with idle capacities.
 - e. Faced with the low-priced imports, the domestic industry has been forced to sacrifice its profitability to retain its domestic sales and production.
 - f. The profits of the domestic industry have declined by 68% over the injury period.
 - g. The cash profit and profit before interest have declined significantly over the injury period.
 - h. The return on investment declined to almost 1/3rd in the period of investigation as compared to base year.
 - i. The domestic industry has faced negative growth in price parameters.
 - j. The dumping margin is significant.
115. The Authority therefore concludes that the domestic industry has suffered material injury.

H. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

116. As per the Rules, the Authority, *inter alia*, is required to examine any known factors other than the dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the applicant, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and the domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the applicant. It has been examined below whether the factors listed under the Rules could have contributed to the injury suffered by the applicant.
- a. **Volume and price of imports from third countries**
117. Imports from the subject country constitute 84% share in the total imports into India. The imports of the subject goods from other countries are at higher prices and hence are not causing injury to the applicant.

b. Contraction in demand

118. It is seen that the demand for the subject goods has increased over the injury period. Therefore, the applicant has not suffered injury due to possible contraction in demand.

c. Changes in the pattern of consumption

119. There has been no known material change in the pattern of consumption of the product under consideration.

d. Trade restrictive practices

120. No interested parties have provided any evidence relating to any known trade restrictive practice, which could have caused injury to the applicant. Therefore, the Authority concludes that trade restrictive practice has not caused injury to the applicant.

e. Development of technology

121. The Authority notes that the technology for the production of the subject goods has not undergone any change. Hence, development in technology has not caused injury to the applicant.

f. Export performance

122. The Authority has considered the injury data for the domestic operations separately for the injury analysis. Therefore, export performance is not the cause of injury to the applicant.

g. Performance of other products

123. The Authority has considered data relating to the performance of the subject goods only. Therefore, the performance of the other products produced and sold by the applicant is not a possible cause of injury.

Conclusion on causal injury

124. It is seen that there are no other factors which could have caused injury to the domestic industry. Therefore, the Authority concludes that the injury to the domestic industry has been caused by dumped imports, as is established by below.

- a. Imports from the subject country are at dumped prices. The import price is below the cost and selling price of the domestic industry. Resultantly, imports were undercutting the prices of the domestic industry in the market.
- b. The price undercutting caused by the dumped imports has suppressed the prices of the domestic industry in the market. The domestic industry was unable to increase its price in same proportion to increase in cost.

- c. Due to price suppression, the profitability of the domestic industry declined over the injury period.
- d. The domestic industry recorded lowest profit before tax, cash profit and PBIT in the period of investigation. The return on capital employed declined sharply. These were a result of price suppression caused by dumped imports.
- e. The domestic industry decided to hold its market share and sacrifice on the profitability.
- f. Domestic industry has recorded negative growth in price parameters.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

125. The Authority has determined the non-injurious price for the applicant on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the applicant. The non-injurious price has been compared with the landed price of the product under consideration from the subject country for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilization of the raw materials and utilities and the best utilization of production capacity has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses and/or assets have been excluded from the cost of production and/or non-injurious price. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) deployed for the product under consideration has been allowed for recovery of interest, corporate tax, and profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules.

126. The landed price and non-injurious price determined as above have been compared for the Azo Pigment on a PCN basis. The weighted average of the injury margin determined for the producers/exporters is provided in the table below:

SN	Particulars	NIP	Landed price	Injury margin	Injury margin	Range
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	%
1	Ruian Baoyuan Chemical Industry Co. Ltd.	***	***	***	***	20-30
2	Zhejiang Shengda Charter Win Chemical Co. Ltd	***	***	***	***	0-10
3	Any other	***	***	***	***	30-40

J. INDIAN INDUSTRY INTEREST AND OTHER ISSUES

J.1 Submissions made by other interested parties.

127. The other interested parties have made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:
- a. Azo Pigment are essential for various industries and imposition of duty could disrupt supply chain, leading to increase in cost and reduce availability for downstream industry.
 - b. Imposition of duty could lead to job losses and economic setbacks, impacting local economies and livelihoods.
 - c. Azo pigments do form part of one or the other raw material for the downstream industry.
 - d. The applicant claims of CSR expenditure incurred under "Sudha" program are society initiatives and are irrelevant in anti-dumping investigation. This assertion is baseless and divert attention from the core issues.

J.2 Submissions made by the applicant.

128. The applicant has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:
- a. The product is not a basic raw material for production of downstream products. The product is used as a coloring agent. Therefore, it does not form a significant part of the operation of the downstream industry.
 - b. There is wide range of grades in product under consideration. While usage concentration in some grades is higher, the concentration of others is lower.
 - c. Imposition of measure will not lead to monopoly as there are 15 producers in India and there are imports from other countries as well. The Indian industry will be required to compete inter-se and with other sources.
 - d. Indian industry has capacity of around *** MT against demand of *** MT for the product. India has surplus capacities to cater the demand.
 - e. Though the applicant is a public listed company, other producers belong to MSME sector. While the applicant may be able to sustain for short period. other producers may be unable to sustain.
 - f. MSME producers are primarily single product company. The livelihood of MSME producers is dependent on their continued operations.
 - g. Applicant has introduced a program called "Sudha" to improve people's standard of living. The funding for this program comes from the profits earned. During POI, close to Rs. 1000 lakh has been spent on the program. Decline in profitability due to dumping will adversely affect these initiatives.
 - h. The applicant is regularly exporting the product, demonstrating that the applicant is capable of meeting the global standards, quality and technical requirements.
 - i. The absence of a user questionnaire from the participating user indicates that users will not be adversely impacted.

J.3 Examination by the Authority.

129. The Authority considered whether imposition of the proposed anti-dumping duty will be against public interest. This determination is based on consideration of information on records and interests of various parties including the domestic industry, foreign producers and consumers.
130. The Authority issued gazette notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the users to provide the relevant information with regard to the present investigation, including possible effect of the anti-dumping duty on their operation. The Authority sought information on, *inter-alia*, interchangeability of the product supplied by the various suppliers from different countries, ability to switch sources, the effect of the anti-dumping duty on the consumers, the factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by the imposition of the anti-dumping duty.
131. The Authority had prescribed an economic interest questionnaire which was sent to all interested parties in this investigation. Apart from the applicant, none of the interested parties have provided information on the impact of measures. The applicant has quantified the following impact of anti-dumping duty.

SN	Particulars	Unit	Industry		
			Coatings	Plastics	Inks
1	Estimated price of downstream product	₹/Kg	200	300	250
2	Azo import price from China	₹/Kg	550	550	550
3	Increase in price by 5%	₹/Kg	27.5	27.5	27.5
4	AZO share in downstream	%	7%	18%	13%
5	Increase in cost	₹/Kg	1.93	4.95	3.58
6	Impact in %	%	0.96%	1.65%	1.43%

132. It is seen that the impact of imposition of anti-dumping duty on end consumers is insignificant. The Authority also notes that no user has participated in the present investigation claiming the adverse impact of measures. The product under consideration is a coloring agent and not a major raw material to produce a product.
133. It has been contended that there is a demand and supply gap in India. The Authority notes that the Indian industry has the capacity of more than 60,000 MT as against the demand of *** MT. It is seen that the Indian industry has sufficient capacity to cater the entire demand in the country.

134. With regard to the contention that the applicant is trying to monopolize the market and that the anti-dumping duty will impact downstream industry, the Authority notes that imposition of anti-dumping duty does not restrict imports. Imports will continue to happen at fair prices. Anti-dumping duty ensures that the imports are entering the Indian market at fair prices and a level playing field is maintained between the foreign exporters and the Indian industry. Imposition of anti-dumping duty will not create monopoly of the applicant in the Indian market. Apart from the applicant, there are 14 other producers of the subject goods in the Indian market.
135. The Authority notes that barring a few producers, all other producers of product in India belong to the MSME sector. Imposition of duties would help them to arrest the decline in their performance and protect their legitimate interests. Imposition of duties would help the producers to stay viable and competitive.

K. Post disclosure submissions.

K.1 Submissions made by other interested parties

136. The other interested parties have made the following comments to the disclosure statement:-
- a. The Authority did not consider the role of major domestic producers such as Huber Group India Private Limited and Heubach Colorants India Ltd. Huber and Heubach have significant market shares and production capacities. Exclusion undermines the representativeness of the domestic industry.
 - b. Azo pigments from China PR are superior to Indian pigments, in terms of specific surface treatments required for high-quality applications such as offset inks.
 - c. Use of the “surrogate country” in calculating the normal value, lacks a multilateral legal basis post-2016 following the expiry of certain provisions under China’s WTO accession protocol.
 - d. The use of a 22% ROCE for determining the non-injurious price is outdated. The rate was established in 1987 when interest rates and corporate taxes were significantly higher. Thus, applying the same rate today inflates injury margins and offers undue protection to the domestic industry.
 - e. There are discrepancies in the import data presented in the disclosure statement compared to the data submitted by the domestic industry. The differences in import volumes could affect the injury analysis and should be reconciled.
 - f. The refusal to grant individual dumping margin to Lily Group Co. Ltd. violated Rule 17(3) of the anti-dumping rules. The Authority should not penalize the producer for indirect exports made by unrelated parties, of which it had no knowledge. The Authority can use Indian customs data to verify the total imports attributable to Lily Group.

- g. It is DGTR practice not to include secondary packaging costs while determining NIP. Reference is placed on recent investigation on imports of Easy Open Ends where the Authority excluded secondary packaging costs from the NIP and called for a consistent approach in the current case.
- h. The Authority while determining the impact of anti-dumping duties on end users underestimated the potential impact on import prices.
- i. “Facts available” methodology has been applied to Longkou Union Chemical Co. Ltd. data due to missing transaction records. The company acknowledged that two transactions were omitted from its questionnaire response but explained that this was due to a system error linked to their revenue recognition process.
- j. The Authority is lenient towards the domestic industry regarding the delay in disclosing self-imports and strict standards are applied to the exporters for the delay in the disclosure of the information.
- k. Jiangxi Longyuan Chemical Co., Ltd. omission of certain indirect export sales was unintentional and stemmed from a lack of knowledge regarding the ultimate destination of its sales made to an unrelated company, Color & Effect Shanghai Ltd.
- l. In response to a clarification request from the Authority dated 4th February 2025, Jiangxi Longyuan Chemical Co., Ltd promptly submitted details of its exports to Color & Effect Shanghai Ltd, including sales invoice numbers and quantities involved in the indirect exports. Despite this, the Authority maintained that Jiangxi Longyuan Chemical Co., Ltd had failed to provide complete information and applied the “facts available” methodology.
- m. Jiangxi Longyuan Chemical Co., Ltd had reported its domestic sales to Color & Effect Shanghai Ltd in the Appendix 4A. Therefore, it cannot be considered that the producer did not provide adequate information.
- n. Authority has failed to exercise “special circumspection” before applying facts available. All the necessary information was on record. The Authority could have computed the export price by cross-referencing data from Jiangxi Longyuan Chemical Co., Ltd and CES.

K.2 Submissions made by the domestic industry

137. The domestic industry has made the following comments to disclosure statement:-

- a. For an individual dumping margin, a complete and accurate questionnaire response is crucial. Exporters must fully establish normal value and export price. In the present investigation, producers failed to do so. Thus, they are not eligible for an individual dumping margin.
- b. To claim an individual dumping margin, producers must disclose all exports made to India. If producers sell material to unrelated exporters who do not respond, the Authority cannot determine the final export price of the goods to India. It is essential that all involved parties submit complete questionnaire responses.

- c. In the present investigation, Jiangxi Longyuan Chemical Co. Ltd., Lily Group Co. Ltd., and Longkou Union Chemical Co., Ltd. have not provided information on their exports through merchant exporters, leading to a deficient response by the producer.
- d. The Authority has in past investigations not accepted responses filed by the producers whose value chain was not complete.
- e. In various jurisdictions, it's common practice to reject responses from producers who don't submit complete information on time. The USDOC requires producers to provide full information to the best of their ability. If necessary information is missing or if the exporter fails to meet deadlines, impedes the process, or provides unverifiable data, the USDOC considers them uncooperative and may apply adverse inferences.
- f. The Authority's determination of normal value and non-injurious price did not account for secondary packaging has led to understated dumping and injury margins.
- g. Ruian Baoyuan Chemical Industry Co. Ltd and Zhejiang Shengda Charter Win Chemical Co. Ltd have not reported primary and secondary packing expenses.
- h. The exporters have not submitted complete information regarding necessary export price adjustments, which is crucial for fair comparison with normal value and non-injurious price.
- i. The Authority hasn't considered packing expenses in export price calculations. While the normal value and non-injurious price exclude secondary packing, the export price and landed price include it. The global practice is to adjust secondary packing in export price calculations.
- j. The NIP determined by the Authority excludes secondary packing expense. Principle of fair comparison requires adjustment of the same in the landed price as well.
- k. The volume of imports from China PR further increased in the post period of investigation. While the import price has declined in the post period of investigation, the cost of production has not declined at the same rate.
- l. Anti-dumping duty should be recommended for a period of 5 years as barring the applicant, the other producers belong to MSME sector.

K.3 Examination by the Authority

138. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the interested parties. It is observed that the majority of these submissions are reiterations of arguments and contentions that have already been examined and addressed to the extent deemed necessary in the relevant paragraphs of these final findings. For the sake of brevity, the Authority has refrained from repeating the responses to such issues in this post-disclosure examination. However, any new issues raised for the first time in the post-disclosure submissions, as well as those previously addressed but deemed by the Authority to require further examination, are examined and addressed hereinunder.

139. On the contention that the impact of anti-dumping duty considered by the Authority undermines the potential impact on the prices, the Authority has recorded the facts based on the information provided by various interested parties during the course of the investigation. None of the other interested parties have quantified the impact of proposed anti-dumping duty on end consumers. The Authority acknowledges that the imposition of anti-dumping duties may influence the price levels of the product in India. However, it is crucial to note that the essence of fair competition in the Indian market will remain unscathed by the imposition of these measures. Further, the disclosure statement has already examined the impact of anti-dumping duty on end consumers, and it is not significant.
140. On the contention that secondary packing should be included in the non-injurious price, the Authority notes that the non-injurious price has been determined as per the principle enshrined in Annexure III of the AD Rules and the consistent practice of the Authority. However, the Authority notes that the secondary packing cost is included in the landed price of imports and the ex-factory export price determined for the participating producer. The Authority notes that principles of fair comparison require a fair comparison of domestic industry prices with import prices. Domestic industry and imports compete with each other at the same level. Comparison of non-injurious price, which does not include secondary/tertiary packing, with import price which includes secondary/tertiary packaging would be inappropriate and not in accordance with the Annexure-I of the rules. It is also seen that Jiangxi Longyuan Chemical Co., Ltd has reported price adjustment of *** USD/MT on account of secondary packaging. Further, Longkou Union Chemical Co., Ltd has informed that the average secondary packaging cost is *** USD/MT which consists of corrugated boxes and pallets. In view of the above, the Authority considers it appropriate to adjust the ex-factory export price and landed price with the secondary packaging cost. Since two of the participating producers have provided relevant information, the Authority has considered lower of the two packaging costs as reported by these companies. The net export price and the landed price of the participating producers have been re-quantified and shown in the dumping margin and injury margin tables above in the respective para.
141. With respect to the claims for individual margins and application of facts available by Lily Group Co., Ltd., Jiangxi Longyuan Chemical Co., Ltd., and Longkou Union Chemical Co., Ltd, the Authority notes the argument that since all necessary information is now on record, the Authority should not apply facts available and should determine individual margins based on the submitted data. The Authority, however, is unable to accept this argument, as the missing transactions were discovered by the Authority during the verification process, rather than being voluntarily disclosed by the exporters. The exporters were required to provide a complete and accurate disclosure of all export transactions to India in their questionnaire responses.

142. The Authority finds that the failure to report all export transactions in a timely manner has significantly impacted the accuracy and reliability of the submitted data. The omission of transactions, particularly those routed through traders, directly affects the determination of export price and dumping margin. The belated submission of the data, on being pointed out by the authority, does not remedy the exporters' failure to comply with the established procedural requirements. Further, given the structure of indirect exports observed in the investigation, the possibility about the involvement of multiple traders in supplying the exporters' products to India cannot be ruled out.
143. The completeness of data is a fundamental requirement for determining individual margins, and that the exporters only provided the missing data after the Authority identified discrepancies and therefore the Authority deems it appropriate to apply facts available under Rule 6(8) of the Anti-Dumping Rules.
144. Accordingly, the Authority maintains that facts available methodology will be applied to determine the dumping margins for Lily Group Co., Ltd., Jiangxi Longyuan Chemical Co., Ltd., and Longkou Union Chemical Co., Ltd.
145. The exporters have argued that the Authority applied stricter standards to exporters for delays in disclosing information, while being more lenient toward the domestic industry's delayed reporting of self-imports. The Authority rejects this argument, as there is a fundamental difference in the nature and materiality of the delayed disclosures.
146. The domestic industry voluntarily disclosed its self-imports at an early stage of the investigation through an official letter, followed by written submissions providing complete details. In contrast, the missing export transactions from the exporters were identified by the Authority during verification, rather than being proactively reported by the exporters themselves.
147. Furthermore, the volume of self-imports reported by the domestic industry was insignificant in comparison to its total production and sales, whereas the undisclosed exports by the exporters had a direct impact on the dumping margin calculation. The materiality of these omissions thus differs significantly.
148. Therefore, the Authority finds that the comparison drawn by the exporters between their omissions and the domestic industry's delayed reporting of self-imports is not valid.

L. Conclusion

149. Having regard to the contentions raised, information provided, and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority, as recorded in the above findings,

and on the basis of above analysis of the dumping, injury and causal link to the domestic industry, the Authority concludes as follows:

- a. The product under consideration is Azo pigment, a class of synthetic organic pigments widely used in various industries, including paints, cosmetics, inks, and textiles.
- b. Azo pigment is traded in three different colors such as Yellow Pigment, Red Pigment and Orange Pigment. Every colour has different grades, and each grade has different chemical concentrations and properties and therefore has different end use application. All three forms are part of the product under consideration.
- c. Apart from the applicant – Sudarshan Chemical Industries, there are a number of other producers of the subject goods in India. The other producers belong to MSME sectors.
- d. The present application is supported by the Pigments Manufacturers Association of India and other producers, including Anupam Colours Private Limited, Hercules Pigments Private Limited, Kwalichem Private Limited, Micas Organic Limited, Unity Dye Chem Private Limited, Vijay Chemical Industries, Voxco Pigments and Chemicals Private Limited, Kroma Industries, and Asahi Tennants.
- e. The applicant imported small volume of the product during the period of investigation. The volume of imports made by the applicant in relation to applicant production and domestic sales is less than 0.005% and 0.005% respectively. The imports made by the applicant are not in such volume as to disentitle it from being treated as eligible domestic industry.
- f. The applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules. Production of the applicant constitutes a major proportion in the total Indian production.
- g. After examining the responses file by Longkou Union Chemical Co., Ltd, Lily Group Co. Ltd. and Jiangxi Longyuan Chemical Co. Ltd, the Authority found the response filed by these producers were deficient and insufficient to determine individual dumping margin. The Authority has not determined individual dumping margin in respect of these producers.
- h. Considering the normal value and export price for the subject goods, PCN wise, the dumping margin for the subject goods from the subject country has been determined and the margin is positive.
- i. The volume of imports increased over the injury period. The imports from subject country in relation to production and consumption have remained at similar level over the injury period. The imports from subject country hold more than 80% share in the total imports.
- j. The import price of product under consideration is significantly lower than the domestic industry's selling price and cost of sales. These dumped imports are not only undercutting domestic prices but also suppressing them.

- k. With the increase in imports from China, the profits of the domestic industry declined sharply during the period of investigation. The cash profit and PBIT sharply declined over the injury period.
- l. Due to low priced imports from subject country, the return on capital employed of the domestic industry declined by 1/3rd over the injury period.
- m. With increase in imports, the domestic industry recorded negative growth in price parameters.
- n. The investigation has not shown any other factor which could have caused injury to the domestic industry.
- o. None of the users have filed user questionnaire response. The impact of proposed ADD quantified by the domestic industry shows that imposition of anti-dumping duty on end consumers is insignificant.
- p. Imposition of duties would help MSME producers to arrest the decline in their performance and protect their legitimate interests.

M. Recommendations

150. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of duty is required to offset dumping and injury. Therefore, the Authority considers it necessary and recommends the imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject countries.
151. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends the imposition of an anti-dumping duty equal to the lesser margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from subject country for a period of 5 years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below.

S N	Heading/ subheading	Descriptio n of the goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit of measurement	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	32041711, 32041719,	Azo pigment	China PR	Any country,	Ruian Baoyuan Chemical	1387	MT	USD

	32041720, 32041731, 32041739, 32041740, 32041759, 32041769, 32041790.			including China PR	Industry Co. Ltd.			
2	do	Azo pigment	China PR	Any country, including China PR	Zhejiang Shengda Charter Win Chemical Co. Ltd	513	MT	USD
3	do	Azo pigment	China PR	Any country, including China PR	Any other producer other than mentione d in SN 1 and 2	1811	MT	USD
4	do	Azo pigment	Any countr y other than China PR	China PR	Any producer	1811	MT	USD

N. Further procedure

152. An appeal against the determination/review of the Designated Authority in this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

Darpan Jain
(Designated Authority)

भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा.सं. 6/06/2024-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 12 मार्च, 2025

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं.-एडीडी(ओ.आई) 06/2024

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'एजो पिगमेंट' के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच।

समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे “अधिनियम” कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां “नियमावली” कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए।

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे आगे “आवेदक” अथवा “घरेलू उद्योग” कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे आगे “संबद्ध देश” कहा गया है) से एजो पिगमेंट (जिसे आगे “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पीयूसी” अथवा “संबद्ध सामान” कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे “प्राधिकारी” कहा गया है) के समक्ष विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र दायर किया है। वर्तमान आवेदन-पत्र का पिगमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने समर्थन किया है। इस आवेदन-पत्र का अनुपम कलर्स प्राइवेट लिमिटेड, हरक्यूलिस पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड, क्वालीकेम प्राइवेट लिमिटेड, माइकास ऑर्गेनिक लिमिटेड, यूनिटी डाई केम प्राइवेट लिमिटेड,

विजय केमिकल इंडस्ट्रीज, वॉक्सको पिगमेंट एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, क्रोमा इंडस्ट्रीज और असाही टेनेन्ट्स ने भी समर्थन किया है।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त *पृथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर* संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए और आवेदक को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित 29 मार्च, 2024 की अधिसूचना संख्या 6/06/2024-डीजीटीआर के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. प्रक्रिया

3. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:
 - क. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने की कार्यवाही से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
 - ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 29 मार्च, 2024 को सार्वजनिक अधिसूचना जारी की।
 - ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास और ज्ञात उत्पादकों तथा संबद्ध देश के निर्यातकों, संबद्ध सामानों के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों से कहा गया था कि वे जांच की शुरुआत की अधिसूचना में निर्धारित स्वरूप और तरीके में संगत सूचना उपलब्ध कराएं तथा जांच की शुरुआत में निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात अनुरोध दें।
 - घ. प्राधिकारी ने भारत में उन ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को भी जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराई जो संबद्ध सामानों से संबद्ध जाने जाते हैं

और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें।

- ड. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा संबद्ध देश के दूतावास को आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई। आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित की गई थी।
- च. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।
- छ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार चीन जन.गण. में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी:

क्र.सं.	संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों के नाम
1	कलर और इफेक्ट शंघाई लिमिटेड
2	डोंगगुआन गणफेंगक्सिंग प्लास्टिक कं, लिमिटेड
3	फस्ट्रुथ कलरैट्स चाइना कं. लिमिटेड
4	हांगजो ब्रिलियंट केम टेक्नोलॉजी
5	हांगजो ब्रिलियंट प्रॉस्परस इम्पेक्स कं.
6	हांगजो कलर सोर्स इंडस्ट्री कं. लिमिटेड
7	हांगजो कलर सोर्स इंडस्ट्री कं. लिमिटेड
8	हांगजो होंग्यान पिगमेंट केमिकल कं. लिमिटेड
9	हांगजो पैरामाउंट प्रोडक्ट कॉर्पोरेशन
10	ह्यूबाच कलरैट्स सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड
11	जियांगशी लोंगयुआन केमिकल कं. लिमिटेड
12	लिली ग्रुप कं. लिमिटेड
13	लोंगकौ यूनियन केमिकल कं. लिमिटेड
14	नान्चॉन्ग डिक कलर कं. लिमिटेड
15	निंगबो केमी केमिकल्स कं. लिमिटेड
16	सानहू कलर कंपनी लिमिटेड
17	शंघाई गिंक पिगमेंट्स एंड केमिकल्स

18	सिंकोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
19	एसटीएल इकोप्लास्टिक्स कं. लिमिटेड
20	ट्रस्ट केम कं. लिमिटेड
21	त्सांग केमिकल कं. लिमिटेड
22	यूनियन कलर्स बी.वी.
23	यूनिक केमिकल लिमिटेड
24	वर्डकोल लिमिटेड
25	झेजियांग शेंगडा चार्टर विन

ज. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में चीन जन.गण. से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने उत्तर दिया है और निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया:

क्र.सं.	संबद्ध देश में उत्पादक/निर्यातक
1	कलर्स एंड इफेक्ट्स शंघाई लिमिटेड
2	लॉगकौ यूनियन केमिकल कंपनी लिमिटेड
3	लिली ग्रुप कंपनी लिमिटेड
4	रुइयान बाओयुआन केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
5	ट्रस्ट केम कंपनी लिमिटेड
6	वर्ल्डवाइड कलरेंट्स एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड
7	झेजियांग शेंगडा चार्टर विन केमिकल कंपनी लिमिटेड

झ. प्राधिकारी ने भारत में विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को भी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए प्रश्नावली भेजी:-

क्र.सं.	प्रयोक्ता/आयातक
1	आलोक मास्टर बैचेस प्राइवेट लिमिटेड
2	अमर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन

3	आशा पेन कलर प्राइवेट लिमिटेड
4	बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड
5	साइटेक कोटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
6	डीआईसी इंडिया लिमिटेड
7	हाई-टेक इंकस प्राइवेट लिमिटेड
8	ह्यूबर्गुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
9	आईडीसीसी ग्लोबल केम प्राइवेट लिमिटेड
10	जुपिटर लैमिनेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
11	कंडुई इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
12	कौकण स्पेशियलिटी पॉलीप्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
13	महाराष्ट्र इंपेक्स लिमिटेड
14	नेनावा मेटल कॉरपोरेशन
15	प्लास्टिब्लेंड्स इंडिया लिमिटेड
16	रेनबो कलर्स
17	सकाटा इंकस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
18	संजय एंटरप्राइजेज
19	सेटको केमिकल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
20	सेवन-11 इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
21	सिगवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
22	टोयो इंक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
23	यूप्लेक्स लिमिटेड
24	वीआईपी केम एलएलपी
25	वेलस्प्रिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

ज. उपर्युक्त अधिसूचना के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित आयातकों और प्रयोक्ताओं ने प्राधिकारी को प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:

क्र.सं.	प्रयोक्ता/आयातक
---------	-----------------

- ट. आशा पेन कलर प्राइवेट लिमिटेड और चाइना डाइस्टफ इंडस्ट्री एसोसिएशन (सीडीआईए) द्वारा भी अनुरोध किए गए हैं और वर्तमान अंतिम जांच परिणामों में उन पर उचित रूप से विचार किया गया है।
- ठ. निर्यातक, विदेशी उत्पादक और अन्य हितबद्ध पक्षकार, जिन्होंने इस जांच के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया है या संगत सूचना नहीं दी है, उन्हें असहयोगी पक्षकार माना गया है।
- ड. प्राधिकारी ने सभी ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, आयातकों और आवेदक को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। आर्थिक हित प्रश्नावली को प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया। केवल आवेदक द्वारा ही आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दायर किया गया है। अन्य किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने आर्थिक हित प्रश्नावली दायर नहीं की है।
- ढ. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 (12 महीने) है। क्षति विश्लेषण अवधि में 2020-2021, 2021- 2022, 2022-2023 और जांच की अवधि शामिल है।
- ण. हितबद्ध पक्षकारों को जांच की शुरुआत की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने और अपेक्षित होने पर पीसीएन प्रस्तावित करने का अवसर दिया गया था। अनुरोधों के आधार पर प्राधिकारी ने स्पष्ट किया और 18 जून, 2024 को पीसीएन अधिसूचित किया।
- त. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई तथा उन सभी से अनुरोध किया गया कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय सार अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।
- थ. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 28 नवंबर, 2024 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई के माध्यम से संबद्ध जांच के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों को उनके विचार हाइब्रिड मोड में प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे मौखिक रूप से

व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध, यदि कोई है, दायर करने का अनुरोध किया गया था।

- द. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक समझा, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना के पर्याप्त अगोपनीय रूपांतरण देने का निर्देश दिया गया था।
- ध. सिस्टम्स एवं डाटा प्रबंधन महानिदेशलय (डीजी सिस्टम) से क्षति अवधि और जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के आंकड़े देने का अनुरोध किया गया था। डीजी सिस्टम के आंकड़े प्राधिकारी को प्राप्त हो गए हैं और उन पर इस अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है।
- न. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का सत्यापन प्राधिकारी द्वारा, आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था। इस अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजन के लिए केवल ऐसी सत्यापित सूचना पर ही भरोसा किया गया है, जिसमें आवश्यक सुधार किया गया हो, जहाँ भी लागू हो।
- प. प्राधिकारी ने 17 फरवरी 2025 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों से युक्त प्रकटन विवरण परिचालित किया। प्राधिकारी ने संगत मानी गई सीमा तक इन अंतिम जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों की जांच की है। कोई भी अनुरोध जो केवल पिछले अनुरोध की पुनरावृत्ति था और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की गई थी, उसे संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।
- फ. क्षति रहित कीमत (जिसे इसके पश्चात 'एनआईपी' कहा गया है) का निर्धारण, सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध III के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर, भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और उपयुक्त लाभ के आधार पर

- निर्धारित की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क आवेदक को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होंगे।
- ब. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और दी गई सूचना पर उस सीमा तक विचार किया है, जहां तक वे साक्ष्य से समर्थित हैं और वर्तमान जांच में संगत माने गए हैं।
- भ. इस अंतिम जांच परिणाम में '***' किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना तथा पाटनरोधी नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाता है।
- म. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 83.21 रुपए है।

ग. **विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**

4. जांच की शुरुआत के स्तर पर विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित रूप से परिभाषित था:

“वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद ‘एज़ो पिगमेंट’ है। विचाराधीन उत्पाद सिंथेटिक ऑर्गेनिक पिगमेंट के एक वर्ग से संबंधित है, जिसका व्यापक रूप से विभिन्न उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, जिसमें पेंट, स्याही, प्लास्टिक, कपड़ा और सौंदर्य प्रसाधन शामिल हैं।

विचाराधीन उत्पाद तीन अलग-अलग रंगों जैसे कि पीला पिगमेंट, लाल पिगमेंट और नारंगी पिगमेंट में कारोबार किया जाता है। हर रंग के अलग-अलग ग्रेड होते हैं, और प्रत्येक ग्रेड में अलग-अलग रासायनिक सांद्रता और गुण-धर्म होते हैं और इसलिए, अलग-अलग अंतिम उपयोग अनुप्रयोग होते हैं। विचाराधीन उत्पाद का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में रंग प्रभाव प्रदान करने के लिए किया जाता है और इसका व्यापक रूप से विभिन्न उद्योगों में उपयोग किया जाता है।

विचाराधीन उत्पाद में एचएस कोड 32041711, 32041720 और 32041731 के अंतर्गत अध्याय 32 के अंतर्गत एक समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण है। हालाँकि, विचाराधीन उत्पाद को अन्य उप-शीर्ष 32041719, 32041739, 32041740, 32041759, 32041769 और 32041790 के अंतर्गत भी आयात किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह से संबद्ध जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है”

ग.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

5. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में प्रस्तावित और प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित पीसीएन पद्धति अलग-अलग है। आवेदक ने पद्धति के अनुसार संशोधित आंकड़े साझा नहीं किए हैं।
- ख. *अजंता प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ* का संदर्भ दिया जाता है। शुल्क उत्पाद के क्षेत्र और विवरण के आधार पर एकत्र किए जाते हैं, न कि एचएस कोड के आधार पर। चार अंकीय स्तर पर शुल्क की सिफारिश करने से गैर-विचाराधीन पर शुल्क लिया जाएगा।
- ग. ऐसे विशेष ग्रेड हैं जहां भारतीय उत्पादक गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करते हैं। उन्हें स्थानीय रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है या भारतीय निर्माताओं के पास विकल्प नहीं हैं और उन्हें आयात करना पड़ता है।
- घ. पिगमेंट येलो 13, पिगमेंट येलो 14, पिगमेंट रेड 48.2, पिगमेंट रेड 53.1, पिगमेंट रेड 57.1, पिगमेंट रेड 166 और पिगमेंट रेड 266 कुछ ऐसे ग्रेड हैं, जिनका उत्पादन भारतीय उद्योग नहीं कर पाया है।
- ड. भारतीय स्याही निर्माता उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए चीनी पिगमेंट पर निर्भर हैं।

ग.2 आवेदक द्वारा किया गया अनुरोध

6. आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और समान वस्तु के संबंध में निम्नानुसार अनुरोध किए हैं:

- क. विचाराधीन उत्पाद एज़ो पिगमेंट है। उत्पाद का कारोबार विभिन्न रंगों जैसे लाल, नारंगी और पीले पिगमेंट में किया जाता है।
- ख. आवेदक द्वारा उत्पादित सामान चीन जन.गण. से आयातित उत्पाद के समान वस्तु है।
- ग. पिगमेंट रंग जोड़ने या उत्पाद की दृश्य उपस्थिति बदलने के लिए उपयोग किए जाने वाले पाउडर हैं। प्राथमिक उद्देश्य सामग्री को रंग प्रदान करना है।

- घ. पिगमेंट दो प्रकारों में वर्गीकृत किए जाते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक पिगमेंट आमतौर पर स्याही, रंगों आदि में उपयोग किए जाते हैं। कार्बनिक पिगमेंट के सामान्य प्रकार एज़ो पिगमेंट, फथालोसाइनिन पिगमेंट आदि हैं। अकार्बनिक पिगमेंट में इफेक्ट पिगमेंट जैसे पिगमेंट शामिल हैं।
- ड. यह उत्पाद विभिन्न एचएस कोड के तहत आयात किया जाता है। क्योंकि विचाराधीन उत्पाद विभिन्न कोडों के तहत आयात किया जा रहा है, अतः प्राधिकारी कृपया इन कोडों का भी शुल्क तालिका में उल्लेख करें।
- च. *अजंता प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारतीय संघ* पर भरोसा किया गया, जिसमें यह माना गया था कि शुल्क केवल उन एचएसएन कोड पर लगाए जाते हैं जो शुल्क तालिका में निर्दिष्ट हैं।
- छ. जहां तक आयात का कारण चीनी उत्पादकों द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद का संबंध है, आवेदक नियमित रूप से विभिन्न देशों को उत्पाद का निर्यात कर रहा है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आवेदक वैश्विक मानकों, गुणवत्ता और तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है।
- ज. जिन ग्रेडों के लिए बाहर करने की मांग की गई है, वे सभी भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए हैं। एज़ो पिगमेंट के 200 से अधिक विभिन्न प्रकार हैं। इन 100 विभिन्न प्रकारों में से लगभग 50 प्रकार के इफेक्ट पिगमेंट की मांग केवल 100-200 किलोग्राम है।
- झ. आशा पेन कलर प्राइवेट लिमिटेड ने दो विशेष ग्रेडों - रेड 166 और रेड 266 को बाहर करने की मांग की है, दोनों ग्रेडों की मांग नगण्य है। ये ऑर्डर करने के लिए बनाई जाने वाली वस्तुएं हैं और आवेदक द्वारा इनका उत्पादन किया जा सकता है यदि पर्याप्त कीमतों पर वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम मांग है।
- ञ. घरेलू उद्योग ने पीवाई 13, पीवाई 14, पीआर 48.2, पीआर 53:1, पीआर 57:1 के तुलनीय ग्रेड की आपूर्ति की है, जिसे बाहर करने की मांग की गई है।
- ट. यह संभव नहीं है कि प्रत्येक उत्पादक द्वारा प्रत्येक प्रकार के एज़ो पिगमेंट का उत्पादन और बिक्री की जाए, जब तक कि यह वाणिज्यिक रूप से और दक्षता पूर्वक अर्थक्षम न हो।

- ठ. हितबद्ध पक्षकारों ने एक भी ऐसा उदाहरण नहीं दिया है, जहां भारतीय उद्योग प्रतिस्थापन की आपूर्ति करने में विफल रहा हो। घरेलू उद्योग ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिए हैं कि उनकी सुविधाओं से गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उत्पादन और आपूर्ति की जा रही है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों और आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों की जांच की गई है और नीचे उनका समाधान किया गया है।
8. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "एज़ो पिगमेंट" है। एज़ो पिगमेंट सिंथेटिक ऑर्गेनिक पिगमेंट के एक वर्ग से संबंधित है जिसका व्यापक रूप से विभिन्न उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, जिसमें पेंट, स्याही, प्लास्टिक, कपड़ा और सौंदर्य प्रसाधन शामिल हैं।
9. पिगमेंट पाउडर होते हैं जिनका उपयोग उत्पादों में रंग जोड़ने या संशोधित करने के लिए किया जाता है। वे आम तौर पर पानी में अघुलनशील और रासायनिक रूप से स्थिर होते हैं, जिनका उपयोग मुख्य रूप से कपड़ा और पेंट उद्योग में किया जाता है। उनके निर्माण की विधि के आधार पर, पिगमेंट को कार्बनिक और अकार्बनिक किस्मों में वर्गीकृत किया जाता है। कार्बनिक पिगमेंट का व्यापक रूप से स्याही, रंग, सौंदर्य प्रसाधन और कलाकार पेंट में उपयोग किया जाता है, जिसमें एज़ो पिगमेंट और फ़थालोसाइनिन पिगमेंट शामिल हैं। जबकि, अकार्बनिक पिगमेंट को टिकाऊ, मौसम-प्रतिरोधी रंगों की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए पसंद किया जाता है, जैसे कि प्रभाव पिगमेंट।
10. एज़ो पिगमेंट का व्यापार तीन अलग-अलग रंगों जैसे कि पीला पिगमेंट, लाल पिगमेंट और नारंगी पिगमेंट में किया जाता है। हर रंग के अलग-अलग ग्रेड होते हैं, और हर ग्रेड में अलग-अलग रासायनिक सांद्रता और गुण-धर्म होते हैं और इसलिए इसका अलग-अलग अंतिम प्रयोग होता है। विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में रंग प्रभाव प्रदान करने के लिए किया जाता है और इसका व्यापक रूप से विभिन्न उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। आवेदक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एज़ो पिगमेंट के 200 से अधिक विभिन्न प्रकार हैं।

11. अन्य हितबद्ध पक्षकारों इसे बाहर करने की मांग पर, आवेदक का अनुरोध है कि लाल 166 और लाल 266 की मांग बहुत कम है और इसलिए उन्हें ऑर्डर करने के लिए बनाया जाता है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि यदि पर्याप्त कीमतों पर वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम मांग है तो वह उन मदों का उत्पादन कर सकता है। आवेदक ने पिगमेंट येलो (पीवाई) 13, पीवाई 14, पिगमेंट रेड (पीआर) 48.2, पीआर 53:1 और पीआर 57:1 के समान रंग सूचकांक वाले उत्पाद के लिए की गई अपनी आपूर्ति के बीजक प्रदान किए हैं। अतः, प्राधिकारी बाहर किए जाने पर से संबंधित अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ है।
12. प्राधिकारी ने प्रस्तावित पीसीएन पद्धति और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों से जांच की शुरुआत की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। आवेदक के अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र या पीसीएन पद्धति के संबंध में टिप्पणी नहीं दी है।
13. रंगों के अलग-अलग गुण-धर्मों के मद्देनजर अंतिम उपयोग और लागत को देखते हुए, वर्तमान जांच के लिए निम्नलिखित पीसीएन पद्धति पर विचार किया गया है जिसे 18 जून 2024 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया था।

क्र.सं.	पीसीएन मापदंड	मूल्य	पीसीएन कोड
1	रंग	क. नारंगी ख. लाल ग. पीला	क. ओ ख. आर ग. वाई

14. प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के लेनदेन-वार आंकड़ों की जांच की है और यह पाया कि विचाराधीन उत्पाद को प्रशुल्क वर्गीकरण के उप-शीर्षों 32041711, 32041720 और 32041731 के अंतर्गत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 32 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। उत्पाद को 32041719, 32041739, 32041740, 32041759, 32041769 और 32041790 के अंतर्गत भी आयात किया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

15. संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध सामानों और आवेदक द्वारा आपूर्ति किए गए संबद्ध सामानों के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता इनका परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग कर सकते हैं।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

16. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और उसके आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

क. आवेदक ने जांच की अवधि में विचाराधीन उत्पाद का 21 एमटी आयात किया है।

ख. आवेदक ने जांच शुरू होने के समय स्व-आयात की जानकारी को रोक रखा है। आवेदक ने इस जांच के शुरू होने के 8 महीने बाद यह सूचना प्रकट की है।

ग. प्राधिकारी आवेदक को विलंबित चरण में गलत घोषणा को सुधारने की अनुमति नहीं दे सकते। साक्ष्य की सीमा घरेलू उत्पादकों और विरोधी हितबद्ध पक्षकारों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए।

घ. 7 समर्थकों में से 4 उत्पादकों ने विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है।

ड. समर्थकों ने व्यापार सूचना 13/2018 और व्यापार सूचना 14/2018 के अनुसार पूर्ण उत्तर दायर नहीं किए हैं।

च. आवेदक नियम 2(ख) के तहत "घरेलू देश" के रूप में योग्य नहीं है क्योंकि यह "कथित पाटित वस्तु का आयातक" है।

छ. उत्पादन के संबंध में ह्यूबेर समूह भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है। ह्यूबैक क्लरेंट्स का उत्पादन स्तर सुदर्शन के तुलनीय है। इनमें से किसी भी उत्पादक ने भाग नहीं लिया है।

ज. क्रोमा इंडस्ट्रीज, वॉक्सको पिगमेंट्स और असाही टेनेन्ट्स ने बहुत देरी से समर्थन पत्र प्रस्तुत किया है।

घ.2. आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

17. आवेदक ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और उसके आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. भारत में लगभग 15 उत्पादक हैं। इनमें से 10-12 उत्पादक एमएसएमई क्षेत्र से हैं, जिनमें से कुछ वार्षिक आधार पर 200-250 एमटी से कम उत्पादन करते हैं।

ख. सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन में 25% से अधिक है। जब समर्थकों का उत्पादन शामिल किया जाता है, तो आवेदक का समर्थक के साथ 50% से अधिक हिस्सा है।

ग. वर्तमान आवेदन को पिगमेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने समर्थन किया है।

घ. अनुपम कलर्स प्राइवेट लिमिटेड, हरक्यूलिस पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड, क्वालीकेम प्राइवेट लिमिटेड, माइकास ऑर्गेनिक लिमिटेड, यूनिटी डाई केम प्राइवेट लिमिटेड, विजय केमिकल इंडस्ट्रीज, वॉक्सको पिगमेंट एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने आवेदन-पत्र का समर्थन किया है।

ड. क्रोमा इंडस्ट्रीज, वॉक्सको पिगमेंट और असाही टेनेन्ट्स ने बाद में आवेदन-पत्र का समर्थन किया है।

च. आवेदक नियमित रूप से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं कर रहा है। आवेदन-पत्र दाखिल करते समय, आवेदक ने गलती से इन आयातों को घरेलू खरीद के रूप में पहचाना था। हालांकि, वित्तीय विवरण 2023-24 और सत्यापन दस्तावेज तैयार करते समय, आवेदक को त्रुटि मिली।

छ. आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान चीन जन.गण. से एज़ो पिगमेंट की छोटी मात्रा का आयात किया है। आवेदक द्वारा किए गए आयात अपने उत्पादन के संबंध में नगण्य हैं। आवेदक ने केवल एक प्रकार का उत्पाद आयात किया है, जबकि वह आमतौर पर 50 से अधिक विभिन्न प्रकार बेचता है।

- ज. आयात केवल चीनी उत्पादकों द्वारा पेश की गई आयात कीमत का आकलन करने और उत्पाद का मूल्यांकन करने के लिए ही किया गया था। इसके अतिरिक्त, इस उत्पाद की घरेलू तौर पर खपत नहीं की जाती है।
- झ. आवेदक द्वारा किए गए आयात की मात्रा केवल *** है। आवेदक द्वारा किए गए आयात, आवेदक के उत्पादन के संबंध में केवल *** है।
- ञ. हितबद्ध पक्षकार के इस अनुरोध पर कि उत्पाद के अन्य उत्पादक भी हैं और केवल सुदर्शन और कुछ समर्थकों ने जानकारी प्रदान की है, आधार उत्पादन की मात्रा पर आधारित है न कि उत्पादकों की संख्या पर।
- ट. आवेदक समर्थकों द्वारा किसी भी आयात से अनभिज्ञ है। समर्थक की अनुपस्थिति में भी, आवेदक का कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है।
- ठ. ह्यूबेर समूह कैप्टिव खपत के लिए एज़ो पिगमेंट का उत्पादन करता है और उत्पाद को घरेलू स्तर पर नहीं बेचता है और इसलिए, इसका समर्थन नहीं किया गया है। ह्यूबैक को आवेदक द्वारा 2024 में खरीदा गया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

18. हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में किए गए अनुरोधों की जांच की गई है और उन्हें निम्नलिखित रूप में हल किया गया है:
19. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

“(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समय घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

20. वर्तमान आवेदन-पत्र सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक के अलावा भारत में समान वस्तु के 15 उत्पादक हैं।
21. आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान चीन जन.गण. से *** एमटी विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है। आवेदक ने दावा किया है कि आयात केवल चीनी उत्पादकों द्वारा प्रस्तावित आयात मूल्य का आकलन करने और चीनी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद का मूल्यांकन करने के लिए किया गया था। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि चूंकि आवेदक ने उनके द्वारा आयात पर गलत घोषणा की है, इसलिए जांच समाप्त कर दी जानी चाहिए।
22. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने 21 मई 2024 को भेजे गए ईमेल के माध्यम से स्व-आयात की बात स्वीकार की थी। इसके बाद, 13 जून 2024 को भेजे गए ईमेल के माध्यम से आवेदक ने अपने आयातों के संबंध में विस्तृत सूचना प्रदान की थी। इसके बाद और मौखिक सुनवाई से पहले, सूचना हितबद्ध पक्षकारों को भी भेजी गई थी। इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि भले ही आवेदक को सुनवाई शुरू होने से पहले सूचना प्रदान करना आवश्यक था, लेकिन तथ्य का खुलासा न करने से आवेदक को कोई अनुचित लाभ नहीं हुआ है या अन्य हितबद्ध पक्षकारों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। प्राधिकारी ने पाया कि इस तरह के गैर-प्रकटन से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
23. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में प्राधिकारी को किसी उत्पादक को, जिसने विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है, घरेलू उद्योग के क्षेत्र में शामिल करने या बाहर करने का विवेकाधिकार प्रदान किया गया है। विशेष रूप से, प्राधिकारी को यह जांच करना अपेक्षित कि क्या आवेदक ने उत्पाद को इतनी अधिक मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में आयात किया है जो उन्हें पात्र घरेलू उद्योग के रूप में अयोग्य ठहराए। नीचे दी गई तालिका आवेदक द्वारा अपने प्रचालन में किए गए आयात की मात्रा को दर्शाती है और आयात की तुलना आवेदक के उत्पादन और घरेलू बिक्री के साथ की गई है। इसके अतिरिक्त, आयात की तुलना चीन जन.गण. से कुल आयात और भारत में कुल मांग के संबंध में आयात से भी की गई है। आयात की मात्रा डीजी सिस्टम आंकड़ों से सत्यापित की गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	जांच की अवधि
1	स्व-आयात मात्रा	एमटी	***
2	स्वयं का उत्पादन	एमटी	***
3	स्वयं के उत्पादन के संबंध में स्व-आयात	%	***
4	घरेलू बिक्री	एमटी	***
5	घरेलू बिक्री के संबंध में स्व-आयात	%	***
6	चीन जन.गण. से आयात	एमटी	2,137
7	चीन जन.गण. से आयात के संबंध में स्व-आयात	%	***
8	भारत में मांग	एमटी	***
9	मांग के संबंध में स्व-आयात	%	***

24. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान आवेदक द्वारा किए गए आयात की मात्रा देश की कुल मात्रा, कुल घरेलू उत्पादन और कुल मांग की तुलना में नगण्य है। आवेदक द्वारा उत्पादन और घरेलू बिक्री के संबंध में किए गए आयात की मात्रा क्रमशः 0.005% और 0.005% से कम है। आवेदक द्वारा किए गए आयात की मात्रा इतनी नहीं है कि उसे पात्र घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने से अपात्र ठहराया जा सके।
25. इस आवेदन-पत्र का पिगमेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने समर्थन किया है। जांच की शुरुआत करने से पहले, प्राधिकारी को निम्नलिखित उत्पादकों से समर्थन पत्र प्राप्त हुए - अनुपम कलर्स प्राइवेट लिमिटेड, हरक्यूलिस पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड, क्वालीकेम प्राइवेट लिमिटेड, माइकास ऑर्गेनिक लिमिटेड, यूनिटी डाई केम प्राइवेट लिमिटेड, विजय केमिकल इंडस्ट्रीज, वॉक्सको पिगमेंट एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। मौखिक सुनवाई के बाद, प्राधिकारी को क्रोमा इंडस्ट्रीज और असाही टेनेंट्स से भी समर्थन पत्र प्राप्त हुए हैं।
26. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि समर्थकों ने भी उत्पाद का आयात किया है, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों की जांच की है और यह देखा गया है कि 9 समर्थकों में से केवल 2 समर्थकों अर्थात् *** (***) एमटी) और *** (***) एमटी) ने जांच अवधि के दौरान उत्पाद का आयात किया है। समर्थकों द्वारा किए गए आयात की मात्रा उनके उत्पादन के संबंध में 1% से भी कम है।

27. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि समर्थन पत्रों को नज़रअंदाज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि इन घरेलू उत्पादकों ने व्यापार सूचना 13/2018 और व्यापार सूचना 14/2018 के अन्तर्गत निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है। प्राधिकारी का मानना है कि व्यापार सूचना 13/2018 को 16 जून 2021 के व्यापार सूचना 4/2021 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जो समर्थकों को क्षमता, उत्पादन और बिक्री से संबंधित सीमित जानकारी के साथ समर्थन व्यक्त करने की अनुमति देता है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में अन्य उत्पादकों द्वारा व्यक्त किए गए समर्थन पर केवल घरेलू उद्योग के आधार की जांच करने के उद्देश्य से विचार किया है। चूंकि समर्थकों द्वारा विस्तृत आंकड़े प्रदान नहीं किए गए हैं, इसलिए यह क्षति विश्लेषण का हिस्सा नहीं है।
28. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक का उत्पादन भारत में समान वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन का *** है। समर्थकों के साथ, आवेदक का कुल घरेलू उत्पादन में *** हिस्सा है।

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
आवेदक का उत्पादन	एमटी	100	94	86	104
सुदर्शन	एमटी	***	***	***	***
एमएसएमई कंपनियाँ - समर्थक	एमटी	100	124	109	114
यूनिटी डार्ई केम प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***	***	***	***
क्वालीकेम प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***	***	***	***
एमआईसीएस ऑर्गेनिक्स लिमिटेड	एमटी	***	***	***	***
हरक्यूलिस पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***	***	***	***
वोक्सको पिगमेंट एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***	***	***	***
विजय केमिकल इंडस्ट्रीज (वीसीआई)	एमटी	***	***	***	***
अनुपम कलर्स प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***	***	***	***
अन्य भारतीय उत्पादन	एमटी	100	93	85	103
कुल उत्पादन	एमटी	43,046	42,658	38,808	45,342
कुल उत्पादन में हिस्सा					

आवेदक का हिस्सा	%	25-35%	25-35%	25-35%	25-35%
समर्थकों का हिस्सा	%	15-25%	20-30%	20-30%	15-25%
कुल आवेदक + समर्थक	%	45-55%	50-60%	50-60%	45-55%
अन्य भारतीय उत्पादन	%	45-55%	45-55%	45-55%	45-55%

29. उपर्युक्त के मद्देनजर, नियम 2(ख) के प्रावधानों और मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक का भारत में समान उत्पाद के कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है। प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है और नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार मानदंडों को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता और विविध अनुरोध

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

30. गोपनीयता और विविध अनुरोधों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. आवेदक के पास समर्थन-पत्रों के लिए सूचीबद्ध आंकड़े हैं।
- ख. आवेदन-पत्र का अगोपनीय रूपांतरण नियम-7 और व्यापार सूचना 1/2013 की अपेक्षाओं का उल्लंघन करता है। धारा VI-(लागत संबंधी जानकारी) के उत्तर को गोपनीय बताया गया है।
- ग. आवेदक ने पाटनरोधी जांच शुरू करने की शर्तों को सिद्ध करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं पेश किया है और प्राधिकारी ने इस पर उचित जांच नहीं की है।
- घ. चूंकि आवेदक ने उत्पाद का आयात किया है, इसलिए उन्हें आयातक माना जाएगा और आयातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करना आवश्यक है। तथापि, वे व्यापार सूचना 06/2018 के अनुसार आयातकों की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने में विफल रहे।
- ड. आवेदक रूस यूक्रेन युद्ध, वैश्विक स्तर पर हतास बाजार की स्थिति, कच्चे माल और अप्रत्यक्ष सामग्री आदि की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने में विफल रहा।

- च. किसी भी एमएसएमई उत्पादक ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में अपने वित्तीय निष्पादन सहित पूर्ण आंकड़े प्रदान नहीं किए हैं।
- छ. आवेदक ने पी.सी.एन.आंकड़ों का कोई सार्थक सार उपलब्ध कराए बिना ही उसे गोपनीय बताया है।

3.2 आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

31. गोपनीयता और विविध अनुरोधों के संबंध में आवेदक द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- क. अन्य हितबद्ध पक्षकार निर्धारित समय-सीमा के भीतर गोपनीयता के दावों के संबंध में टिप्पणी देने में विफल रहे।
- ख. व्यापार सूचना के लिए प्रत्येक व्यक्तिगत समर्थन पत्र को सूचीबद्ध प्रारूप में होना आवश्यक नहीं है। व्यापार सूचना का समेकित डेटा प्रवृत्ति में प्रदान किया गया है।
- ग. लागत संबंधी सूचना कंपनी की एक व्यापारिक संवेदनशील सूचना है। *अनवर जूट स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, नाइट्रो केमिकल्स इंडस्ट्रीज बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी* का संदर्भ दिया जाता है। जो लागत संबंधी सूचना को गोपनीय मानने की अनुमति देता है।
- घ. इन दावों के विपरीत कि आवेदक ने पर्याप्त साक्ष्य प्रदान नहीं किए हैं, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने एक भी ऐसा क्षेत्र प्रदान नहीं किया है जहां आवेदक साक्ष्य प्रदान करने में विफल रहा हो।
- ड. व्यापार सूचना 06/2018 के तहत आयातक प्रश्नावली का उत्तर दायर करने की आवश्यकता संबद्ध सामानों के आयातकों पर लागू होती है, न कि उत्पाद के उत्पादकों पर। आवेदक ने अपने द्वारा किए गए आयातों के संबंध में सभी आवश्यक सूचना पहले ही प्रदान कर दी है।

3.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

32. नियम 6(7) के अनुसार प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया।

33. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

“गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”

34. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में प्रस्तुत किए गए अनुरोधों की, जहां तक संगत माना गया है, जांच की गई है। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को, जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना के पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यापार से संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है।

35. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों के संबंध में कि आवेदक ने पाटनरोधी जांच शुरू करने की शर्त प्रदान करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं पेश किया है और जांच प्राधिकारी ने तथ्यों की उचित जांच नहीं की है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने पर्याप्त जानकारी दी है जो वर्तमान जांच शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तों

को पूरा करती है। जांच नियमों के तहत अपेक्षित पर्याप्त प्रथम दृष्टया सबूतों से संतुष्ट होने के बाद शुरू की गई थी।

36. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए इस तर्क के संबंध में कि आवेदक ने व्यापार सूचना 06/2018 के अनुसार आयातक प्रश्नावली दायर नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने की आवश्यकता उत्पाद के आयातकों या प्रयोक्ताओं पर लागू होती है, उत्पादकों पर नहीं। आवेदक ने अपने द्वारा किए गए आयातों के बारे में सूचना प्रदान की है और यह देखा गया है कि आयात नगण्य हैं। आवेदक का प्राथमिक ध्यान उत्पाद के आयात के बजाय उत्पाद के उत्पादन पर रहता है। इसलिए, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

37. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. आवेदक द्वारा दावा किया गया पाटन मार्जिन बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। संबद्ध सामानों में विभिन्न उप-प्रकार शामिल हैं, जिनकी लागत और कीमत में काफी अंतर है।

ख. ग्रेड और गुणवत्ता में अंतर के कारण अन्य देशों के निर्यात कीमत चीनी निर्यात कीमत की तुलना में बहुत अधिक हैं। पाटन मार्जिन निर्धारण के लिए इन कीमतों की तुलना चीन के निर्यात कीमत से नहीं की जानी चाहिए।

ग. सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उत्पादन की लागत को आधार माना जाना चाहिए।

घ. विश्व व्यापार संगठन में चीन के प्रवेश पर अभिगम नयाचार के संगत प्रावधान 2016 में समाप्त हो गए हैं और चीन को अब गैर-बाजार अर्थव्यवस्था नहीं माना जा सकता।

ड. लिली समूह ने महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मात्रा में निर्यात किया है। व्यक्तिगत मार्जिन देने के लिए नियमों के तहत कोई मात्रा सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आवेदक

10 एमटी निर्यात की मात्रा के संदर्भ में इस निर्धारण पर कोई प्रतिबंध निर्धारित नहीं कर सकता।

- च. आवेदक ने यह साबित करने के लिए कोई सबूत या कानून नहीं दिया है कि निर्यात की कम मात्रा के आधार पर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणना उचित नहीं होगी।
- छ. लॉन्गकौ यूनियन केमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा किए गए निर्यात *** एमटी हैं, जो कि संबद्ध देश से कुल आयात का ***% है और कुल आयात का ***% है। ***% न्यूनतम से अधिक है। यदि ***% मात्रा को पाटनरोधी जांच के लिए किसी देश पर विचार करने के लिए पर्याप्त माना जाता है, तो कुल आयात का ***% नगण्य मात्रा नहीं माना जा सकता है।
- ज. कलर शंघाई के निर्यात कीमत को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि मात्रा बहुत कम है। यदि निर्यात कीमत अविश्वसनीय है तो प्राधिकारी निर्यात कीमत का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है। तथापि, वर्तमान जांच में ऐसी कोई स्थिति मौजूद नहीं है।
- झ. आवेदक ने थाईलैंड और वियतनाम से वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच पर भरोसा किया है। उस जांच में प्राधिकारी का यह संबंध हो सकता है कि निर्यातक/उत्पादक पहुंच कीमत से अवगत थे और उन्होंने तदनुसार, निर्यात मात्रा को कीमतों के अनुरूप करने की हेरा-फेरी की। परिणामस्वरूप, कम निर्यात मात्रा वास्तविक कीमतों को अविश्वसनीय रूप से दर्शाना माना जा सकता था। तथापि, वर्तमान जांच में यह स्थिति नहीं है।
- ञ. यदि आवेदक को आयात के कारण भविष्य में नुकसान होने का डर है, तो समीक्षा जांच के माध्यम से इसका हमेशा समाधान किया जा सकता है।

च.2 आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

38. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में आवेदक ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. संबद्ध देश के किसी भी उत्तरदाता उत्पादक ने एमईटी प्रश्नावली दायर नहीं की है। इसलिए, सामान्य मूल्य नियमों के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
- ख. पैरा 7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अनुक्रम निर्धारित है। सामान्य मूल्य को अनुक्रमिक तरीके से निर्धारित किया जाना चाहिए और *शेनयांग मात्सुशिता एस बैटरी कंपनी लिमिटेड बनाम एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड* के मामले में इसकी पुष्टि की गई थी।
- ग. आवेदक ने नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अन्तर्गत उपलब्ध विकल्पों का कालानुक्रमिक क्रम में उपयोग किया था। कोरिया गणराज्य से आयात की मात्रा न्यूनतम से अधिक है और इसलिए इन आयातों को सामान्य मूल्य के लिए एक आधार के रूप में माना जा सकता है।
- घ. जब बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश से निर्यात कीमत पर विचार किया जाता है तो विकास का स्तर संगत होता है। *कुइटुन जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी* से संदर्भ लिया गया।
- ड. निर्यातकों ने अपने दावों के लिए सबूत नहीं दिए हैं कि पाटन मार्जिन बढ़ा हुआ है। कोरिया से आयात की कीमतें उत्पाद की वैश्विक बाजार कीमतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। आवेदक ने अन्य देशों को समान कीमतों पर उत्पाद का निर्यात किया है। यह वह कीमत है जिस पर उत्पाद अन्य बाजारों में बेचा जाता है।
- च. जांच शुरुआत अधिसूचना में, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा दावा की गई सामान्य मूल्य पद्धति पर टिप्पणियां मांगी थीं, परंतु मौखिक सुनवाई की तारीख तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है।
- छ. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य से आयात ग्रेड में भिन्न हैं। तथापि, इस दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।
- ज. लिली ग्रुप, जियांगशी लोंगयुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड और कलर्स एंड इफेक्ट्स शंघाई लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान नगण्य मात्रा में निर्यात किया है।

आयात की नगण्य मात्रा के साथ, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का विश्लेषण उचित नहीं होगा।

- झ. कम मात्रा के निर्यातों पर आधारित पाटन मार्जिन निर्धारण को विकृत करेगा। लिली समूह द्वारा कोई वाणिज्यिक मात्रा में निर्यात नहीं किया गया है। लिली ग्रुप द्वारा किए गए निर्यातों की मात्रा कुल भारतीय मांग का ***% है और चीन जन.गण. से कुल निर्यातों का ***% है। इसके अतिरिक्त, ये निर्यात जांच की अवधि में निरंतर नहीं होते रहे हैं। लिली ने केवल ***महीनों में लाल पिगमेंट और ***महीनों में पीले पिगमेंट का ही निर्यात किया है।
- ञ. थाईलैंड और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब के आयात से संबंधित पाटनरोधी शुल्क जांच में, प्राधिकारी ने उत्पादक और व्यापार की कम व्यापार मात्रा वाले निर्यातक के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित करना अनुचित पाया था।
- ट. यदि पाटन मार्जिन ऐसे नगण्य निर्यात मात्रा के आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो यह नकारात्मक होगा, और उत्पादकों पर कोई उपाय नहीं लगेगा और उन्हें भारतीय बाजार में पूर्ण बाजार पहुंच प्राप्त होगी।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

39. निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर चीन जन.गण. के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर किया गया है:
- कलर्स एंड इफेक्ट्स शंघाई लिमिटेड
 - लॉगकौ यूनियन केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - लिली ग्रुप कंपनी लिमिटेड
 - रुइयान बाओयुआन केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
 - ट्रस्ट केम कंपनी लिमिटेड
 - वर्ल्डवाइड कलरैट्स एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - झेजियांग शेंगडा चार्टर विन केमिकल कंपनी लिमिटेड

सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

च.3.1 चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

40. डब्ल्यूटीओ में चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

“जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 (“पाटनरोधी करार”) के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार एक डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों की संलिप्तता की कार्यवाहियों में लागू होंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

“(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद -VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में,

जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ क (11) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

41. आवेदक ने चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(i) के साथ-साथ अनुबंध 1 के पैरा 7 पर भरोसा किया है। आवेदक ने दावा किया था कि चीन जन.गण. में उत्पादकों को यह दर्शाने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। आवेदक द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि यदि उत्तरदाता चीनी उत्पादक यह दर्शाने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और कीमत संबंधी सूचना बाजार द्वारा संचालित है, तो सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुबंध- 1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।

42. यह नोट किया जाता है कि धारा 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि अभिगम नयाचार की धारा 15(क)(i) के तहत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा करने संबंधी पूरक प्रश्नावली में दिए जाने के लिए सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट होने हेतु नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड की अपेक्षा होती है। यह नोट किया जाता है कि चीन जन.गण. से उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों

ने अनुपूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 के प्रावधानों के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

43. चूंकि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक ने अपने स्वयं के आंकड़ों/सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा नहीं किया है, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 के अनुसार किया गया है, जो निम्नलिखित रूप में पठित है:

“7. गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य, अथवा भारत या जहां यह संभव नहीं है, वहां सहित तीसरे देश से अन्य देशों से कीमत अथवा अन्य किसी उपयुक्त आधार, जिसमें आवश्यक होने पर विधिवत समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त अथवा देय कीमत शामिल है, उपयुक्त लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए, के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश संबंधित देश के विकास और प्रश्नगत उत्पाद के मद्देनजर उपयुक्त तरीके में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा चुना जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर उचित ध्यान दिया जाएगा। किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में किसी समान मामले में की गई जांच की समय सीमाओं, जहां लागू हो, के भीतर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त चयन से किसी अपर्याप्त विलंब के बिना सूचित किया जाएगा और उनकी टिप्पणियां देने के लिए उपयुक्त समायावधि दी जाएगी।”

44. पैरा 7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए एक अनुक्रम निर्धारित है और यह प्रावधान है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर किया जाएगा, या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश में कीमत के आधार पर किया जाएगा, या जहां यह संभव नहीं है, वहां किसी भी उचित आधार पर, जिसमें समान वस्तु के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त अथवा देय कीमत शामिल है, जिसे उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए, यदि आवश्यक हो, विधिवत समायोजित किया जाएगा। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पैरा 7 के तहत प्रदान किए गए विभिन्न क्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

45. प्राधिकारी विभिन्न निर्णयों में निहित गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के मामले में सामान्य मूल्य के निर्माण पर मौजूदा न्यायशास्त्र को भी नोट करता है। ये निर्णय नियमों के अनुबंध। के पैरा 7 के कार्यान्वयन के संबंध में उचित विकल्प के चयन और उससे संबंधित दायित्वों के बारे में निर्देश प्रदान करते हैं।
46. आवेदन-पत्र के चरण में, आवेदक ने ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। इस प्रयोजन के लिए, आवेदक ने कोरिया गणराज्य से भारत में निर्यात कीमत पर विचार किया था। यह नोट किया जाता है कि कानून में दिए गए अनुक्रम के अनुसार, सामान्य मूल्य को पहले बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, और बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य की अनुपस्थिति में, सामान्य मूल्य ऐसे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात की कीमत पर आधारित होगा। इस संबंध में, प्राधिकारी *कुइतुन जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ* के मामले में माननीय सेस्टैट के जांच परिणामों को नोट करते हैं, जिसमें यह माना गया था कि जब सामान्य मूल्य को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत को निर्यात के आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश को निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक मानदंड ऐसे देश से निर्यात की मात्रा है और उस देश को जांच की अवधि के दौरान पाटन नहीं करना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरिया से आयात की मात्रा कम है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य से निर्यातित उत्पाद प्रोफाइल में अंतर है। इसलिए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य की गणना के प्रयोजनों के लिए कोरिया से भारत को निर्यात पर विचार नहीं किया है।
47. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में दिए गए अन्य तरीकों के बारे में रिकॉर्ड पर पर्याप्त सूचना के अभाव में, प्राधिकारी ने "किसी अन्य उपयुक्त आधार" पर पद्धति पर विचार करके सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्मित किया है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ सहित विधिवत समायोजित किया गया है। चीनी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस प्रकार निर्धारित निर्मित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

48. इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य का उल्लेख निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

च.3.2 चीन जन.गण. के लिए निर्यात कीमत

क. रुइआन बाओयुआन केमिकल इंडस्ट्री कंपनी. लिमिटेड

49. जांच की अवधि के दौरान, रुइआन बाओयुआन केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. ने एक असंबद्ध निर्यातक/व्यापारी अर्थात् ट्रस्ट केम कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भारत को संबद्ध सामानों के *** एमटी बीजक मूल्य *** आरएमबी की बिक्री की सूचना दी है। जिसमें से ट्रस्ट केम कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. ने भारत में असंबद्ध खरीदारों को सीधे तौर पर *** एमटी संबद्ध सामानों को बेचा है और शेष *** एमटी को दो संबद्ध निर्यातकों/व्यापारियों अर्थात् ट्रस्ट केम हांगकांग लिमिटेड, हांगकांग और वर्ल्डवाइड कलरेंट्स एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड, हांगकांग के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भारत को बेचा गया है।
50. ट्रस्ट केम कंपनी लिमिटेड, ट्रस्ट केम हांगकांग लिमिटेड और वर्ल्डवाइड कलरेंट्स एंड केमिकल्स कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तरों के विश्लेषण से पता चलता है कि इन कंपनियों ने भारत को सामान निर्यात करने के लिए खर्च किया है। इन कंपनियों द्वारा की गई बिक्री की जांच की गई और यह देखा गया कि इन कंपनियों ने सभी प्रत्यक्ष व्यय और एसजीए व्ययों का हिसाब लगाने के बाद लाभ पर भारत को निर्यात किया है। चूंकि इन कंपनियों ने उत्पाद को लाभ पर बेचा है और ये असंबद्ध कंपनियां हैं, इसलिए प्राधिकारी ने उनके प्रश्नावली के उत्तरों को स्वीकार कर लिया है और निष्कर्ष निकाला है कि जिस कीमत पर रुइआन बाओयुआन केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड ने ट्रस्ट केम कंपनी लिमिटेड को सामग्री बेची है, उसके आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित करना उचित होगा।
51. उत्पादक ने अंतर्देशीय परिवहन और ऋण लागत के कारण मूल्य समायोजन की सूचना दी है, और प्राधिकारी द्वारा इसकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, रुइआन बाओयुआन केमिकल के लिए कारखानागत स्तर पर निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और इसे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ख. झेजियांग एस हेंगडा चार्टर विन केमिकल कंपनी लिमिटेड

52. चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों के एक उत्पादक, ज़ेजियांग शेंगडा चार्टर विन केमिकल कंपनी लिमिटेड ने भाग लिया है और प्रश्नावली का उत्तर दायर किए हैं। ज़ेजियांग शेंगडा चार्टर ने भारत में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे संबद्ध सामानों का निर्यात किया है।
53. जांच की अवधि के दौरान, ज़ेजियांग शेंगडा चार्टर ने भारत को *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात बीजक मूल्य *** यूएस डॉलर पर किया है। उत्पादक और निर्यातक ने समुद्री माल, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन और बंदरगाह और संबंधित व्यय, ऋण लागत, बैंक प्रभारों के निमित्त कीमत समायोजनों का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा इसकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, ज़ेजियांग शेंगडा चार्टर के लिए कारखानागत स्तर पर निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और इसे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ग. लॉगकोउ यूनियन केमिकल कंपनी लिमिटेड

54. चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों के एक उत्पादक, लॉगकोउ यूनियन केमिकल कंपनी लिमिटेड ने भाग लिया है और प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। लॉगकोउ यूनियन केमिकल ने संबद्ध सामानों को सीधे और साथ ही कलर्स एंड इफेक्ट्स शंघाई लिमिटेड के माध्यम से सूचित किया है।
55. जांच की अवधि के दौरान, इसने भारत को बीजक मूल्य *** यूएस डॉलर *** एमटी के संबद्ध सामानों का सीधे ही निर्यात सूचित किया है। उत्पादक ने कलर्स एंड इफेक्ट्स शंघाई लिमिटेड के माध्यम से भारत को निर्यात किए गए *** एमटी माल की सूचना दी है, जिसका बीजक मूल्य *** यूएस डॉलर है।
56. *** द्वारा दायर उत्तर से, यह देखा गया था कि *** ने लॉगकोउ यूनियन केमिकल से खरीद की सूचना दी है, जिसे बाद में भारत में निर्यात किया गया है। हालांकि, उत्पादक ने उपर्युक्त बिक्री के संबंध में सूचना नहीं दी है। इसके अतिरिक्त, डीजी सिस्टम के लेनदेन-वार आंकड़ों के अवलोकन से यह भी पता चला कि डीजी सिस्टम के आयात आंकड़ों में दिखाई देने वाले *** बीजक उत्तर में सूचित नहीं किए गए थे।
57. स्पष्टीकरण मांगने वाले उत्पादक को एक पत्र भेजा गया था। उत्पादक ने सूचित किया है कि *** को निर्यात की सूचना नहीं दी, क्योंकि उसका मानना है कि बिक्री विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत नहीं आती।

58. प्राधिकारी का मानना है कि कोई उत्पादक एकतरफा यह नहीं मान सकता कि कोई विशेष ग्रेड विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर है और संगत सूचना को रोक सकता है, खासकर तब जब वह वास्तव में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में आता हो। यह नोट किया जाता है कि एक अन्य प्रतिभागी उत्पादक, *** और प्रमुख निर्यातक *** ने उपरोक्त लेन-देन को विचाराधीन उत्पाद के हिस्से के रूप में सही ढंग से सूचित किया है। आवेदक से स्पष्टीकरण भी मांगा गया, जिसने पुष्टि की कि प्रश्नगत ग्रेड वास्तव में विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा है। यह भी देखा गया है कि आवेदक द्वारा दायर आवेदन में इस विशेष ग्रेड का विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के हिस्से के रूप में उल्लेख किया गया था। आवेदक ने आवेदन-पत्र के पैरा 14 में निम्नलिखित तालिका दी है:

क्र.सं.	प्रकार	ग्रेड
1	औरेंज	पीओ 13, पीओ 34, पीओ 5, पीओ 36 आदि.
2	लाल	पीआर 57:1, पीआर 53:1 पीआर 48:1, पीआर 48:2, पीआर 48:3, पीआर 48:4, पीआर 49:1 पीआर 52:1, पीआर 63:1, <u>पीआर 146</u> , पीआर 170, पीआर 210, पीआर 184, पीआर 188, पीआर 112, पीआर 2, पीआर 3, पीआर 4, पीआर 5, पीआर 8, पीआर 22, पीआर 38, पीआर 81:1, पीआर 81:2, पीआर 81:3, पीआर 81:4, पीआर 12 आदि.
3	पीला	पीवाई 13, पीवाई 174, पीवाई 191, पीवाई 74, पीवाई 12, पीवाई 14, पीवाई 17, पीवाई 1, पीवाई 62, पीवाई 63, पीवाई 73, पीवाई 65, पीवाई 83, पीवाई 168, पीवाई 183

59. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक साधारण जांच से पता चलता है कि विशिष्ट ग्रेड वास्तव में एक एजो पिगमेंट है और विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा है। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान भी, उत्पादक ने इस बात पर प्रकाश नहीं डाला कि सूचित आंकड़ों में इस विशेष ग्रेड को शामिल नहीं किया गया था।

60. उत्पादक ने यह भी दावा किया है कि "सिस्टम त्रुटि" के कारण दो लेन-देन छूट गए थे। उत्पादक ने जांच या सत्यापन के किसी भी चरण के दौरान इस मुद्दे को कभी भी उजागर नहीं किया और यह मुद्दा तभी प्रकाश में आया जब प्राधिकारी ने असूचित लेनदेन की पहचान की।

61. लॉगकौ यूनियन भारत को अपने निर्यातों का पूरा और सही ब्यौरे देने में विफल रही। दिए गए स्पष्टीकरण से प्रश्नावली के उत्तर की पूर्णता और सटीकता और उत्पादक द्वारा प्रदान की गई सूचना की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा होता है। प्राधिकारी यह निर्धारित करने की स्थिति में भी नहीं है कि विचाराधीन उत्पाद के निर्यात की पूरी मात्रा लॉगकौ यूनियन द्वारा सूचित की गई है या नहीं। परिणामस्वरूप, प्राधिकारी उत्पादक के लिए निर्यात कीमत निर्धारित करने में असमर्थ है। इसलिए, प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा करने के लिए विवश है।

घ. लिली ग्रुप कंपनी लिमिटेड

62. चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों के उत्पादक लिली ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने भाग लिया है तथा प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। लिली ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने संबद्ध सामानों के सीधे निर्यात की सूचना दी है।
63. जांच की अवधि के दौरान, लिली ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने भारत को *** एमटी संबद्ध सामानों के निर्यात की सूचना दी है, जिसका एफओबी बीजक मूल्य *** यूएस डॉलर है।
64. प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के डेस्क सत्यापन के दौरान, प्राधिकारी ने पाया कि ट्रस्ट केम कंपनी लिमिटेड ने लिली ग्रुप कंपनी लिमिटेड से खरीदे गए उत्पाद का भारत को निर्यात की सूचना दी है। लिली ग्रुप कंपनी लिमिटेड से भारत को अप्रत्यक्ष निर्यात तथा ट्रस्ट केम कंपनी लिमिटेड को बिक्री के लेन-देन-वार विवरण पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। लिली ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने अपने उत्तर में निम्नलिखित उल्लेख किया है:

इस संबंध में यह भी कहा गया है कि लिली ग्रुप ने घरेलू बाजार में संबद्ध सामानों को झोजियांग झिंकाई टेक्नोलॉजी ग्रुप कंपनी लिमिटेड नामक एक असंबद्ध व्यापारी को बेचा है और लिली ग्रुप को इस बात की जानकारी नहीं है कि उक्त व्यापारी द्वारा इस तरह की सामग्री का कोई हिस्सा भारत में निर्यात किया गया है या नहीं। लिली ग्रुप झोजियांग झिंकाई को वैट बीजक जारी करता है और लिली ग्रुप के रिकॉर्ड में लेनदेन को घरेलू बिक्री के रूप में दर्ज किया जाता है। इस संबंध में तथ्यों की जांच झोजियांग झिंकाई टेक्नोलॉजी ग्रुप कंपनी लिमिटेड के उत्तर से की जा सकती है, अगर वे कोई उत्तर प्रस्तुत करते हैं।

65. उत्पादक ने आगे निम्नलिखित दावा किया है *"..यदि ट्रस्ट केम कंपनी लिमिटेड ने चीन के किसी भी व्यापारी से सामग्री खरीदी थी, तो हमें ऐसे लेन-देन की जानकारी नहीं है।"*
66. लिली ग्रुप कंपनी लिमिटेड को ट्रस्ट केम कंपनी लिमिटेड को लेन-देन-वार बिक्री के बारे में सूचना देने के लिए कहा गया था। ट्रस्ट केम कंपनी लिमिटेड ने लिली ग्रुप कंपनी लिमिटेड से विचाराधीन उत्पाद के *** एमटी की खरीद और निर्यात की सूचना दी है। लिली ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने उपर्युक्त जानकारी नहीं दी है।
67. लिली ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने *** को *** एमटी की घरेलू बिक्री की सूचना दी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जब लिली ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने भारत को केवल *** एमटी का सीधे निर्यात किया है, तो *** के निमित्त सूचना गायब है और उत्पादक द्वारा नहीं दी गई है।
68. लिली ग्रुप कंपनी लिमिटेड भारत को अपने निर्यात का पूरा और सटीक विवरण देने में विफल रही। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी स्थिति में जहां भारत को निर्यात से संबंधित पूरी सूचना रिकॉर्ड में नहीं है और जब संबंधित निर्यातक ने स्वीकार किया है कि सूचना उपलब्ध नहीं है, तो प्राधिकारी संबंधित उत्पादक के लिए निर्यात कीमत निर्धारित करने की स्थिति में नहीं है। इस प्रकार प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा करने के लिए विवश हैं।

ड. **जियांगशी लॉंगयुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड**

69. चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों के उत्पादक जियांगशी लॉंगयुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड ने भाग लिया है तथा प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। जियांगशी लॉंगयुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड ने संबद्ध सामानों के सीधे निर्यात की सूचना दी है।
70. जांच की अवधि के दौरान, जियांगशी लॉंगयुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड ने भारत को *** एमटी संबद्ध सामानों के निर्यात की सूचना दी है, जिसका एफओबी बीजक मूल्य *** यूएस डॉलर है। जियांगशी लॉंगयुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड ने अपने प्रश्नावली के उत्तर में कहा है कि उसने भारत को केवल सीधे निर्यात किया है।
71. तथापि, *** ने जियांगशी लॉंगयुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड से *** एमटी की खरीद की सूचना दी है, जिसे भारत को निर्यात किया गया है। उत्पादक से उपरोक्त जानकारी के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था। जियांगशी लॉंगयुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड

ने कहा है कि 'कलर एंड इफेक्ट शंघाई लिमिटेड को हमारे अप्रत्यक्ष निर्यातक के रूप में रिपोर्ट न किए जाने का कारण भारत को इसके पुनः निर्यात के संबंध में जानकारी का अभाव है।'

72. जियांगशी लॉगयुआन भारत को किए गए अपने निर्यात का पूरा और सटीक ब्यौरा देने में विफल रहा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी स्थिति में जहां भारत को किए गए निर्यात से संबंधित पूरी सूचना रिकार्ड में नहीं है और जब संबंधित निर्यातक ने स्वीकार किया है कि सूचना उपलब्ध नहीं है, तो प्राधिकारी संबंधित उत्पादक के लिए निर्यात कीमत का सटीक निर्धारण करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा करने के लिए बाध्य है।

च. कोई अन्य निर्यातक

73. अन्य उत्पादकों के लिए निवल निर्यात कीमत नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है तथा इसे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

च.3.3 पाटन मार्जिन

74. पीसीएन-वार निर्मित सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत के आधार पर प्रत्येक सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन नीचे दिया गया है। यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन सकारात्मक है।

क्र.सं	विवरण	सामान्य मूल्य	निवल निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	रेंज
		यूएस डा./एमटी	यूएस डा./एमटी	यूएस डा./एमटी	%	%
1	रुइयान बाओयुआन केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	40-50
2	झेजियांग शेंगडा चार्टर विन केमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20

3	कोई अन्य	***	***	***	***	55-65
---	----------	-----	-----	-----	-----	-------

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

75. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. मांग में वृद्धि के साथ ही संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि हुई है। आयातों में हुई यह वृद्धि बाजार की वृद्धि के अनुरूप है। संबद्ध देश से हुए आयातों में मांग का मुश्किल से 5% हिस्सा ही शामिल है।
- ख. मांग में वृद्धि होने के कारण से मांग और आपूर्ति के अंतर को पूरा करने के लिए आयातों में वृद्धि हुई है।
- ग. जांच की अवधि में उत्पाद की आयात कीमत में आधार वर्ष की तुलना में 9% तक की वृद्धि हुई है। अतः आवेदक का यह दावा तर्कहीन है कि आयात कीमत के कारण पीबीटी में 68% तक की गिरावट आई है और इसे स्पष्ट नहीं किया गया है।
- घ. जांच की अवधि में आवेदक और समर्थकों की बिक्रियों में वृद्धि हुई है। इससे यह पता चलता है कि भारतीय उद्योग की बिक्रियों में मांग में वृद्धि के साथ वृद्धि हुई है और यह आयात से प्रभावित नहीं हुई है।
- ड. आवेदक के लाभों में गिरावट आई है जबकि अन्य उत्पादकों के लाभ में वृद्धि हुई है। यदि आयात होने के बावजूद समर्थकों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो आवेदक भी इसी तरह से अपने प्रदर्शन में वृद्धि कर सकता था।
- च. जांच अवधि के दौरान ब्याज और मूल्यहास लागत में वृद्धि हुई है।
- छ. कोविड-19 की स्थितियों के चलते आधार वर्ष पर प्रभाव पड़ा है और उस अवधि के दौरान कच्चे माल की कीमतें अधिक थीं, जिसके परिणामस्वरूप कीमत में वृद्धि हुई और आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आई। आधार वर्ष के साथ क्षति की कोई भी तुलना किए जाने से सही स्थिति नहीं मिल सकती।

- ज. आवेदक के पास वस्तुसूची में जांच की अवधि में कमी आई है।
- झ. बाजार में सरप्लस क्षमता होने के बावजूद, आवेदक ने उत्पाद के लिए क्षमताओं में वृद्धि की है।
- ञ. पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में लाभ, पीबीआईटी और नकदी लाभ में वृद्धि हुई है। यदि आवेदक पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा होता, तो प्रदर्शन मापदंडों में और भी गिरावट आती।
- ट. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में बिक्री की लागत में 14% तक की वृद्धि ब्याज लागत में वृद्धि होने के कारण हुई है।
- ठ. आवेदक की लाभप्रदता अन्य कारकों के कारण प्रभावित हुई थी न कि आयात कीमत से प्रभावित हुई थी और यह स्पष्ट दिखाई देता है कि लाभों में गिरावट मूल्यहास और ब्याज लागत में पर्याप्त वृद्धि होने के कारण हो सकती है।
- ड. क्षतिरहित कीमत के प्रयोजन के लिए नियोजित पूंजी पर प्रतिफल 22% पर अनुमत नहीं किया जाना चाहिए।
- ढ. जांच की अवधि और विगत वर्ष के बीच 6 माह का ओवरलैप है, लेकिन विगत वर्षों की तुलना में जांच की अवधि के बीच प्रदर्शन में गिरावट नहीं आई है।
- ण. आवेदक के इस दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है कि घरेलू और निर्यात बाजार में प्रदर्शन की तुलना से घरेलू बाजार में क्षति दिखाई देती है। कथित क्षति केवल घरेलू परिचालन पर है और व्यावहारिक रूप में निर्यात प्रदर्शन पर ध्यान नहीं दिया गया है।
- त. आवेदक ने क्षति के घटक-वार विश्लेषण का दावा किया है। क्षति का निर्धारण समग्र तौर पर घरेलू परिचालन के लिए किया जाना आवश्यक है।
- थ. आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट में, क्षति को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में कई अन्य कारकों का उल्लेख किया गया है।

- द. आवेदक रूस यूक्रेन युद्ध, वैश्विक स्तर पर बाजार की निराशाजनक स्थिति, कच्ची सामग्रियों और अप्रत्यक्ष सामग्रियों आदि की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहा है।
- ध. आवेदक विभिन्न प्रकार के पिगमेंट का उत्पादन करता है और इस बात की संभावना है कि वह अन्य पिगमेंट के उत्पादन के लिए भी उस संयंत्र का उपयोग करता हो। आवेदक ने एनपीयूसी के लिए उत्पादन का डेटा उपलब्ध नहीं कराया है।
- न. शटडाउन जैसे अन्य कारकों के कारण और मूल्यहास व ब्याज लागत में वृद्धि होने कारण लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ा था।

छ.2 आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

76. आवेदक द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- क. जांच की अवधि के प्रदर्शन की तुलना वर्ष 2020-2021 अथवा वर्ष 2021-2022 के साथ की जानी चाहिए न कि वर्ष 2022-2023 के साथ की जानी चाहिए। जांच की अवधि विगत वर्ष से ओवरलैप होती है और आवेदक ने वर्ष 2022-2023 में क्षति होने का दावा करते हुए पहले ही आवेदन दायर कर दिया है।
- ख. मांग और आपूर्ति में कोई अंतराल न होने के बावजूद, जांच की अवधि में संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप, आवेदक की लाभप्रदता में जांच की अवधि में तेजी से गिरावट आई है।
- ग. आयातों की पहुंच कीमत आवेदक की बिक्री लागत से कम है। यदि पाटन की यह स्थिति जारी रहती है और आवेदक को अपनी कीमतें आयात कीमतों के अनुसार रखने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो उसे वित्तीय हानि, नकदी प्रवाह की समस्या और नकारात्मक आरओआई की स्थिति का सामना करना पड़ेगा।
- घ. पाटन मार्जिन असाधारण रूप से अत्यधिक है, जो यह दर्शाता है कि चीन के उत्पादक किसी भी कीमत पर शिपमेंट करने के लिए इच्छुक हैं।

- इ. उत्पाद की मांग में वर्ष 2021-22 में कमी आई, वर्ष 2022-23 में वृद्धि हुई और जांच की अवधि में और भी वृद्धि हो गई। समग्र रूप से, जांच की अवधि में उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है।
- च. जबकि चीन से आयातों में वर्ष 2022-23 में वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में अन्य देशों से आयातों में गिरावट आई है। चीन जन. गण. से आयात कुल आयातों का 80% से अधिक है।
- छ. यद्यपि वर्ष 2022-23 में और जांच की अवधि में चीन से आयातों में वृद्धि हुई है, लेकिन अन्य देशों से आयातों में गिरावट आई है। चीन जन. गण. से आयातों का हिस्सा कुल आयातों का 80% से अधिक है।
- ज. आवेदक ने अपने बाजार को बनाए रखने के लिए लाभप्रदता पर काफी त्याग किया है। कम कीमत के आयातों के चलते आवेदक की लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ा है।
- झ. चीन जन. गण. से कम कीमत के आयातों के कारण पीसीएन के आधार पर और साथ ही भारत औसत के आधार पर आवेदक की कीमतों और लागत में कमी आ रही है।
- ञ. जब जांच की अवधि में बिक्री की लागत में गिरावट आई, तो आवेदक की बिक्री कीमतों में उच्च दर से गिरावट आई है। आवेदक की कीमतें कम हैं।
- ट. आवेदक ने वर्ष 2021-2022 और वर्ष 2022-23 में अपनी क्षमता का विस्तार किया है। भारतीय उद्योग के पास भारत में पूरी मांग की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त क्षमता है।
- ठ. उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में वर्ष 2022-23 में गिरावट आई है और जांच की अवधि में मामूली वृद्धि हुई है।
- ड. मांग में वृद्धि होने के बावजूद, आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान वस्तुसूची का संचय किया है।

- द. जांच की अवधि में आवेदक के मुनाफे में आधार वर्ष की तुलना में 68% और 2021-22 की तुलना में 74% की गिरावट आई है।
- ण. आवेदक के लाभों में वर्ष 2022-23 में भारी गिरावट आई है और उसके बाद जांच की अवधि में मामूली वृद्धि हुई है।
- त. वर्ष 2021-22 की तुलना में जांच की अवधि में नकदी लाभ और पीबीआईटी में भी करीब 42% तक की गिरावट आई है।
- थ. चूंकि चीन जन. गण. से कम कीमत के आयातों में वृद्धि हुई है, आवेदक के निवेश पर प्रतिफल में गिरावट आई है। जांच की अवधि में, आधार वर्ष की तुलना में आवेदक के आरओआई में 70% तक की गिरावट आई है।
- द. कम कीमत के आयातों से आवेदक की कीमतों पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ा है और इसके परिणामस्वरूप लाभप्रदता में गिरावट आई है। संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत उचित मूल्य से करीब *** मीट्रिक टन कमतर है।
- ध. आवेदक ने कीमत संबंधी मापदंडों में नकारात्मक वृद्धि का सामना किया है।
- न. लाभप्रदता में गिरावट से आवेदक की आगे पूंजी जुटाने की क्षमता बाधित हुई है। चूंकि भारतीय उद्योग एमएसएमई उद्योग है, अतः यदि यह समुचित रूप से लाभदायक नहीं है तो वे अपने व्यवसाय में धन लगाना जारी नहीं रख सकते हैं।
- प. आवेदक ने विभिन्न देशों को उत्पाद का निर्यात किया है। आवेदक का लाभ घरेलू बाजार की तुलना में निर्यात बाजार में अधिक है। निर्यात बाजार में लाभ से यह पता चलता है कि आवेदक को पाटित किए गए आयातों के चलते घरेलू बाजार में क्षति हुई है।
- फ. उत्पाद के लिए बाजार को तीन श्रेणियों - इंक, कोटिंग और प्लास्टिक में विभाजित किया जा सकता है। आयात इंक और कोटिंग सेगमेंट में हो रहा है। आवेदक के समक्ष इंक और कोटिंग बाजार सेगमेंट में क्षति की वास्तविक समस्या आ रही है।

- ब. जापान से कतिपय हॉट-रोल्ड स्टील उत्पादों पर पाटनरोधी उपायों के मामले में अपील निकाय की रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकारी सेगमेंट- वार विश्लेषण कर सकते हैं।
- भ. इंक और कोटिंग में आवेदक की घरेलू बिक्रियों में मांग में वृद्धि होने के संबंध में वृद्धि नहीं हुई है। कोटिंग प्रभाग के लिए बिक्री की लाभप्रदता में क्षति अवधि के दौरान 80% से अधिक की कमी आई है और इंक सेगमेंट के संदर्भ में 70% से अधिक की कमी आई है।
- म. इस बात के संबंध में कि मूल्यहास और ब्याज लागत में वृद्धि हुई है, यह आवेदक की क्षमता में वृद्धि होने के कारण है।
- य. हितबद्ध पक्षकारों के इस कथन के संबंध में कि आयातों की कीमत में वृद्धि हुई है, आवेदक द्वारा 200 से अधिक कलर मिक्स की बिक्री की गई हैं और चीन जन. गण. से आयात किया गया है। इतनी बड़ी मात्रा में उत्पाद मिक्स को देखते हुए, एक वर्ष की दूसरे वर्ष के औसत से तुलना नहीं की जा सकती।
- र. चूंकि वर्ष 2022-23 में और जांच की अवधि में कम कीमत के आयातों में वृद्धि हुई है, अतः आवेदक के लाभ में वर्ष 2022-2023 में जांच की अवधि में मामूली वृद्धि के साथ गिरावट आई है।
- कक. निर्दिष्ट प्राधिकारी की यह सतत प्रथा है और माननीय न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया दृष्टिकोण है, आवेदक को कम से कम 22% का प्रतिफल दिया जाना चाहिए।
- खख. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने आवेदक को क्षति पहुंचाने वाले कई कारकों का आरोप लगाते हुए कोई साक्ष्य नहीं दिया है। इसके अलावा, आवेदक बहुत अधिक कीमतों पर वैश्विक स्तर पर उत्पाद का निर्यात कर रहा है।
- गग. नियमों के तहत प्राधिकारी को प्रभाव को अलग करना होगा और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को कारक की पहचान करनी होगी। डब्ल्यूटीओ पैनल रिपोर्ट - एक्स-रे उपकरण का संदर्भ दिया गया है।

घघ. वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 में परस्पर प्रतिस्पर्धा मौजूद थी। यदि क्षति का यही कारण होता, तो आवेदक को उन वर्षों में भी क्षति हुई होती।

ड.ड. चीन जन. गण से कम कीमत के आयातों के कारण अन्य उत्पादकों के प्रचालनों पर भी प्रभाव पड़ा है। जबकि बड़े उत्पादक अल्प समय के लिए क्षति को सहन करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन एमएसएमई उत्पादकों के लिए बने रहना कठिन होता जा रहा है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

77. पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 के साथ पठित अनुबंध II के तहत यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में उन कारकों की जांच की जानी शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत दे सकते हैं, "... सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों का परिणामी प्रभाव शामिल है..."। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, यह जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में महत्वपूर्ण कटौती हुई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण सीमा तक कम करना या कीमतों में वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा महत्वपूर्ण सीमा तक हो जाती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सूचकांकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, वस्तुसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के अनुसार विचार किया गया है।

78. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में किए गए विभिन्न आवेदन पर ध्यान दिया है और लागू कानूनों के आलोक में रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए उनका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न आवेदनों को संबोधित किया गया है।

79. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को आंतरिक समस्याओं, वैश्विक स्तर पर बाजार की निराशाजनक स्थितियों, कच्ची सामग्री की कीमतों में उतार-चढ़ाव, रूस यूक्रेन युद्ध आदि के कारण क्षति हुई है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षों ने केवल बयान दिए हैं तथा अपने दावों को प्रमाणित करने के लिए कोई सत्यापन योग्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जांच की अवधि में घरेलू बाजार में मांग में वृद्धि दिखाई देती है और इसलिए इस तर्क पर विचार नहीं किया जा सकता कि क्षति "वैश्विक स्तर पर बाजार की निराशाजनक स्थितियों" के कारण हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक स्तर पर बाजार की निराशाजनक स्थितियों के चलते क्षति होने के संबंध में, प्राधिकारी ने आवेदक के केवल घरेलू संचालनों के आंकड़ों पर ही विचार किया है। प्राधिकारी चीन - एक्स-रे उपकरण में डब्ल्यूटीओ पैनल की रिपोर्ट का भी संदर्भ देते हैं, जिसमें पैनल ने यह माना है कि जहां कोई हितबद्ध पक्षकार क्षति का कारण बनने वाले पाटित आयातों के अलावा किसी अन्य कारक की पहचान करता है, लेकिन यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है कि इस कारक से घरेलू उद्योग को किस प्रकार से क्षति पहुंच रही है, तो जांच प्राधिकारी को उस कारक के संबंध में निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं है।
80. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि अन्य उत्पादकों की लाभप्रदता में वृद्धि हुई है। दूसरी ओर आवेदक ने कहा है कि अन्य उत्पादकों की लाभप्रदता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि केवल वार्षिक रिपोर्ट पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि जांच विचाराधीन उत्पाद से संबंधित है न कि घरेलू उद्योग के संचालनों के संपूर्ण दायरे के संबंध में है।
81. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए 22% के प्रतिफल पर विचार करने के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उन्होंने लगातार नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिफल को अनुमति किया है। इस प्रथा से विचलित होने का कोई औचित्य नहीं है और इसलिए वर्तमान जांच में भी इसे अपनाया गया है।
82. जहां तक इस बात का संबंध है कि आवेदक की क्षमता का उपयोग अन्य उत्पादों के लिए भी किया जा रहा है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि केवल विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की क्षमता के लिए ही विचार किया गया है। गैर-विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन

उसी स्थान पर अलग-अलग संयंत्रों में किया जाता है और उनके संचालनों का विचाराधीन उत्पाद के संचालन से कोई संबंध नहीं है।

83. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए इस तर्क के संबंध में कि लाभप्रदता में गिरावट ब्याज और मूल्यहास लागत में पर्याप्त वृद्धि होने के कारण है, नीचे दी गई तालिका मूल्यहास और ब्याज लागत और नकद लाभ और पीबीआईटी के संबंध में संगत सूचना को दर्शाती है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	मूल्यहास लागत	रु./ मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	131	120
2	ब्याज लागत	रु./ मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	223	193
3	नकदी लाभ	रु./ मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	47	47
4	पीबीआईटी	रु./ मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	64	62

84. यह देखा गया है कि क्षमता विस्तार के कारण वर्ष 2022-23 तक मूल्यहास लागत और ब्याज लागत में वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें जांच की अवधि में गिरावट आई है। जांच की अवधि में नकदी लाभ और पीबीआईटी में भी गिरावट आई है। यह भी देखा गया है कि जब मूल्यहास लागत में *** रुपये प्रति मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है और ब्याज लागत में *** रुपये प्रति मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है, तब भी नकदी लाभ में *** रुपये प्रति मीट्रिक टन की गिरावट आई है। ब्याज और कर पूर्व लाभ में भी *** रुपये प्रति मीट्रिक टन की गिरावट आई है। चूंकि नकदी लाभ और ब्याज तथा कर पूर्व लाभ में गिरावट मूल्यहास और ब्याज लागत के कारण लागत में वृद्धि की तुलना में बहुत अधिक है, अतः प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई क्षति के प्राथमिक कारणों के रूप में मूल्यहास और ब्याज लागत को बताने वाले तर्कों को समझने में असमर्थ है।

85. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक ने पहले वर्ष 2022-23 को जांच की अवधि के रूप में प्रस्तावित करते हुए आवेदन दायर किया था। आवेदक ने यह दावा किया था कि संबद्ध देश से आयात पाटित करके घरेलू बाजार में प्रवेश कर रहे थे और यह दावा किया था कि उन्हें वास्तविक क्षति हुई है। अतः आवेदक ने जांच की अवधि में प्रदर्शन की तुलना वर्ष 2022-23 से नहीं करने का अनुरोध किया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि आधार वर्ष कोविड-19 से प्रभावित था और इसलिए, आधार वर्ष के साथ तुलना नहीं की जानी चाहिए। प्राधिकारी ने यह देखने के लिए जांच की अवधि सहित पूरी क्षति अवधि के आंकड़ों की जांच की है कि क्या उत्पादक को वास्तविक क्षति हुई है। जांच की अवधि और क्षति के आकलन के लिए समूची क्षति अवधि के निर्धारण का उद्देश्य चार वर्षों की पूरी अवधि के लिए घरेलू उद्योग के प्रदर्शन पर विचार करना है। अतः प्राधिकारी ने आधार वर्ष से घरेलू उद्योग के प्रदर्शन की तुलना की है और बीच की अवधि में प्रदर्शन को उचित महत्व दिया गया है।
86. यह दावा किया गया है कि घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा होने के कारण यह क्षति हुई है। प्राधिकारी *यूरोपीय संघ - बायोडीजल (अर्जेंटीना) में अपील निकाय* के निर्णय को नोट करते हैं, जिसमें यह पाया गया था कि किसी प्राधिकारी को उन विशेषताओं के संबंध में गैर-आरोपण विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है जो किसी उद्योग में निहित हैं और क्षति अवधि के दौरान अपरिवर्तित रही हैं।
87. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी परस्पर प्रतिस्पर्धा मौजूद थी और यदि वह क्षति का कारण थी, तो आवेदक को उन वर्षों में भी क्षति का सामना करना पड़ा होगा। तथापि, इन वर्षों के दौरान घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

छ.3.1 मांग/ स्पष्ट खपत का आकलन

88. भारत में उत्पाद की मांग/ स्पष्ट खपत के आकलन के लिए, प्राधिकारी ने आवेदक की घरेलू बिक्री, समर्थकों की घरेलू बिक्री (जांच शुरुआत के चरण में समर्थन देने वाले उत्पादकों के समर्थन पत्र के अनुसार), अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री (आवेदक द्वारा प्रदान किए गए आकलन के अनुसार) और सभी स्रोतों से आयातों पर विचार किया है।

क्र. सं.	मांग/ खपत	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	आवेदक द्वारा बिक्रियां	मी टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	91	102
2	समर्थकों की बिक्रियां	मी टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	124	129	124
3	अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियां	मी टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	92	111
4	संबद्ध देश से आयात	मी टन	1,809	1,645	1,863	2,137
5	अन्य देशों से आयात	मी टन	480	514	412	405
6	भारत में कुल मांग	मी टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	99	111

89. यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में वर्ष 2021-22 में मामूली रूप से कमी आई, वर्ष 2022-23 में मामूली रूप से वृद्धि हुई और जांच की अवधि में और भी वृद्धि हो गई। क्षति अवधि के दौरान मांग में वृद्धि हुई है।

छ.3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव

90. पाटित किए गए आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित किए गए आयातों में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, चाहे वह निरपेक्ष रूप से हो या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष रूप में हो। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम आयात डेटा पर भरोसा किया है। सूचना इस प्रकार है :

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
----------	-------	------	---------	---------	---------	--------------

क	आयातों की मात्रा					
1	संबद्ध देश से आयात	मी टन	1,809	1,645	1,863	2,137
2	अन्य देशों से आयात	मी टन	480	514	412	405
ख	निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात					
1	भारत की खपत	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	105	107
2	भारत का उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	114	112
3	कुल आयात	%	79%	76%	82%	84%

91. यह देखा गया है कि :

- क. चीन जन. गण. से आयात की मात्रा में वर्ष 2021-22 में कमी आई, वर्ष 2022-23 में वृद्धि हुई तथा जांच अवधि में और भी वृद्धि हुई।
- ख. क्षति अवधि में आयात में वृद्धि हुई है। आधार वर्ष के साथ-साथ तत्काल पूर्व के वर्ष की तुलना में आयातों में वृद्धि हुई है।
- ग. जबकि संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि हुई है, अन्य देशों से आयातों में क्षति अवधि में गिरावट आई है।
- घ. उत्पादन और खपत के संबंध में आयातों में क्षति अवधि में स्थिरता रही है।
- इ. संबद्ध देश से आयातों में जांच की अवधि के दौरान भारत में कुल आयातों में 80% से अधिक का हिस्सा शामिल है।

छ.3.3 पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

92. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना आवश्यक है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को कम करने या कीमत वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा सामान्य स्थिति में हो गया

होता। कीमत कटौती और कीमत दबाव/ कमी, यदि कोई हो, के संदर्भ में संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव के इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है।

क. कीमत कटौती

93. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है। एजो पिगमेंट के लिए रंग-वार कीमत कटौती और उनसे संबंधित आयातों की मात्रा और आयात मूल्य पर विचार करते हुए भारत औसत कीमत कटौती निर्धारित की गई है।

94. नीचे दी गई तालिका पीसीएन के अनुसार कीमत कटौती दर्शाती है : -

क्र. सं.	विवरण	इकाई	लाल	पीला	ओरेंज	भारत औसत
1	आयातों की मात्रा	मी. टन	1,032	1,056	49	2,137
2	आयातों की पहुंच कीमत	रु./ मी. टन	***	***	***	
3	निवल बिक्री प्राप्ति	रु./ मी. टन	***	***	***	
4	कीमत कटौती	रु./ मी. टन	***	***	***	
5	कीमत कटौती	%	***	***	***	5%
6	कीमत कटौती	रैंज	नकारात्मक	10-20	0-10	0-10

95. यह देखा गया है कि जांच की अवधि में संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत आवेदक की बिक्री कीमत से काफी कम है, जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक मूल्य कटौती हुई है।

ख. कीमत हास/ न्यूनीकरण

96. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमतों पर हास या न्यूनीकरण हो रहा है और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव ऐसी कीमतों को महत्वपूर्ण सीमा तक कम करने के लिए है या मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा सामान्य रूप से हो गई होती, क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में हुए परिवर्तनों की इस प्रकार जांच की जाती है :

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	बिक्रियों की लागत	रु./ मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	131	114
2	निवल बिक्री प्राप्ति	रु./ मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	121	105
3	पहुंच कीमत	रु./ मी. टन	500,545	608,295	603,528	538,439
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	121	108

97. यह देखा गया है कि आवेदक की बिक्री की लागत और बिक्री कीमत में वर्ष 2021-22 में वृद्धि हुई थी। बिक्री कीमत में वृद्धि बिक्री की लागत से अधिक थी। बिक्री की लागत और बिक्री कीमत में वर्ष 2022-23 में और भी वृद्धि हो गई। तथापि, बिक्री कीमत में लागत में वृद्धि के अनुपात में वृद्धि नहीं हुई। जांच की अवधि में, जबकि बिक्री की लागत में कमी आई है, बिक्री कीमत में लागत में गिरावट की तुलना में अधिक दर से गिरावट आई है। अतः यह देखा गया है कि आवेदक की कीमतों पर दबाव डाला गया है।

छ.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

98. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के तहत यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित किए गए आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों का उद्देश्यपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार अंश, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिफल अथवा क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट शामिल हैं; घरेलू कीमतों को

प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा; नकदी प्रवाह, वस्तुसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास और पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके प्रस्तुतीकरण में दिए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मापदंडों की उद्देश्यपरक रूप से जांच की है:

क. क्षमता उत्पादन क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

99. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान आवेदक की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री पर विचार किया है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	क्षमता	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	111	111
2	उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	86	104
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	77	93
4	घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	91	102

100. यह देखा गया है कि :

- क. आवेदक ने क्षति अवधि के दौरान अपनी क्षमता में वृद्धि की है।
- ख. आवेदक के उत्पादन और क्षमता उपयोग में वर्ष 2021-22 में कमी आई है, वर्ष 2022-23 में और भी कमी आई और उसके बाद जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। जबकि जांच की अवधि में उत्पादन आधार वर्ष में उत्पादन से अधिक था, जांच की अवधि में क्षमता उपयोग आधार वर्ष में क्षमता उपयोग से कम था।
- ग. आवेदक की घरेलू बिक्रियों में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखने में आई है।

घ. आवेदक द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू बाजार में अपनी घरेलू बिक्री और बाजार अंश को बनाए रखने के लिए, उसने अपनी लाभप्रदता से समझौता किया।

ख. बाजार हिस्सा

101. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच की है जो इस प्रकार है :

क्र. सं.	बाजार हिस्सा	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	आवेदक	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	92	92
2	समर्थक	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	131	112
3	अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	94	100
4	चीन जन. गण. से बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	105	107
5	अन्य देशों से आयात	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	87	76

102. यह देखा गया है कि आवेदक के बाजार हिस्से में वर्ष 2021-22 में कमी आई है और जांच की अवधि तक उसी स्तर पर बनी हुई है। समर्थकों के बाजार हिस्से में वर्ष 2021-22 में वृद्धि हुई है और उसके बाद वर्ष 2022-23 में समान स्तर पर रहा और फिर जांच की अवधि में कमी आई। जांच की अवधि के दौरान पाटित किए गए आयातों का बाजार हिस्सा समान स्तर पर बना रहा है। आवेदक द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू बाजार में अपनी घरेलू बिक्री और बाजार हिस्से को बनाए रखने के लिए, इसने अपनी लाभप्रदता से समझौता किया।

ग. वस्तुसूचियां

103. क्षति अवधि के दौरान आवेदक के पास उपलब्ध वस्तुसूची की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	प्रारंभिक स्टॉक	मी टन	***	***	***	***
2	अंतिम स्टॉक	मी टन	***	***	***	***
3	औसत स्टॉक	मी टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	93	81

104. यह देखा गया है कि वर्ष 2021-22 में घरेलू उद्योग के पास औसत वस्तुसूची में गिरावट आई है। यह वह अवधि थी जब आयात की मात्रा में भी कमी आई थी। तथापि, वर्ष 2022-23 में औसत वस्तुसूची में मामूली वृद्धि हुई, लेकिन जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई।

घ. लाभप्रदता, नकदी लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

105. आवेदक के प्रदर्शन की लाभप्रदता, लाभ, नकदी लाभ, ईबीआईटी और निवेश पर प्रतिफल के संबंध में जांच की गई है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	लाभ/ (हानि) प्रति इकाई	रु./ मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	29	32
2	लागत % के रूप में लाभ/ (हानि) लाभ/ (हानि)	रु./ मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	22	28
3	कर से पूर्व कुल लाभ / हानि	₹ लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	26	33

4	नकदी लाभ प्रति इकाई	रु./ मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	64	62
5	कुल नकदी लाभ	रु लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	58	63
6	पीबीआईटी प्रति इकाई	रु./ मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	47	47
7	कुल पीबीआईटी	रु लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	42	48
8	आरओसीई	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	32	36

106. यह देखा गया है कि :

- क. आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान आवेदक के लाभों में सुधार आया। तथापि, कम कीमत के आयातों में वृद्धि होने के कारण वर्ष 2022-23 में आवेदक के लाभों में काफी गिरावट आई है। तथापि, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभों में मामूली वृद्धि आई, फिर भी यह पहले की अवधि से काफी कम था।
- ख. क्षति की अवधि में आवेदक के लाभों में 68% तक की कमी आई है। वर्ष 2021-22 से तुलना करने पर जांच की अवधि के दौरान आवेदक के लाभों में 75% तक की कमी आई है।
- ग. लागत के प्रतिशत के रूप में लाभ आधार वर्ष में ***% से कम होकर जांच की अवधि में ***% हो गया है।
- घ. प्रति इकाई नकदी लाभ और प्रति इकाई पीबीआईटी में वर्ष 2021-22 के दौरान वृद्धि हुई है, वर्ष 2022-23 के दौरान इसमें कमी आई है और जांच की अवधि में और भी कमी आई है। जांच की अवधि में नकदी लाभ और पीबीआईटी सबसे कम रहे हैं।

- इ. कुल नकदी लाभ और पीबीआईटी में वर्ष 2021-22 में वृद्धि हुई, वर्ष 2022-23 में कमी आई और उसके बाद जांच की अवधि में मामूली वृद्धि देखने में आई।
- च. आधार वर्ष के साथ-साथ वर्ष 2021-22 की तुलना में जांच की अवधि में पूंजी निवेश पर प्रतिफल में तेजी से गिरावट आई। आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में निवेश पर प्रतिफल में करीब 1/3 तक की कमी आई।

इ. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

107. क्षति की अवधि के दौरान आवेदक के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	कर्मचारियों की सं.	सं.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	108	103
2	उत्पादता प्रति दिन	मी टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	86	104
3	मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	104	110

108. यह देखा गया है कि :

- क. आवेदक के पास कर्मचारियों की संख्या में वर्ष 2021-22 में हुई, लेकिन वर्ष 2022-23 में कमी आ गई और जांच की अवधि में और भी कमी आ गई।
- ख. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की प्रति दिन की उत्पादकता और भुगतान की जाने वाली मजदूरी में सुधार हुआ है।
- ग. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि ये मापदंड कई अन्य मापदंडों पर निर्भर करते हैं और इसीलिए ये उद्योग को हुई क्षति को नहीं दर्शाते हैं।

च. वृद्धि

109. क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री मात्रा, पीबीटी, पीबीआईटी, नकदी लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल के संदर्भ में आवेदक की वृद्धि नीचे दी गई तालिका के अनुसार है :

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	क्षमता	वाई/ वाई	1%	9%	0%
2	उत्पादन	वाई/ वाई	-7%	-9%	17%
3	घरेलू बिक्रियों की मात्रा	वाई/ वाई	-10%	0%	11%
4	वस्तुसूची	वाई/ वाई	-9%	2%	-15%
5	पीबीटी प्रति इकाई	वाई/ वाई	27%	-98%	3%
6	पीबीआईटी प्रति इकाई	वाई/ वाई	26%	-79%	0%
7	नकदी प्रति इकाई	वाई/ वाई	19%	-56%	-2%
8	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	वाई/ वाई	-13%	-55%	4%

110. यह देखा गया है कि आवेदक के मात्रात्मक मापदंडों में वर्ष 2021-22 में नकारात्मक वृद्धि दर्शाई गई है। इसी अवधि के दौरान आरओसीई के अलावा कीमत संबंधी मापदंडों में सकारात्मक वृद्धि दिखाई दी है। वर्ष 2022-23 में, आवेदक के कीमत संबंधी मापदंडों में महत्वपूर्ण नकारात्मक वृद्धि और मात्रात्मक मापदंडों में कोई वृद्धि नहीं देखी गई या नकारात्मक वृद्धि देखी गई। जांच की अवधि में, आवेदक के कुछ कीमत संबंधी मापदंडों में नकारात्मक वृद्धि और मात्रात्मक मापदंडों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। तथापि, विगत वर्ष की गिरावट की तुलना में सभी मापदंडों में वृद्धि बहुत ही कम थी। घरेलू उद्योग की कुल वृद्धि मात्रात्मक मापदंडों में मामूली सकारात्मक और सभी कीमत संबंधी मापदंडों में काफी नकारात्मक रही है।

छ. पाटन मार्जिन की मात्रा

111. पाटन की मात्रा इस संबंध में एक संकेतक है कि आयात का भारत में किस हद तक पाटन किया जा रहा है। जांच से पता चला है कि जांच की अवधि के दौरान पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण रहा है।

ज. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

112. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चूंकि आयात की कीमत में कमी आई है, अतः आवेदक द्वारा नियोजित पूंजी पर लाभप्रदता और प्रतिफल में क्षति अवधि के दौरान काफी कमी आई है। इसके परिणामस्वरूप, आवेदक की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर काफी प्रभाव पड़ा है।

झ. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

113. आयात संबंधी डेटा की जांच से पता चलता है कि चीन जन. गण. से आयात की कीमत आवेदक की बिक्री की लागत और बिक्री की कीमत से काफी कम है। आयात की कम कीमत होने के कारण, आवेदक अपनी लागत में बदलावों के अनुपात में अपनी बिक्री कीमत को रखने में असमर्थ रहा। इसके परिणामस्वरूप, क्षति की अवधि में आवेदक की लाभप्रदता में तेजी से कमी आई है। चीन जन. गण. से आयातों के कारण आवेदक की कीमतों पर प्रभाव पड़ा है।

क्षति पर निष्कर्ष

114. ऊपर जांच किए गए कारकों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला गया है:

क. चोट की अवधि के दौरान विषय आयात में निरपेक्ष अवधि में वृद्धि हुई है। उत्पादन और खपत के संबंध में विषय आयात चोट की अवधि में समान स्तर पर बना हुआ है।

ख. आयात घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य से कम है जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक मूल्य कम कटौती होती है।

ग. घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि के अनुरूप अपने मूल्यों में वृद्धि करने में असमर्थ रहा है। डंप किए गए आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को दबा रहे थे।

घ. घरेलू उद्योग ने चोट की अवधि के दौरान अपनी क्षमता में वृद्धि की है। घरेलू उद्योग बेकार क्षमताओं के साथ कार्य कर रहा है।

ङ. कम कीमत वाले आयातों का सामना करते हुए, घरेलू उद्योग को अपनी घरेलू बिक्री और उत्पादन को बनाए रखने के लिए अपनी लाभप्रदता का त्याग करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

च. चोट की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ में 68% की गिरावट आई है।

- छ. चोट की अवधि के दौरान नकद लाभ और ब्याज पूर्व लाभ में काफी गिरावट आई है।
- ज. आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में निवेश पर प्रतिफल घटकर लगभग 1/3 रह गया।
- झ. घरेलू उद्योग को मूल्य मापदंडों में नकारात्मक वृद्धि का सामना करना पड़ा है।
- ञ. डंपिंग मार्जिन महत्वपूर्ण है।

115. अतः प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हुई है।

ज. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण

116. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी को, *अन्य के साथ-साथ*, पाटित आयातों के अलावा किन्हीं ऐसे अन्य ज्ञात कारकों की जांच करनी होती है जो आवेदक को क्षति पहुंचा रहे हों अथवा क्षति पहुंचा सकते हों, ताकि इन अन्य कारकों के कारण होने वाली क्षति को पाटित आयातों के लिए आरोपित न किया जा सके। ऐसे कारकों में, जो इस संबंध में संगत हो सकते हैं, अन्य के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर नहीं बेचे जाने वाले आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में कमी या खपत की पद्धति में बदलाव, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंध संबंधी प्रथाएं और प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और आवेदक का निर्यात प्रदर्शन और उत्पादकता शामिल हैं। नीचे इस संबंध में जांच की गई है कि क्या नियमों के तहत सूचीबद्ध कारकों का आवेदक को हुई क्षति में योगदान हो सकता है।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

117. भारत में कुल आयातों में संबद्ध देश से आयातों का 84% हिस्सा शामिल है। अन्य देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात उच्च कीमतों पर होता है, अतः इससे आवेदक के समक्ष क्षति की कोई समस्या नहीं आ रही है।

ख. मांग में कमी

118. यह देखा गया है कि क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है। अतः मांग में संभावित कमी आने के कारण आवेदक को कोई क्षति नहीं हुई है।

ग. खपत की पद्धति में परिवर्तन

119. विचाराधीन उत्पाद की खपत की पद्धति में कोई ज्ञात वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है।

घ. व्यापार प्रतिबंध की प्रथाएं

120. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसी किसी ज्ञात व्यापार प्रतिबंध की प्रथा के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे कि आवेदक को क्षति हो सकती हो। अतः प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि व्यापार प्रतिबंध की प्रथा से आवेदक को कोई क्षति नहीं हुई है।

ङ. प्रौद्योगिकी का विकास

121. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः प्रौद्योगिकी में विकास होने से आवेदक को कोई क्षति नहीं हुई है।

च. निर्यात प्रदर्शन

122. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू प्रचालनों के क्षति के आंकड़ों पर अलग से विचार किया है। अतः निर्यात प्रदर्शन के कारण आवेदक को क्षति नहीं हुई है।

छ. अन्य उत्पादों का प्रदर्शन

123. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं के प्रदर्शन के संबंध में आंकड़ों पर विचार किया है। अतः आवेदक द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का प्रदर्शन क्षति का संभावित कारण नहीं है।

कारणात्मक क्षति के संबंध में निष्कर्ष

124. यह देखा गया है कि ऐसे कोई अन्य कारक नहीं हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। इसलिए, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है, जैसा कि निम्नलिखित से सिद्ध होता है।

- क. संबद्ध देश से आयात पाटित कीमतों पर हैं। आयात कीमत घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से कम है। फलस्वरूप, आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही थी।
- ख. पाटित आयातों के कारण कीमत में हुई कटौती ने बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव डाला है। घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि के समान अनुपात में अपनी कीमत बढ़ाने में असमर्थ था।
- ग. कीमत हास के कारण, क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई।
- घ. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में कर पूर्व लाभ, नकद लाभ और पीबीआईटी से पहले सबसे कम लाभ दर्ज किया। लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल में तीव्र गिरावट आई। ये पाटित आयातों के कारण कीमत पर हुए दबाव का परिणाम थे।
- ड. घरेलू उद्योग ने अपने बाजार हिस्से को बनाए रखने और लाभप्रदता पर त्याग करने का फैसला किया।
- च. घरेलू उद्योग ने कीमत मापदंडों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

झ. क्षति मार्जिन की मात्रा

125. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर किया है। क्षति रहित कीमत का निर्धारण आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई उत्पादन की लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों अपनाकर किया गया है। क्षति रहित कीमत की तुलना क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद की पहुंच कीमत से की गई है। क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए, कच्चे माल और उपयोगिताओं का सर्वोत्तम उपयोग तथा उत्पादन की क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण अथवा गैर-आवर्ती खर्च और/अथवा परिसंपत्तियों को उत्पादन की लागत और/अथवा क्षति रहित कीमत से बाहर रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए लगाई गई औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्ति तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित प्रतिफल (22 प्रतिशत की दर से कर-पूर्व) की अनुमति

इस नियमावली के अनुबंध-III में यथा-निर्धारित क्षति रहित कीमत तय करने के लिए ब्याज, कारपोरेट कर तथा लाभ के लिए दी गई है।

126. एज़ो पिगमेंट के लिए पीसीएन आधार पर ऊपर निर्धारित पहुंच कीमत और क्षति रहित कीमत से तुलना की गई है। उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन का भारित औसत नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	विवरण	एनआईपी	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	रेंज
		यूएस डॉ./एमटी	यूएस डॉ./एमटी	यूएस डॉ./एमटी	%	%
1	रुइयान बाओयुआन केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
2	झेजियांग शेंगडा चार्टर विन केमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
3	कोई अन्य	***	***	***	***	30-40

ज. **भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे**

ज.1 **अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

127. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. एज़ो पिगमेंट विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक हैं और शुल्क लगाने से आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है, जिससे लागत में वृद्धि होगी और डाउनस्ट्रीम उद्योग के लिए उपलब्धता कम हो जाएगी।

ख. शुल्क लगाने से नौकरियाँ खत्म हो सकती हैं और आर्थिक नुकसान हो सकता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और आजीविका प्रभावित हो सकती है।

ग. एज़ो पिगमेंट डाउनस्ट्रीम उद्योग के लिए किसी न किसी कच्चे माल का हिस्सा होते हैं।

घ. आवेदक का दावा है कि “सुधा” कार्यक्रम के तहत सीएसआर व्यय समाज की पहल है और पाटनरोधी जाँच में अप्रासंगिक है। यह दावा निराधार है और मूल मुद्दों से ध्यान भटकाता है।

3.2 आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

128. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में आवेदक ने निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. यह उत्पाद डाउनस्ट्रीम उत्पादों के उत्पादन के लिए एक बुनियादी कच्चा माल नहीं है। उत्पाद का उपयोग रंग एजेंट के रूप में किया जाता है। इसलिए, यह डाउनस्ट्रीम उद्योग के संचालन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं बनता है।
- ख. विचाराधीन उत्पाद में ग्रेड की एक विस्तृत श्रृंखला है। जबकि कुछ ग्रेड में उपयोग का संकेन्द्रण अपेक्षाकृत अधिक है, अन्य का संकेन्द्रण अपेक्षाकृत कम है।
- ग. उपाय लागू करने से एकाधिकार नहीं होगा क्योंकि भारत में 15 उत्पादक हैं और अन्य देशों से भी आयात होते हैं। भारतीय उद्योग को आपस में और अन्य स्रोतों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता होगी।
- घ. भारतीय उद्योग के पास उत्पाद के लिए *** एमटी की मांग की तुलना में लगभग *** एमटी की क्षमता है। भारत में मांग को पूरा करने के लिए अधिशेष क्षमता है।
- ड. हालांकि आवेदक एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी है, अन्य उत्पादक एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित हैं। जबकि आवेदक अल्प अवधि के लिए टिकने में सक्षम हो सकता है, अन्य उत्पादक टिकने में असमर्थ हो सकते हैं।
- च. एमएसएमई उत्पादक मुख्य रूप से एकल उत्पाद कंपनी है। एमएसएमई उत्पादकों की आजीविका उनके सतत प्रचालनों पर निर्भर है।
- छ. आवेदक ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए "सुधा" नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के लिए धन अर्जित लाभ से आता है। जांच अवधि के दौरान, कार्यक्रम पर लगभग 1000 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। पाटन के कारण लाभप्रदता में गिरावट इन पहलों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

ज. आवेदक नियमित रूप से उत्पाद का निर्यात कर रहा है, यह दर्शाता है कि आवेदक वैश्विक मानकों, गुणवत्ता और तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है।

झ. भाग लेने वाले प्रयोक्ता से प्रयोक्ता प्रश्नावली का नहीं प्रस्तुत होना यह दर्शाता है कि प्रयोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

129. प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया कि क्या प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित के विरुद्ध होगा। यह निर्धारण घरेलू उद्योग, विदेशी उत्पादकों और उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के हितों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी पर विचार करने पर आधारित है।

130. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है, ताकि वे वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना प्रदान कर सकें, जिसमें उनके प्रचालन पर पाटनरोधी शुल्क का संभावित प्रभाव भी शामिल है। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाने के, अन्य स्रोतों को अपनाने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उत्पन्न नई स्थिति के लिए समायोजन में तेजी लाने या देरी करने वाले कारकों के बारे में सूचना मांगी।

131. प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी जिसे इस जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजा गया था। आवेदक के अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने उपायों के प्रभाव के बारे में सूचना नहीं दी है। आवेदक ने पाटनरोधी शुल्क के निम्नलिखित प्रभाव की मात्रा निर्धारित की है।

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	उद्योग		
			कोटिंग	प्लास्टिक	इंक
1	डाउनस्ट्रीम उत्पाद की अनुमानित कीमत	₹/कि.ग्रा.	200	300	250
2	चीन से एज़ो आयात कीमत	₹/कि.ग्रा.	550	550	550

3	कीमत में 5% की वृद्धि	₹/कि.ग्रा.	27.5	27.5	27.5
4	डाउनस्ट्रीम में एजो की हिस्सेदारी	%	7%	18%	13%
5	लागत में वृद्धि	₹/कि.ग्रा.	1.93	4.95	3.58
6	% में प्रभाव	%	0.96%	1.65%	1.43%

132. यह देखा गया है कि अंतिम उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रभाव नगण्य है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उपायों के प्रतिकूल प्रभाव का दावा करने वाले किसी भी प्रयोक्ता ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। विचाराधीन उत्पाद एक रंग एजेंट है और उत्पाद बनाने के लिए प्रमुख कच्चा माल नहीं है।
133. यह तर्क दिया गया है कि भारत में मांग और आपूर्ति में अंतर है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग के पास *** एमटी की मांग की तुलना में 60,000 एमटी से अधिक की क्षमता है। यह देखा गया है कि भारतीय उद्योग के पास देश में पूरी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है।
134. इस तर्क के संबंध में कि आवेदक बाजार पर एकाधिकार करने का प्रयास कर रहा है तथा पाटनरोधी शुल्क डाउनस्ट्रीम उद्योग को प्रभावित करेगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होता है। आयात उचित कीमतों पर होते रहेंगे। पाटनरोधी शुल्क यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित कीमतों पर भारतीय बाजार में हो रहे हैं तथा विदेशी निर्यातकों और भारतीय उद्योग के बीच समान अवसर बनाए रखा जा रहा है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारतीय बाजार में आवेदक का एकाधिकार नहीं बनेगा। आवेदक के अलावा, भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं के 14 अन्य उत्पादक हैं।
135. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कुछ उत्पादकों को छोड़कर भारत में उत्पाद के अन्य सभी उत्पादक एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित हैं। शुल्क लगाने से उन्हें अपने प्रदर्शन में गिरावट को रोकने और अपने वैध हितों की रक्षा करने में मदद मिलेगी। शुल्क लगाने से उत्पादकों को व्यवहार्य और प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिलेगी।

ट. प्रकटन पश्चात अनुरोध

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

136. प्रकटन विवरण पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. प्राधिकारी ने ह्यूबर ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ह्यूबैक कलरेंट्स इंडिया लिमिटेड जैसे प्रमुख घरेलू उत्पादकों की भूमिका पर विचार नहीं किया। ह्यूबर और ह्यूबैक के पास महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी और उत्पादन क्षमताएं हैं। उत्पाद को बाहर करना घरेलू उद्योग की प्रतिनिधित्व क्षमता को कमजोर करता है।
- ख. ऑफसेट स्याही जैसे उच्च गुणवत्ता वाले अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक विशिष्ट सतह उपचार के संदर्भ में चीन जन.गण. के एजो पिगमेंट भारतीय पिगमेंट से बेहतर हैं।
- ग. सामान्य मूल्य की गणना में "प्रतिनिधिक देश" का उपयोग, चीन के डब्ल्यूटीओ एक्सेशन प्रोटोकॉल के अंतर्गत कुछ प्रावधानों की समाप्ति के बाद 2016 के बाद बहुपक्षीय कानूनी आधार का अभाव है।
- घ. क्षति रहित कीमत निर्धारित करने के लिए 22% आरओसीई का उपयोग पुराना हो गया है। दर 1987 में स्थापित की गई थी जब ब्याज दरें और कॉर्पोरेट कर काफी अधिक थे। इस प्रकार, आज उसी दर को लागू करने से क्षति मार्जिन बढ़ जाता है और घरेलू उद्योग को अनुचित संरक्षण मिलता है।
- ड. प्रकटन विवरण में प्रस्तुत आयात आंकड़ों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में विसंगतियां हैं। आयात मात्रा में अंतर क्षति विश्लेषण को प्रभावित कर सकता है और इसे सुलझाया जाना चाहिए।
- च. लिली ग्रुप कंपनी लिमिटेड को व्यक्तिगत पाटन मार्जिन देने से इनकार करना पाटनरोधी नियमावली के नियम 17(3) का उल्लंघन है। प्राधिकारी को असंबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अप्रत्यक्ष निर्यात के लिए उत्पादक को दंडित नहीं करना चाहिए, जिसके बारे में उसे कोई सूचना नहीं थी। प्राधिकारी लिली ग्रुप के लिए जिम्मेदार कुल आयातों को सत्यापित करने के लिए भारतीय सीमा शुल्क आंकड़ों का उपयोग कर सकते हैं।
- छ. डीजीटीआर की यह परिपाटी है कि क्षति रहित कीमत निर्धारित करते समय द्वितीयक पैकेजिंग लागत को शामिल नहीं किया जाता है। ईजी ओपन एंड्स

के आयात पर हाल ही में की गई जांच का संदर्भ दिया गया है, जहां प्राधिकारी ने द्वितीयक पैकेजिंग लागत को क्षति रहित कीमत से बाहर रखा और वर्तमान मामले में एक सुसंगत दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया।

- ज. प्राधिकारी ने अंतिम प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का निर्धारण करते समय आयात कीमतों पर संभावित प्रभाव को कम करके आंका।
- झ. लेनदेन रिकॉर्ड गुम होने के कारण लॉगकौ यूनियन केमिकल कंपनी लिमिटेड के आंकड़ों पर "तथ्य उपलब्ध हैं" पद्धति लागू की गई है। कंपनी ने स्वीकार किया कि उसके प्रश्नावली के उत्तर में दो लेनदेन छूट गए थे, लेकिन बताया कि ऐसा उनकी राजस्व मान्यता प्रक्रिया से जुड़ी एक प्रणालीगत के कारण हुआ था।
- ञ. प्राधिकारी स्वयं के आयात का खुलासा करने में देरी के संबंध में घरेलू उद्योग के प्रति उदार है और सूचना के प्रकटन में देरी के लिए निर्यातकों पर सख्त मानक लागू किए जाते हैं।
- ट. जियांगशी लॉगयुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा कुछ अप्रत्यक्ष निर्यात बिक्री को अनजाने में छोड़ दिया गया था और यह एक असंबद्ध कंपनी, कलर एंड इफेक्ट शंघाई लिमिटेड को की गई अपनी बिक्री के अंतिम गंतव्य के बारे में सूचना की कमी के कारण हुआ।
- ठ. प्राधिकारी के 4 फरवरी 2025 के स्पष्टीकरण अनुरोध के उत्तर में, जियांगशी लॉगयुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड ने तुरंत कलर एंड इफेक्ट शंघाई लिमिटेड ने अपने निर्यात का विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें बिक्री बीजक संख्या और अप्रत्यक्ष निर्यात में शामिल मात्राएं शामिल थीं। इसके बावजूद, प्राधिकारी ने कहा कि जियांगशी लॉगयुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड पूरी जानकारी प्रदान करने में विफल रही है और इसने "उपलब्ध तथ्य" पद्धति को लागू किया है।
- ड. जियांगशी लॉगयुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड ने परिशिष्ट 4क में कलर एंड इफेक्ट शंघाई लिमिटेड को अपनी घरेलू बिक्री की सूचना दी थी। इसलिए, यह नहीं माना जा सकता है कि उत्पादक ने पर्याप्त सूचना प्रदान नहीं की।
- ढ. उपलब्ध तथ्यों को लागू करने से पहले प्राधिकारी "विशेष सावधानी" बरतने में विफल रहे हैं। सभी आवश्यक सूचना अभिलेख पर थी। प्राधिकारी जियांगशी

लॉगयुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड और सीईएस से आंकड़ों का क्रॉस-रेफरेंस करके निर्यात कीमत की गणना कर सकते थे।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

137. प्रकटन विवरण के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:

- क. व्यक्तिगत पाटन मार्जिन के लिए, प्रश्नावली का पूरा और सटीक उत्तर महत्वपूर्ण है। निर्यातकों को सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पूरी तरह से स्थापित करना चाहिए। वर्तमान जांच में, उत्पादक ऐसा करने में विफल रहे। इस प्रकार, वे व्यक्तिगत पाटन मार्जिन के लिए पात्र नहीं हैं।
- ख. व्यक्तिगत पाटन मार्जिन का दावा करने के लिए, उत्पादकों को भारत को किए गए सभी निर्यातों के बारे में बताना होगा। यदि उत्पादक उन असंबंधित निर्यातकों को सामग्री की बिक्री करते हैं जो उत्तर नहीं देते हैं, तो प्राधिकारी भारत को वस्तु की अंतिम निर्यात कीमत निर्धारित नहीं कर सकते हैं। यह आवश्यक है कि सभी शामिल पक्षकार प्रश्नावली के पूर्ण उत्तर प्रस्तुत करें।
- ग. वर्तमान जांच में, जियांगशी लॉगयुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड, लिली ग्रुप कंपनी लिमिटेड और लॉगकौ यूनियन केमिकल कंपनी लिमिटेड ने व्यापारिक निर्यातकों के माध्यम से अपने निर्यात के बारे में जानकारी नहीं दी है, जिसके फलस्वरूप उत्पादक द्वारा अपूर्ण उत्तर दिया गया है।
- घ. प्राधिकारी ने विगत जांचों में उन उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है, जिनकी मूल्य श्रृंखला पूरी नहीं थी।
- ड. विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में, समय पर पूरी सूचना प्रस्तुत नहीं करने वाले उत्पादकों के उत्तरों को अस्वीकार करना आम कार्य-पद्धति है। यूएसडीओसी उत्पादकों से उनकी क्षमता के अनुसार पूरी सूचना प्रदान करने की अपेक्षा करता है। यदि आवश्यक सूचना अनुपलब्ध है या यदि निर्यातक समय-सीमा को पूरा करने में विफल रहता है, प्रक्रिया में बाधा डालता है, या सत्यापन न किए जाने योग्य आंकड़े उपलब्ध करता है, तो यूएसडीओसी उन्हें असहयोगी मानता है और प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकता है।

- च. प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य और क्षति रहित कीमत के निर्धारण में द्वितीयक पैकेजिंग को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण पाटन और क्षति मार्जिन को कम करके आंका गया।
- छ. रुइयान बाओयुआन केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड और झेजियांग शेंगडा चार्टर विन केमिकल कंपनी लिमिटेड ने प्राथमिक और द्वितीयक पैकेजिंग व्यय की रिपोर्ट नहीं की है।
- ज. निर्यातकों ने आवश्यक निर्यात मूल्य समायोजन के बारे में पूरी जानकारी प्रस्तुत नहीं की है, जो सामान्य मूल्य और क्षति रहित कीमत के साथ उचित तुलना के लिए महत्वपूर्ण है।
- झ. प्राधिकारी ने निर्यात कीमत की गणना में पैकेजिंग व्यय पर विचार नहीं किया है। जबकि सामान्य मूल्य और क्षति रहित कीमत में द्वितीयक पैकेजिंग शामिल नहीं है, निर्यात कीमत और पहुंच कीमत में यह शामिल है। वैश्विक कार्य-पद्धति निर्यात कीमत गणना में द्वितीयक पैकेजिंग को समायोजित करने की है।
- ञ. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एनआईपी में द्वितीयक पैकेजिंग व्यय शामिल नहीं है। उचित तुलना के सिद्धांत के लिए पहुंच कीमत में भी इसका समायोजन आवश्यक है।
- ट. जांच की अवधि के बाद चीन जन.गण. से आयात की मात्रा में और वृद्धि हुई। जांच के बाद की अवधि में आयात मूल्य में गिरावट आई है, लेकिन उत्पादन की लागत में उसी दर से गिरावट नहीं आई है।
- ठ. पांच वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जानी चाहिए, क्योंकि आवेदक को छोड़कर अन्य उत्पादक एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित हैं।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

138. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है। यह देखा गया है कि इनमें से अधिकांश अनुरोध उन तर्कों और तर्कों की पुनरावृत्ति हैं जिनकी पहले ही जांच की जा चुकी है और इन अंतिम जांच परिणाम के संगत पैराग्राफों में आवश्यक समझे जाने तक उनका समाधान किया गया है। संक्षिप्तता के

लिए, प्राधिकारी ने इस प्रकटन पश्चात जांच में ऐसे मुद्दों पर उत्तरों को दोहराने से परहेज किया है। हालाँकि, प्रकटन पश्चात उत्तर में पहली बार उठाए गए किसी भी नए मुद्दे, साथ ही वे मुद्दे जिन्हें पहले उठाया गया था लेकिन जिन्हें प्राधिकारी ने आगे की जांच की आवश्यकता समझी, की जांच की गई है और उनका समाधान इसमें किया गया है।

139. इस तर्क पर कि प्राधिकारी द्वारा विचारित पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव कीमतों पर संभावित प्रभाव को कम करता है, प्राधिकारी ने जांच के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर तथ्यों को दर्ज किया है। अन्य किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अंतिम उपभोक्ताओं पर प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा नहीं बताई है। प्राधिकारी स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि इन उपायों के लागू होने से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का मूल भाव अप्रभावित रहेगा। इसके अलावा, प्रकटन विवरण में पहले ही अंतिम उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की जांच की जा चुकी है, और यह महत्वपूर्ण नहीं है।
140. इस तर्क पर कि द्वितीयक पैकिंग को क्षति रहित कीमत में शामिल किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति रहित कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में निहित सिद्धांत और प्राधिकरण की संगत कार्य-पद्धति के अनुसार किया गया है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि द्वितीयक पैकिंग लागत आयातों की पहुंच कीमत और भाग लेने वाले उत्पादक के लिए निर्धारित कारखानागत निर्यात कीमत में शामिल है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निष्पक्ष तुलना के सिद्धांतों के लिए घरेलू उद्योग की कीमतों की आयात कीमतों के साथ निष्पक्ष तुलना की आवश्यकता होती है। घरेलू उद्योग और आयात एक ही स्तर पर एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। क्षति रहित कीमत, जिसमें द्वितीयक/तृतीयक पैकिंग शामिल नहीं है, की आयात कीमत के साथ तुलना, जिसमें द्वितीयक/तृतीयक पैकेजिंग शामिल हैं, अनुचित होगी और नियमावली के अनुबंध-1 के अनुरूप नहीं होगी। यह भी देखा गया है कि जियांगशी लॉगयुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड ने द्वितीयक पैकेजिंग के कारण *** यूएस डा./एमटी के कीमत समायोजन की सूचना दी है। इसके अलावा, लॉगकौ यूनियन केमिकल कंपनी लिमिटेड ने सूचित किया है कि औसत द्वितीयक पैकेजिंग लागत *** यूएस डा./एमटी है जिसमें नालीदार बक्से और पैलेट शामिल हैं। उपरोक्त के मद्देनजर,

प्राधिकारी द्वितीयक पैकेजिंग लागत के साथ कारखानागत स्तर पर निर्यात कीमत और पहुंच कीमत को समायोजित करना उचित समझते हैं। चूंकि भाग लेने वाले दो उत्पादकों ने संगत सूचना प्रदान की है, इसलिए प्राधिकारी ने इन कंपनियों द्वारा बताई गई दो पैकेजिंग लागतों में से कमतर पर विचार किया है। भाग लेने वाले उत्पादकों के निवल निर्यात कीमत और पहुंच कीमत को फिर से निर्धारित किया गया है और संबंधित पैरा में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन ऊपर तालिकाओं में दिखाया गया है।

141. लिली ग्रुप कंपनी लिमिटेड, जियांग्शी लोंगयुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड और लोंगकौ यूनियन केमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा उपलब्ध तथ्यों के आवेदन और व्यक्तिगत मार्जिन के दावों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि सभी आवश्यक सूचना अब रिकॉर्ड पर हैं, इसलिए प्राधिकारी को उपलब्ध तथ्यों को लागू नहीं करना चाहिए और प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर व्यक्तिगत मार्जिन निर्धारित करना चाहिए। हालांकि, प्राधिकारी इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, क्योंकि प्राधिकारी द्वारा सत्यापन प्रक्रिया के दौरान उल्लेख न किए गए लेन-देन देखे गए थे, न कि निर्यातकों द्वारा स्वेच्छा से प्रकट किया गया लेन-देन। निर्यातकों को अपने प्रश्नावली के उत्तरों में भारत को सभी निर्यात लेनदेन का पूर्ण और सटीक प्रकटन उपलब्ध कराना अपेक्षित था।
142. प्राधिकारी पाते हैं कि समय पर सभी निर्यात लेनदेन की रिपोर्ट करने में विफलता ने प्रस्तुत आंकड़ों की सटीकता और विश्वसनीयता को बहुत अधिक प्रभावित किया है। लेनदेन की चूक, विशेष रूप से व्यापारियों के माध्यम से किए गए लेनदेन, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण को सीधे प्रभावित करते हैं। प्राधिकारी द्वारा उल्लेख किए जाने पर आंकड़ों को देरी से प्रस्तुत करने से निर्यातकों द्वारा स्थापित प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफलता का समाधान नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, जांच में देखे गए अप्रत्यक्ष निर्यात की संरचना को देखते हुए, निर्यातकों के उत्पादों को भारत में आपूर्ति करने में कई व्यापारियों के उत्पादों की संलिप्तता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
143. व्यक्तिगत मार्जिन निर्धारित करने के लिए आंकड़ों की पूर्णता एक मूलभूत आवश्यकता है, तथा निर्यातकों ने प्राधिकारी द्वारा विसंगतियों की पहचान किए जाने के पश्चात ही उल्लेख न किए गए आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, इसलिए प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों को लागू करना उचित समझते हैं।

144. तदनुसार, प्राधिकारी का मत है कि लिली ग्रुप कंपनी लिमिटेड, जियांगशी लॉगयुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड, तथा लॉगकौ यूनियन केमिकल कंपनी लिमिटेड के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए उपलब्ध तथ्यों की कार्यप्रणाली को लागू किया जाएगा।
145. निर्यातकों ने तर्क दिया है कि प्राधिकारी ने सूचना के प्रकटन में देरी के लिए निर्यातकों पर कठोर मानक लागू किए हैं, जबकि घरेलू उद्योग द्वारा स्वयं आयात की विलंबित रिपोर्टिंग के प्रति अधिक उदार रहे हैं। प्राधिकारी इस तर्क को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि विलंबित प्रकटन की प्रकृति तथा वास्तविकता में मूलभूत अंतर है।
146. घरेलू उद्योग ने जांच शुरुआत के चरण में ही आधिकारिक पत्र के माध्यम से स्वेच्छा से अपने स्वयं के आयातों का प्रकटन किया, जिसके बाद पूर्ण विवरण प्रदान करते हुए लिखित अनुरोध प्रस्तुत किए। इसके विपरीत, निर्यातकों से उल्लेख न किए गए निर्यात लेन-देन की पहचान प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के दौरान की गई, न कि निर्यातकों द्वारा स्वयं सक्रिय रूप से रिपोर्ट की गई।
147. इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग द्वारा रिपोर्ट किए गए स्वयं के आयात की मात्रा उसके कुल उत्पादन और बिक्री की तुलना में नगण्य थी, जबकि निर्यातकों द्वारा अघोषित निर्यात का पाटन मार्जिन गणना पर सीधा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार इन चूकों की वास्तविकता में काफी अंतर है।
148. इसलिए, प्राधिकारी पाते हैं कि निर्यातकों द्वारा उनकी चूकों और घरेलू उद्योग द्वारा स्वयं की आयात देरी से रिपोर्टिंग के बीच की गई तुलना वैध नहीं है

ठ. निष्कर्ष

149. दिए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों, जैसा कि उपर्युक्त जांच परिणाम में दर्ज है, तथा पाटन, क्षति और घरेलू उद्योग के साथ कारणात्मक संबंध के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं:

क. विचाराधीन उत्पाद एज़ो पिगमेंट है, जो सिंथेटिक कार्बनिक पिगमेंट का एक वर्ग है जिसका व्यापक रूप से विभिन्न उद्योगों में उपयोग किया जाता है, जिसमें पेंट, सौंदर्य प्रसाधन, स्याही और वस्त्र शामिल हैं।

- ख. एजो पिगमेंट का कारोबार तीन अलग-अलग रंगों जैसे पीला पिगमेंट, लाल पिगमेंट और नारंगी पिगमेंट में किया जाता है। प्रत्येक रंग के अलग-अलग ग्रेड होते हैं, और प्रत्येक ग्रेड में अलग-अलग रासायनिक संकेन्द्रण और गुण होते हैं और इसलिए उनके अलग-अलग अंतिम उपयोग अनुप्रयोग होते हैं। तीनों रूप विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा हैं।
- ग. आवेदक - सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज के अलावा, भारत में संबद्ध वस्तुओं के कई अन्य उत्पादक हैं। अन्य उत्पादक एमएसएमई क्षेत्रों से संबंधित हैं।
- घ. वर्तमान आवेदन को पिगमेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य उत्पादकों द्वारा समर्थित किया गया है, जिनमें अनुपम कलर्स प्राइवेट लिमिटेड, हरक्यूलिस पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड, क्वालीकेम प्राइवेट लिमिटेड, माइकास ऑर्गेनिक लिमिटेड, यूनिटी डाई केम प्राइवेट लिमिटेड, विजय केमिकल इंडस्ट्रीज, वॉक्सको पिगमेंट एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, क्रोमा इंडस्ट्रीज और असाही टेनेन्ट्स शामिल हैं।
- ड. आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान उत्पाद की कम मात्रा का आयात किया। आवेदक द्वारा उत्पादन और घरेलू बिक्री के संबंध में किए गए आयात की मात्रा क्रमशः 0.005% और 0.005% से कम है। आवेदक द्वारा किए गए आयात की मात्रा इतनी नहीं है कि उसे पात्र घरेलू उद्योग के रूप में माना जाने से वंचित किया जा सके।
- च. आवेदक नियम 2(ख) के तात्पर्य से घरेलू उद्योग है और नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति के मानदंडों को पूरा करता है। आवेदक का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा है।
- छ. लॉगकौ यूनियन केमिकल कंपनी लिमिटेड, लिली ग्रुप कंपनी लिमिटेड और जियांगशी लॉगयुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत उत्तरों की जांच करने के बाद, प्राधिकारी ने पाया कि इन उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों में कमियाँ थीं और ये व्यक्तिगत पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए अपर्याप्त थे। प्राधिकारी ने इन उत्पादकों के संबंध में व्यक्तिगत पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया है।

- ज. संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, पीसीएन के अनुसार, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है और मार्जिन सकारात्मक है।
- झ. क्षति अवधि के दौरान आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है। उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध देश से आयात क्षति अवधि के दौरान समान स्तर पर रहा है। कुल आयात में संबद्ध देश से आयात का हिस्सा 80% से अधिक है।
- ञ. विचाराधीन उत्पाद का आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से काफी कम है। ये पाटित आयात न केवल घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं बल्कि उनका न्यूनीकरण भी कर रहे हैं।
- ट. चीन से आयात में वृद्धि के साथ, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ में तेजी से गिरावट आई। क्षति अवधि के दौरान नकद लाभ और पीबीआईटी में तेजी से गिरावट आई।
- ठ. संबद्ध देश से कमतर कीमत वाले आयातों के कारण, घरेलू उद्योग की लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल में क्षति अवधि के दौरान 1/3 की गिरावट आई है।
- ड. आयात में वृद्धि के साथ, घरेलू उद्योग ने मूल्य मापदंडों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की।
- ढ. जांच में कोई अन्य कारक नहीं दिखाया गया है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकता था।
- ण. किसी भी प्रयोक्ता ने प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव से पता चलता है कि अंतिम उपभोक्ताओं पर बहुत कम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है।
- त. शुल्क लगाने से एमएसएमई उत्पादकों को अपने प्रदर्शन में गिरावट को रोकने और अपने वैध हितों की रक्षा करने में मदद मिलेगी।

ड. सिफारिशें

150. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरु की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति, और कारणात्मक संबंधी पहलू को सकारात्मक सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरु करने और संचालित करने के बाद प्राधिकारी का मत है कि शुल्क लगाना पाटन और क्षति की भरपाई के लिए अपेक्षित है। अतः प्राधिकारी, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक समझते हैं और तदनुसार उसकी सिफारिश करते हैं।
151. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं:

क्र.सं.	शीर्ष/ उपशीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	32041711, 32041719, 32041720, 32041731, 32041739, 32041740, 32041759, 32041769, 32041790.	एजो पिगमेंट	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	रुइआन बाओयुआन केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	1387	एमटी	यूस डा.
2	-वही-	एजो पिगमेंट	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	झेजियांग सैंगडा चार्टर विन केमिकल कंपनी लिमिटेड	513	एमटी	यूस डा.

3	-वही-	एजो पिगमेंट	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	क्र.सं. 1 और 2 में उल्लिखित कंपनियों के अलावा कोई अन्य उत्पादक	1811	एमटी	यूस डा.
4	-वही-	एजो पिगमेंट	चीन को छोड़कर कोई देश	चीन जन.गण.	कोई उत्पादक	1811	एमटी	यूस डा.

ढ. आगे की प्रक्रिया

152. इन अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम/नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

दर्पण जैन

(दर्पण जैन)

निर्दिष्ट प्राधिकारी